आप और आपका कानून

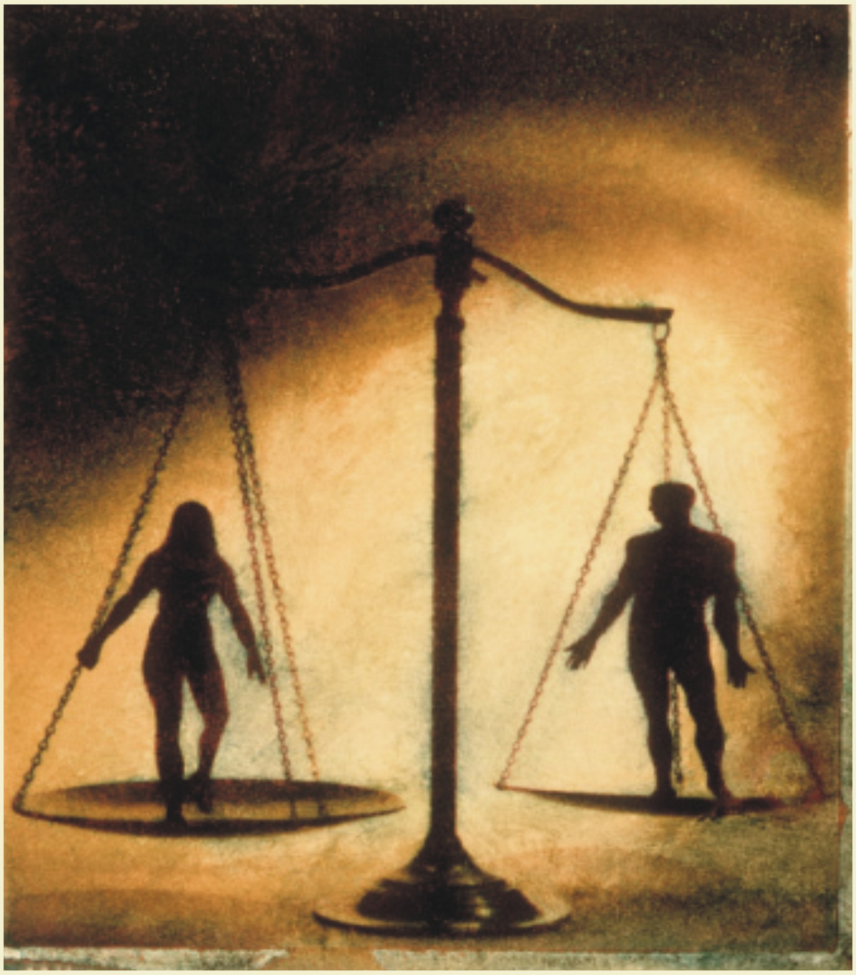

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मुख्य मार्ग दर्शक

माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर
मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

कार्यकारी अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल
न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

सदस्य सचिव

श्री हरिन्द्र सिंह भंगू
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश)

प्रकाशक :

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

ध्यान दें

आपकी भलाई किसमें है ?

	इसमें	या		इसमें
1.	वर्षों तक मुकदमें के निर्णय के इन्तजार।	**या**	1.	तुरन्त शांतिपूर्ण समझौते के द्वारा पक्षों के मान्य निर्णय।
2.	हर तारिख पर दैनिक कार्यों को छोड़कर न्यायालय का चक्कर लगाना।	**या**	2.	एक ही निर्णय से मुकदमेबाजी से छुटकारा पाना।
3.	फैसले के बाद अपील/वाद लड़ने में भारी खर्च करना व फैसले का इन्तजार करना।	**या**	3.	सुलह समझौते द्वारा निर्णय पाकर अपील व उस पर होने वाले खर्च से छुटकारा पाना।
4.	निर्णय के प्रति उत्सुकता तथा अनिश्चितता व मानसिक तनाव।	**या**	4.	शांतिपूर्ण ढंग द्वारा समझ बूझकर सम्मानजनक निर्णय पाकर तनाव से छुटकारा पाना।
5.	अपने प्रतिपक्षी के प्रति लगातार द्वेष रखना।	**या**	5.	सुलह द्वारा प्राप्त निर्णय से द्वेष भावना को मिटाते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए प्रतिपक्षी के साथ दोस्ती व भाईचारे का सम्बन्ध बनाना।
6.	एक पक्ष की विजय (जो आपका विपक्षी हो सकता है) व दूसरे पक्ष की हार व अपमान (जो आप स्वयं हो सकते हैं)	**या**	6.	किसी की जीत न किसी की हार, दोनों पक्षों के साथ बराबर का न्याय।

आप स्वयं निर्णय करें। आखिर विवाद है आपका।

निवेदक – हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़।

तालिका

क्रम	विषय	पृष्ठ
I.	हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के तहत किन-किन लोगों वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है	1-2
II.	हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 22 के अन्तर्गत निःशुल्क सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	3-4
III.	हिरासत व जमानत सम्बन्धित अधिकार	5-8
IV.	वाहन दुर्घटना के अन्तगर्त मुआवजा	9-11
V.	पत्नी, बच्चों व माता-पिता के खर्चे व भरण पोषण के अधिकार	12-15
VI.	खाद्य पदार्थों में मिलावट के निवारण से सम्बन्धित कानून	16-18
VII.	दहेज निरोधक अधिनियम, 1961	19-23
VIII.	दिवानी मामले की प्रक्रिया	24-30
IX.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986	31-36
X.	वैधानिक सुरक्षा अधिनियम, 1955	37
XI.	अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	38
XII.	पंचायती राज अधिनियम, 1994	39-45
XIII.	पंचायत समितियों के कर्तव्य तथा शक्तियां	46-51
XIV.	जिला परिषद के कृत्य तथा कर्तव्य	52-83
XV.	डी०के० बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) सुप्रीम कोर्ट केसज 416 में उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफतारी या निरोधक के सभी मामलों मे जब तक इस निमित निवारक उपायों के रूप में विधिक उपबन्धों का प्रावधान नहीं कर दिया जाता, अनुसरित की जाने वाली अपेक्षाएं।	84-85
XVI.	नागरिकों के संवैधानिक अधिकार	86-88
XVII	गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971	89
XVIII	घरेलू हिंसा से महिलाओं का सुरक्षा अधिनियम 2005	90-93
XIX	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956	94-95
XX	महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान	96-100

XXI	महिलाओं के हितों की रक्षा से संबंधित न्याय दृष्टांत	101-102
XXII	अवैध देह व्यापार से संबंधी कानून	103-110
XXIII	भारतीय दण्ड संहिता में गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओ को क्षति कारित करने, शिशुओं को छोडने और जन्म छिपाने के विषय में दण्ड के प्रावधान–	111-112
XXIV	प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व निवारक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (PNDT Act, 194)	113-115
XXV	प्रथम सूचना रिपोर्ट	116-118
XXVI	अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरण–पोषण अधि ानियम, 2007 कुछ आम/खास बातें	119-120

I. हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 के प्रमुख उद्देश्य

<u>उद्देश्यः</u>

1. लोगों में कानूनी साक्षरता व जागरूकता पैदा करना।
2. निर्धन व असहाय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना।
3. लोक अदालतों के माध्यम से उन्हे शीघ्र व सस्ता न्याय दिलाना।
4. कानूनी कार्यवाही में सुलह व समझौते द्वारा फैसला करने के लिए प्रोत्साहित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों हेतु निःशुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण के अर्न्तगत उच्च न्यायालय, जिला व उप-मण्डल स्तर पर मुफ्त कानूनी सेवा समितियों का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। जिला स्तर पर जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं तथा उप-मण्डल स्तर पर उप-मण्डल में नियुक्त वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, उप-मण्डल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। इन सभी समितियों के पास हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु धन का आबंटन किया जाता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम, 1987 की धारा (12) और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 के नियम 19 के अन्तर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्रताः

(क) प्रत्येक नागरिक जिसकी समस्त स्त्रोतों से आय प्रति वर्ष 50,000 रूपये से अधिक नहीं है निःशुल्क विधिक सेवा का पात्र है। आय की यह सीमा किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए लागू नहीं होगी। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जातियों, जन-जातियों के पुरूष, महिलाएं और बच्चे भी मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्र है।

या

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य है,

या

(ग) संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार या बेगार का शिकार है,

या

(घ) स्त्री या बालक है,

या

(ड.) मानसिक रूप से अस्वस्थ्य निःशक्त है, यानि जो अंधा, बहुत कम देख सकने वाला या कोढ़ी रहा हो या जिसे बहुत कम सुनाई देता हो,

या

(च) अनर्ह अभाव की दशाओं के अधीन व्यक्ति है, जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक संकट शिकार है,

या

(छ) औद्योगिक कामगार है,

या

(ज) अभिरक्षा में है, जिसके अन्तर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 2 के खण्ड (झ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में किसी किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा 2 के खण्ड (ड.) के अर्थ में किसी किशोर गृह में या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनोचिकत्सकीय अस्पताल या मनोचिकत्सकीय परिचर्या गृह की अभिरक्षा भी शामिल है।

या

इसके अतिरिक्त भी प्राधिकरणः–

(क) अत्यधिक लोक महत्व के मामले में,

या

(ख) ऐसे मामले में जिसके निर्णय से समुदाय के दुर्बल वर्गो के बहुत से अन्य व्यक्तियों के मामलों में प्रभाव पड़ सकता हो,

या

(ग) ऐसे किसी विशेष मामले में जो विधिक सहायता के योग्य समझा जाए नि :शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवा सकता है।

या

(घ) हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी अन्य उपयुक्त मामले में भी मुफ्त विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

मुफ्त कानूनी सेवा के तहत किसी मुकद्दमें में मुफ्त कानूनी सलाह प्राप्त करना और न्यायालय या प्राधिकरण में लम्बित किसी भी मामले में अधिकारों के रक्षा के लिए सरकारी खर्चे पर मुकद्दमा करने और वकील की फीस इत्यादि प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।

II. हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 के नियम 22 के अन्तर्गत निःशुल्क सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

कोई भी व्यक्ति जो कि निःशुल्क सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं, एक प्रार्थना-पत्र सादे कागज पर सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अपने जिला या उप-मण्डल या उच्च न्यायालय मुफ्त कानूनी समिति को दे सकता है। उस प्रार्थना-पत्र में वह अपने साथ हुए अन्याय का संक्षिप्त विवरण या मुकद्दमें का संक्षिप्त विवरण, नाम, आय की सीमा इत्यादि का हवाला लिखें, व इसके साथ अपनी वार्षिक आय के बारे में शपथ-पत्र संलग्न करें। अगर व्यक्ति पिछड़ी जाति या जनजाति या अनुसचित जाति से सम्बन्ध रखता हो तो उसका प्रमाण पत्र साथ लगाए। यह प्रार्थना पत्र इत्यादि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उप न्यायाधीश के कार्यालय में दाखिल करें। क्योंकि जिला व उप-मण्डल स्तर पर की समितियों में ही प्रार्थना पत्र पर प्रांरभिक विचार होगा व अगर व्यक्ति निःशुल्क सहायता का पात्र पाया गया हो तो उसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जायेगी।

कानूनी सहायता के प्रकार

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 1996 के नियम 21 के अन्तर्गत विधिक सेवा निम्नलिखित पात्र व्यक्ति को जिला व उप-मण्डल स्तर पर बनाए गए वकीलों के पैनल में से वकील नियुक्त कर के लिखित कानूनी सलाह दे कर या केस की पैरवी वगैरह के तरीके से दी जाती है। वकील की फीस प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी। इसके अतिरिक्त मुकद्दमें के अन्य खर्चे जैसे गवाहों का खर्चा, कागजात की नकल हासिल करने का खर्चा, दरखास्तों इत्यादि पर लगने वाला खर्चा, खर्चे की रसीद मुफ्त कानूनी सहायता समिति में पेश करने के बाद वसूल किया जा सकता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रयास रहता है कि इन मुकद्दमों में फैसला समझौते द्वारा करने के लिए दोनों पार्टियों को प्रोत्साहित किया जाये ताकि उनके समय व धन की बचत हो सके।

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में कानूनी साक्षरता कैम्प लगाकर लोगों में कानूनी साक्षरता व जागरूकता पैदा करने के भी प्रयास किये जाते हैं।

इस प्रकार के शिविरों में सरपंच या पंच महिला/युवक मण्डल तथा अन्य समाज सेवकों को भी आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के शिविरों में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है तथा उनके क्या संवैधानिक कर्तव्य हैं उन पर भी प्रकाश डाला जाता है। जनहित के कानून जो कानूनी पुस्तिकाओं तक ही सीमित है को पुस्तिकाओं से बाहर निकाल कर आम लोगों की जानकारी में लाने के लिये इस प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं। इसके

अतिरिक्त लोगों को अधिकारों बारे जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा संविधान की धाराओं की व्याख्या की गई है से भी लोगों को अवगत करवाया जाता है।

कानूनी सहायता सरकार के विरूद्ध किए गए मुकद्दमों में भी उपलब्ध है अगर दोनों ही पक्ष मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र हैं तो दोनों को ही सहायता दी जा सकती है। क्योंकि निःशुल्क सहायता प्रदान करने का उद्देश्य सिर्फ, निर्धन, असहाय व लाचार लोगों को अदालत से अपने मामलों को निपटाने के लिए समर्थ बनाना है।

कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी कानूनी मामले में या विधिक सहायता प्राप्त करने में आई किसी मुश्किल के बारे में सीधे ''सदस्य सचिव'' हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.सी.ओ 142-143, सैक्टर 34-A चण्डीगढ़–160022 से भी सम्पर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी पात्र व्यक्ति कानूनी समस्या बारे पत्र व्यवहार करके सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है।

III. धारा 50 सी.आर.पी.सी. के अधीन हिरासत व जमानत सम्बन्धित अधिकार

समाज में न्याय व्यवस्था रखना राज्य सरकार का संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य है। भारत का संविधान भारत के लोगों को समान अधिकार और जीवित रहने का अधिकार प्रदान करता है तथा संविधान के तहत लोगों का यह मूलभूत अधिकार है कि बिना किसी अभियोग के किसी भी व्यक्ति को सजा न दी जाए और दोषी व्यक्ति को केवल उतनी ही सजा दी जाए जितनी का कानून में प्रावधान है। किसी ऐसे दोषी व्यक्ति को दो बार किसी एक विशेष अभियोग में सजा नहीं दी जा सकती है।

सामाजिक अव्यवस्था तथा अपराधिक व असामाजिक तत्वों से जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग की रचना की गई है। पुलिस विभाग का मुख्य कर्तव्य जनता की सुरक्षा व सहयोग देना है परन्तु कई बार कानून प्रदत्त इन शक्तियों का पुलिस विभाग के कुछ कर्मियों द्वारा दुरूपयोग किया जाता है और कई बार जनता से पुलिस विभाग का अपना कर्तव्य पालन करने के लिए समुचित सहयोग प्राप्त नहीं होता। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हर व्यक्ति यह जान सके कि उसके अधिकार और कर्तव्य मुख्यतः बन्दी बनाए जाने पर व जमानत करवाने सम्बन्धी क्या है।

पुलिस विभाग को बन्दी बनाने का अधिकार कानून प्रदत्त है परन्तु यह अधिकार असीमित नहीं है। कानून में यह व्यवस्था है कि समुचित कारण होने पर या अपराध जघन्न होने पर ही, पुलिस किसी व्यक्ति को बन्दी बना सकती है। मुख्यतः अपराध दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैः-

(क) संज्ञेय अधिकार

(ख) असंज्ञेय अधिकार

संज्ञेय अधिकार

इस प्रकार के अपराधों के लिए पुलिस बिना किसी वारण्ट के संदिगध अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। सामान्यतः गम्भीर अपराधों के लिए ही बिना वारण्ट गिरफ्तार करने का अधिकार है। गम्भीर या जघन्य अपराधों की श्रेणी में मुख्यतः निम्नलिखित अपराध आते हैंः-

1. अगर वह हत्या, बलात्कार, अपहारण जैसे अपराधों का दोषी हो
2. अगर उस पर चोरी-डकैती इत्यादि का अभियोग हो, या उसके पास चोरी का सामान इत्यादि बरामद हो।
3. अगर वह इश्तहारशुदा भगोड़ा हो।
4. अगर वह जेल से फरार हुआ हो।

5. अगर व किसी भी सेना से भागा हुआ हो।

6. गंभीर चोट पहुंचाना, बिना अधिकार प्रवेश करना, नाजायज शराब कशीद करना व रखना, इन्यादि भी संज्ञेय अपराध की परिभाषा में आते हैं।

असंज्ञेय अपराध

इस प्रकार के अपराधों में छोटे-मोटे और व्यक्तिगत अपराध जैसे कि किसी पर बिना चोट पहुंचाए हमला करना, किसी की मान हानि करना या किसी को गाली गलौच देना गैर-कानूनी तौर पर दूसरी शादी करना आदि आते हैं। असंज्ञेय अपराध बारे जब पुलिस में सूचना दी जाती है, तो वैसी सूचना रोजनामचा में दर्ज की जाती है और सूचना देने वाला व्यक्ति पुलिस को बाध्य नहीं कर सकता कि वह प्रथम सूचना रिर्पोट (एफ०आई०आर०) दर्ज करें। इस प्रकार के असंज्ञेय अपराधों को पुलिस अनुवेषण या तहकीकात बिना इलाका मैजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त किए बिना नहीं कर सकता है।

गिरफ्तार होने पर अपराधी के अधिकार

अपराधी को अधिकार है कि उसे यह जानकारी मिलेंः-

1. कि वह किस अपराध में हिरासत में लिया जा रहा है।

2. अगर वह वारण्ट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो वह उव वारण्ट को देखे और पढ़े।

3. किसी वकील को बुलाकर सलाह ले सके।

4. अदालत के समय 24 घण्टे के भीतर पेश किया जाए।

5. उसे यह जानकारी दी जाए कि वह जमानत ले सकता है कि नहीं।

6. अगर अदालत द्वारा उसे पुलिस हिरासत में रखने का आदेश हो तो वह अपना डाक्टरी मुआयना किसी सरकारी अस्पलात से करवाए।

7. उसे किसी ऐसे बयान को देने के लिए बाध्य न किया जाए जो अदालत में उसके अपने खिलाफ साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हो।

8. अगर 24 घण्टों के दौरान उसके साथ कोई अत्याचार या जोर जबरदस्ती की गई तो वह इलाका मैजिस्ट्रेट को इस बारे में बताए व उचित आदेश प्राप्त कर सके।

उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार हथकड़ी लगाए जाने सम्बन्धी अधिकार

उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश जारी किए गये हैं कि अपराधी को हथकड़ी सामान्यतः नहीं लगाई जाएगी बल्कि उचित कारणों पर ही लगाई जा सकती है जैसे (अपराधी द्वारा भागने की कोशिश या अपराधी के हिंसक होने की स्थिति या अन्य किसी ऐसे उचित कारण होने पर, व लिखित रूप से आदेश प्राप्त करने पर ही अपराधी को हथकड़ी लगाई जा सकती है।

जमानत के अधिकार

जमानत के अधिकार को आधार मानकर, अपराधों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता हैः-

1. **धारा 436 सी०आर०पी०सी०** :- जमानत योग्य अपराध जिनमें जमानत प्राप्त करना अधिकार है।

2. **धारा 437 सी०आर०पी०सी०** :- बिना जमानत योग्य अपराध जिनमें जमानत देना या ना देना अदालत की इच्छा पर निर्भर करता है।

3. **धारा 436 सी०आर०पी०सी०** :- इस श्रेणी में आने वाले केसों में अपराधी जमानत करवाने का अधिकार रखता है और अगर वह मैजिस्ट्रेट या पुलिस द्वारा मांगी गई जमानत देता है तो उसे जमानत पर रिहा करना आवश्यक है।

4. **धारा 437 सी०आर०पी०सी० गैर जमानत योग्य अधिकार** :- इन अपराधों में जमानत सिर्फ अदालतों द्वारा दी जाती है और अदालत द्वारा अपराध की गम्भीरता, साक्ष्य को सुरिक्षत रखना इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए, जमानत दरखास्त मंजूर या नामंजूर की जा सकती है।

महिला अपराधी के अधिकार

महिला अपराधियों के इसके अतिरिक्त भी कुछ अधिकार हैः-

1. महिला अपराधी को किसी महिला पुलिस की ही हिरासत में रखा जा सकता है।

2. किसी महिला को किसी अपराध की पूछताछ के लिए सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किसी भी पुलिस स्टेशन व चौकी में नहीं बुलाया जा सकता औा पूछताछ के वक्त महिला आरक्षी का उपस्थित रहना आवश्यक है।

3. किसी भी महिला अपराधी की डाक्टरी जांच महिला डाक्टर द्वारा ही करवाई जा सकती है।

4. किसी गिरफतार महिला की तलाशी केवल महिला ही ले सकती है।

5. घर की तलाशी लेते वक्त महिला को अधिकार है कि वह तलाशी लेने वाली महिला अधिकारी/अधिकारी उस महिला को घर से बाहर आने का समय दें।

धारा 53-54 सी०आर०पी०सी० के अधीन अपराधी की डाक्टरी जांच

पुलिस अधिकारी अदालत में दरखास्त देकर अपराधी का डाक्टरी मुआयना करवा सकता है ताकि उस डाक्टरी सर्टीफिकेट को वह साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर सके। जैसे बलात्कार के अपराध में वह शराब पीने का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी डाक्टरी जांच का आदेश अदालत से हासिल कर सकता है।

अपराधी स्वयं भी अपनी डाक्टरी जांच की लिए अदालत को प्रार्थना पत्र दे सकता है। ताकि यह साबित कर सके कि उस पर पुलिस द्वारा जयादती या मार-पीट की गई है।

बलात्कार इत्यादि अपराधों की शिकार महिलाएं अपनी डाक्टरी जांच करवाने मे पुलिस से आमतौर पर सहयोग नहीं करती। उन्हें ऐसी जांच के लिए बाध्य तो नहीं किया जा सकता लेकिन परिणामस्वरूप आवश्यक साक्ष्य की कमी रह जाने के कारण अपराधी कानून के शिकंजे से छूटने में सफल हो जाता है और समाज में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि पुलिस को जनता का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त हो।

धारा 438 सी०आर०पी०सी० के अधीन अग्रिम जमानतः

गैर जमानती अपराधों मे अग्रिम जमानत का भी प्रावधान है। इस कानून की धारा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके विरूद्ध गैर जमानती अपराध का मुकदमा दर्ज किया गया हो सैशन अदालत या उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत करवाने हेतू प्रार्थना-पत्र दे सकता है। अदालत मुकद्दमें के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए, शर्तो पर या बिना शर्त के अग्रिम जमानत मन्जूर या नामन्जूर कर सकती है।

अगर कोई अपराधी स्वयं वकील का खर्च वहन करने में असमर्थ है तो उसे सरकारी खर्चे पर वकील अदालत द्वारा दिलाया जा सकता है। बल्कि अदालत स्वयं भी इस बात के लिए बाध्य है कि अगर किसी अपराधी के पास वकील न हो तो स्वयं उसे सरकारी खर्चे पर वकील देने की आज्ञा दें। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित कानूनी सहायता समितियां भी गरीब, नि :स्सहाय महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लोगों, इन्यादि का सरकारी खर्चे पर वकील तथा मुकद्दमें के अन्य खर्चो को उनके आवेदन देने पर वहन करता है।

जमानतः

इस शब्द का अभिप्राय यह है कि जहां कोई व्यक्ति किसी फौजदारी मुकद्दमें में अभियुक्त हो और अदालत उसके केस की सुनवाई के दौरान उसे जेल में बन्द रखने के बजाय उसे ''जमानत'' पर छोड़े जाने के आदेश देती है तो उस सूरत में जो व्यक्ति उस अभियुक्त की उस अदालत में समय-समय पर हाजिर रहने की जिम्मेदारी लेता है, वह व्यक्ति उस अभियुक्त का जमानती कहलाता है और अगर वह व्यक्ति इस जिम्मेदार को निभाने में असफल रहता है तो वह अपने द्धारा ज़मानतनामें में लिखी रक्म (या उससे कम रक्म) अदालत के आदेश अनुसार देने का बाध्य रहता है। जब तक अभियुक्त या उसके ज़मानती पर अदालत द्वारा कोई जुर्माना अभियुक्त की किसी गैर हाजरी बारे नहीं लगाया जाता तब तक कोई भी रक्म दोषी या उसके जमानती द्वारा किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को देने की कोई जरूरत न है। जब कभी ऐसी कोई रक्म कोई अदा करता है तो वह उस अदायगी की सरकारी रसीद पाने का हकदार है।

IV. वाहन दुर्घटना के अन्तर्गत मुआवजा

सड़कों पर दिनों दिन बढ़ती भीड़ व बढ़ते हुए यातायात के कारण मोटर दुर्घटनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। दुर्घटना की शिकार व्यक्ति को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। भारत देश कल्याणकारी देश होने के नाते इस प्रकार की सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। सबसे प्रमुख कार्य दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्रातिकार या हर्जाना दिलाना होता है। मोटर गाड़ियों से सम्बन्धित कानून को अधिक कल्याणकारी और व्यापक बनाने के लिए मोटरयान अधिनियम 1988 (59 आफॅ 1988) नया मोटरयान अधिनियम सड़क यातायात तकनीकी ज्ञान, व्यक्ति तथा माल की यातायात सहूलियत के बारे में व्याख्या करता है। इसमें मोटर दुर्घटनाओं के लिए प्रतिकार दिलाने की व्यवस्था है। इस कानून के अन्तर्गत मोटरयान का तात्पर्य सड़क पर चलने योग्य बनाया गया प्रत्येक वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड़ व सड़क कूटने का इंजन इत्यादि से है। इनसे होने वाला प्रत्येक दुर्घटना मोटर दुर्घटना मानी जाती है और उसके लिए प्रतिकार दिलाया जाता है।

धारा 166 (ज्ञात मोटरयान से दुर्घटना जब गलती मोटर वाले की हो)

यदि दुर्घटना मोटर के स्वामी या चालाक की गलती से होती है तो उसके लिए प्रतिकर मांगने का आवेदन, उस इलाका के दुर्घटना दावा अधिकरण (मोटर दुर्घटना अध्यर्थना न्यायाधिकरण) जो कि जिला न्यायाधीश होता है को दिया जाता है वहां दुर्घटना होती है या जिस स्थान का आवेदक रहने वाला है या जहां प्रतिवादी रहता है उस अधिकरण के पास आवेदन आवेदक की इच्छानुसार स्थान का चयन करते हुए दायर किया जा सकता है।

आवेदन घायल व्यक्ति स्वयं, विधिक प्रतिनिधि या एजेंट द्वारा दे सकता है। मृत्यु की दशा में मृतक का कोई विधिक प्रतिनिधि या उसका एजेंट आवेदन दे सकता है। जो छपे फार्म पर दिया जाता है। अगर छपा फार्म उपलब्ध न हो तो फार्म की नकल सादे कागज पर करके आवेदन दिया जा सकता है। एक आवेदन में मोटर के मालिक व चालक को तो पक्षकार बनाया ही जाता है बल्कि बीमा कम्पनी को भी पक्षकार बनाना चाहिए क्योंकि कोई भी मोटर गाड़ी बीमा करवाए बिना नहीं चलाई जा सकती। मोटरयान कर स्वामी इस बात के लिए आवद्ध है कि वह बीमा कम्पनी का नाम बताएं। दावा अधिकारी मुकद्दमें की सुनवाई करता है जो कि प्रायः संक्षिप्त होती है। दावा में यह साबित करना होता है कि :-

(1) दुर्घटना उस मोटर गाड़ी से हुई।

(2) मोटर वाले की गलती के कारण हुई

(3) दुर्घटना से क्या हानि हुई

यदि दुर्घटना से मृत्यु होती है तो दावेदारों को यह भी साबित करना होता है कि मृतक के दावेदारों को क्या लाभ होता था व क्या लाभ भविष्य में होने की आशा थी। इसके आधार पर प्रतिकर की राशि नियत की जाती है, सम्पति की हानि भी साबित करनी होगी व 6,000 रूपये तक मुआवजा अधिकरण दे सकता है। अगर किसी वाहन की बीमा राशि में अतिरिक्त बढ़ौतरी बाबत असीमित नुक्सान की जिम्मेवारी जमा कराया गया हो तो उस सूरत में बीमा कम्पनी 6,000 रूपये से अधिक रक्म की सम्पति नुकसान की भी भरपाई करने की जिम्मेवार होगी अन्यथा इससे अधिक की राशि के लिए दिवानी दावा करना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को दुर्घटना से चोट लगी है तो उसके इलाज पर होने वाल व्यय, काम न कर पाने के कारण होने वाली हानि, आदि के विषय में प्रतिकर देय है। यदि कोई गम्भीर चोट आती है जिसका स्थाई प्रभाव हो जैसे की कोई लंगड़ा या काना हो जाए तो उसे शेष जीवन, उससे होने वाली असुविधा व हानि का भी प्रतिकर देय होगा। राशि बीमा कम्पनी द्वारा ही चुकाई जाती है। परन्तु तात्पर्य यह नहीं कि वह मोटर वाले से वसूल नहीं की जा सकती है। राशि जितनी दिलाई जाए वह चाहे कम्पनी चाहे मालिक या फिर दोनों से ही दिलाई जा सकती है।

यह भी हो सकता है कि मोटर चालक या स्वामी का दोष साबित न हो पाये। उस सूरत में चाहिए कि आवेदन में ही यह मांग भी की गई हो कि गलती न होने पर मिलने वाले प्रतिकर तो दिलाया ही जाए। इस प्रकार यदि मोटर वाले की गलती साबित हो तो पूरा, अगर न साबित हो तो नियम प्रतिकर मिल जायेगा।

(ड.) मुआवजा लेने सम्बन्धित कार्यवाई

मोटर दुर्घटना की रिपोर्ट थाने में करनी चाहिए। रिर्पोट घायल व्यक्ति स्वयं या उसका कोई साथी लिखवा सकता है। रिपोर्ट में दुर्घटना का समय, स्थान, वाहन का नम्बर, दुर्घटना का कारण इत्यादि लिखवाने चाहिए। चोट के बारे में शीघ्रातिशीघ्र डाक्टरी जांच करवानी चाहिए। सम्पति हानि का विवरण भी देना चाहिए। गवाहों के नाम भी लिखवाने चाहिए। यदि बहुत घायल हुए हों तो प्रत्येक को अलग रिर्पोट लिखवाने की आवश्यकता नहीं, परन्तु यह देख लेना चाहिए कि रिर्पोट में पूरी बात आ गई है या नहीं ज्यादा घायल होने पर रिर्पोट अस्पताल में पुहंचने के बाद भी लिखवाई जा सकती है। डाक्टरी परीक्षा की नकल प्राप्त कर लेनी चाहिए और इलाज के कागज सावधानी से रख लेने चाहिए ताकि प्रतिकर लेते वक्त हानि साबित करने में सुविधा रहे।

मृत्यु होने की दशा में शव परिक्षा पुलिस करवाती है लेकिन दुर्घटना में लम्बी चोटों के कारण मृत्यु कुछ दिन बाद होती है तो भी शव परिक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि यह मृत्यु भी दुर्घटना में घायल होने के कारण ही मानी जाती है। पुलिस को की गई रिर्पोट को भी मोटर दुर्घटना अध्यर्थना न्यायाधिकरण हर्जाने के लिए स्वीकार कर सकती है।

धारा 173 के अधीन अपील

दावा अधिकरण के निर्णय से असन्तुष्ट कोई भी व्यक्ति निर्णय की तारीख के 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उचित कारण बताए जाने पर, उच्च न्यायालय 90 दिन के अविध के बाद भी अपील की सुनवाई कर सकता है अगर प्रतिकर की रक्म 10,000/- रूपये से कम हो तो अपील नहीं की जा सकती है और अगर प्रतिकर की रक्म ज्यादा हो तो अपील करने से पहले 25,000/- रूपये या प्रतिकर का 50 प्रतिशित जो भी कम हो, उच्च न्यायालय में जमा करवाना पड़ता है।

अधिकरण द्वारा दिलाई गई रक्म प्राप्त करने की विधि :- यह रक्म निर्णय के 30 दिन के अन्दर देय होती है अधिकरण द्वारा दिलाई गई रक्म की वसूली के लिए एक प्रमाण-पत्र जिला कलैक्टर के नाम भी प्राप्त किया जा सकता है। जिला कलैक्टर इस रक्म को मालगुजारी की बकाया रक्म की तरह-कुर्की गिरफतारी आदि से वसूल करवा सकता है। अन्यथा मोटर दुर्घटना अध्यर्थना न्यायाधिकरण खुद भी इजराए के जरिए मुआवजे की रक्म उतरवादियों से वसूल कर सकता है।

(च) कानूनी सहातया कार्यक्रमों के अर्न्तगत लोक अदालत द्वारा दुर्घटनाओं में प्रतिकर सम्बन्धी वादों के निर्णय की विधि

मोटर दुर्घटना के प्रतिकर सम्बन्धी वादों के लोक अदालतों में संधिकर्ताओं की मद्द से तय कराने का प्रयास किया जाता हैं जो आवेदक अपना निर्णय, लोक अदालत के माध्यम से करवाने के इच्छुक हैं वह छपे फार्म में दी गई सूचनाओं के साथ प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित अधिकरण को दे सकता है जिसमें वह यह अनुरोध कर सकता है कि उसका निर्णय लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र करवाया जाए। इस आवेदन पर मोटर मालिक व बीमा कम्पनी को सूचना भेज कर निश्चित समय पर बुलाया जाएगा व प्रतिकर के बारे समझौते द्वारा निर्णय करवाने की कोशिश की जाएगी। ऐसी दशा में बीमा कम्पनी या मालिक से आवेदक की धन राशि बिना किसी विलम्ब के दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

V. धारा 125-128 सी०आर०पी०सी० के अधीन पत्नी, बच्चों व माता-पिता के खर्चे व भरण-पोषण के अधिकार

मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पशुओं जैसा व्यवहार तो नहीं करता क्योकि मानव में सोच समझ की शक्ति और बुद्धि है जो कि पशु में नहीं होती। फिर भी सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहते हुए किसी पारिवारिक कलह या पति-पत्नी का झगड़ा इस तरह बढ़ता है कि पति पत्नी अलग रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यही झगड़ा कभी-कभी संबंध विच्छेद की स्थिति तक पहुंचा देता है। आपस के झगड़े में केवल दोनों ही कष्टता की चक्की में नहीं पीसे जाते परन्तु उनके साथ नाबलिग बच्चे भी संकट व कष्ट भोगते है। इसी प्रकार वृद्ध असहाय माता-पिता को उनके पुत्र या पुत्री भूलकर उनकी अवहेलना करते है और ऐसे असहाय वृद्ध रोटी कपड़ों के लिए तरसते रह जाते है। मानव को सम्मान की जिन्दगी बसर करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकता है। जैसे की पानी तथा वायु की। संसार में जो प्राणी आया है कि उसे अपने को जीवित रखने के लिए भर पेट खाने की आवश्यकता है। कई बार पारिवारिक कलह के कारण पत्नी, नाबालिग बच्चे, वृद्ध, महिला लाचार हो जाते हैं क्योंकि वह अपना भरण-पोषण करने में सामर्थ नहीं रहते हैं।

इसलिए हम सभी का सामाजिक कर्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार के पारिवारिक कलह से दुखी दम्पती को सही रास्ते पर लाए तथा उनका उचित मार्गदर्शन करें ताकि वह अपने बच्चों का भविष्य सुखमय व सुन्दर बना सकें। इस प्रकार दंपति का भी यह सामाजिक कर्तवय बनता है कि वह पारिवारिक कलह को भूलकर अपने लिए नही ंतो बच्चो के भविष्य के लिए सुखमय जीवन व्यतीत कर सामाजिक तथा पारिवारिक शांति को बनाए रखें। कई बार पति-पत्नी का झगड़ा पारिवारिक कलह से बढ़कर पति-पत्नी के अलग रहने से लेकर सम्बन्ध विच्छेद तक की स्थिति तक पंहुचा देता है। इस कलह की चक्की में सन्तान भी पिस जाती है। कई बार वृद्ध असहाय माता पिता भी पुत्र व पुत्रियों की अवेहलना का शिकार बने, पैसे-पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। पति पत्नी, बच्चों व माता-पिता को खर्चा प्राप्त करने सम्बन्धित अधिकार है, आईए इस पर चर्चा करें। पत्नी, नाबालिग बच्चों या बूढ़े मां-बाप, जिनका कोई अपना भरण-पोषण का सहारा नहीं है और जिन्हें उनके पति/पिता ने छोड़ दिया है या बच्चे अपने मां बाप के बुढापें में उनका सहारा नहीं बनते हैं और उनको भरण-पोषण का खर्च नहीं देते हैं तो धारा 125 दण्ड प्राक्रिया संहिता के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति खर्चा गुजारा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। इस धारा 125 दण्ड प्राक्रिया संहिता, 1973 के तहत पति या पिता का यह कानूनी कर्तव्य है कि वह पत्नी, जायज या नाजायज नाबलिग बच्चों का पालन पोषण करें। अगर ऐसा पति या पिता पत्नी या बच्चों को खर्चा देने से इन्कार करें तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र या दरखास्त देने पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को कानूनी अधिकार है कि वह आवदेक को 500 रूपये खर्च प्रति व्यक्ति की दर से

प्रदान करें और यह रकम उस पति से या पिता से अदालत के निर्देश द्वारा जबरन वसूल की जा सकती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 तक इस सामाजिक समस्या निवारण के लिए बनाए गये कानून हैं। इन धाराओं के अधीन, निश्रित पत्नी, बच्चे व माता-पिता याचिका प्रथम श्रेणी के ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में दायर कर सकते हैं।

खर्चा प्राप्त करने के लिए याचिका ऐसे अधिकार क्षेत्र वाले ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी की अदालत में दी जा सकती है।

जहां पति उस समय रह रहा हो।

जहां प्रतिवादी हाल तक आवेदक के साथ रहता रहा हो,

जहां आवेदक रहता हो/जहां प्रतिवादी का स्थाई निवास हो,

जहां पति-पत्नी याचिका से पहले (चाहे अस्थाई रूप से) रह रहे हों।

(क) धारा 125 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही की प्रणाली

खर्चे के लिए दी गई याचिका-आरोप पत्र न होकर एक याचिका होती है इसलिए प्रतिपक्षी को अभियुक्त नहीं बल्कि प्रत्यार्थी माना जाता है। यह कार्यवाही पूर्णतया फौजदारी नहीं होती बल्कि अर्ध-फौजदारी होती है।

याचिका अदालत में प्रत्यार्थी को सम्मन जारी किये जाते हैं। अगर प्रत्यार्थी सम्मन लेने से जान बूझकर इन्कार करे या सम्मन मिलने के बावजूद अदालत में उपस्थित न हों तो उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा सकते हैं।

एक तरफा फैसले का आदेश उचित कारण साबित किये जाने पर तीन महीने के अन्दर रद्द करवाया जा सकता है। प्रार्थी या प्रत्यार्थी दोनों पक्षों को अपने आरापों को साबित करने के लिए गवाही देने का अधिकार है। दोनों पक्ष स्वयं अपने गवाह के तौर पर अदालत के समक्ष पेश होने का अधिकार रखते हैं। केस व अनुमान ***सावित्री* बनाम *गोबिन्द सिंह रावत,*** 1986(1) सी.एल.आर.पेज नं० 331 में उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि जब तक 125 सी०आर०पी०सी० के तहत कारवाई पूरी होने तक गुजारा भता बारे कोई अन्तिम फैसला नहीं होता तब तक अन्तरिम आदेश के तहत 125 सी०आर०पी०सी० की दरखास्त दायर होते ही गुजारा भता दिया जा सकता है। यहां यह भी बताना उचित होगा कि केस व अनुमान ***श्रीमती कमला वगैरा बनाम महिमा सिंह,*** 1989(1) सी.एल.आर.पेज न० 501 में दर्ज, उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के मुताबिक ऐसी हर दरखास्त जेर धारा 125 सी०आर०पी०सी० दुबारा चालू हो सकती है जो प्रार्थीय के न आने के कारण खारिज कर दी गई हो। यहां यह भी बताना उचित होगा कि केस व अनुमान ***पवित्र सिंह* बनाम *भुपिन्द्र कौर,*** 1988 एस.एल.जे. पेज न० 164 में दर्ज

उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक ऐसी दरखास्त जेर धारा 125 सी०आर०पी०सी० जो राजीनामा की वहज से वापिस ले ली गई हो दुबारा चलाई जा सकती है अगर उस केस का राजीनामा टूट जाये।

(ख) धारा 125 सी०आर०पी०सी० के अधीन खर्चा प्राप्त करने की पात्रता

हर उस व्यक्ति पर जो साधन सम्पन्न है, यह कानूनी दायित्व है कि वहः

अपनी पत्नी जो अपना, खर्चा स्वयं वहन न कर सकती हों,

अपने नाबालिग बच्चों (वैध व अवैध) जो स्वयं अपना खर्चा चलाने में असमर्थ हो,

अपने बालिग बच्चों (वैध व अवैध) सिवाय विवाहित पुत्री के) जो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने पर अपना खर्चा स्वयं वहन न कर सकते हों,

अपने वृद्ध व लाचार माता पिता जो स्वयं अपना खर्चा उठाने में असमर्थ हो, कि वह उनका खर्चा व पालन पोषण का व्यय उठाएं।

ध्यान रहे कि केवल कानूनन व्याहिता पत्नी ही खर्चा लेने की अधिकारिणी है। दूसरी (पत्नी जो विवाह कानून द्वारा मान्य नहीं है, या रखैल, खर्चा प्राप्त करने की हकदार नहीं है लेकिन वैध या अवैध सन्तानें इस धारा के अन्तर्गत खर्चा लेने की हकदार है।)

(ग) खर्चा प्राप्त करने हेतू साक्ष्य

खर्चा प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को निम्नलिखित बातें साबित करना आवश्यक हैः-

(क) कि प्रार्थी के पास खर्चा देने के पर्याप्त साधन हैं।

(ख) वह जानबूझकर भरण-पोषण देने में आनाकानी या इन्कार कर रहा है।

(ग) आवेदक प्रत्यार्थी के साथ न रहने के लिए मजबूर है, अगर पति के खिलाफ व्यभिचार (परस्त्रीगमन) निर्दयता (शारीरिक व मानसिक) दूसरी शादी या अन्य ऐसे कोई आरोप साबित हो तो पत्नी द्वारा अलग रह कर खर्चा प्राप्त करने का अधिकार मान्य होगा।

(घ) आवदेक के पास स्वयं अपना खर्चा चलाने के लिए कोई साधन उपलब्ध न है।

(क) लेकिन अगर पत्नी स्वयं व्यभिचारणी का जीवन बिता रही है।

(ख) या पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति के साथ रहने से मना करती हो

(ग) पति–पत्नी स्वयं रजाबन्दी से अलग रह रहे हों, तो खर्चा प्राप्त करने की याचिका रद्द की जा सकती है।

अदालत द्वारा प्रति माह व्यक्ति (आवेदक) 500/- रूपये से अधिक खर्चे का आदेश नहीं दिया जा सकता। यह आदेश अदालत द्वारा दोनों पक्षों की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों, उनकी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। किसी भी पक्ष की परिस्थितियों में फेर बदल होने पर खर्च के आदेश को रद्द या कम या ज्यादा किया जा सकता है।

(ड़) धारा 127 सी०आर०पी०सी० के तहत खर्चे मे तबदीली

अगर खर्चा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अदालत द्वारा प्रदान किये हुए खर्चे से गुजारा नहीं होता या जिस व्यक्ति के विरूद्ध खर्चा लगवाया गया है उसकी आर्थिक स्थिति में खर्चे के निर्देश उपरान्त तबदीली आती है तो खर्चा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अधिकार है कि वहा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में खर्चा बढ़ाने के लिए आवेदन धारा 127 दण्ड प्राक्रिया संहिता के तहत दे सकता है। 2001 के अधिनियम 50 ने तबदीली लाई है कि खर्चे की रकम अदालत हालत के मुताबिक तय करेगी और इसकी कोई सीमा न होगी। अगर इस प्रकार के आवेदन पर पत्नी, बच्चों या माता पिता के खर्चा तबदीली करने की सुनवाई करता है तो अदालत किसी दिवानी दावे में हुए फैसले को भी मद्देनजर रखेगी।

इस प्रकार अगर किसी पत्नी ने तलाक लिया है या पति ने उसे तलाक दिया है और ऐसी पत्नी तलाक लेने के उपरान्त दूसरी शादी कर लेती है तो अदालत को अधिकार है कि वह पति के आवेदन पर ऐसी पत्नी के खर्चा गुजारे के आदेश को उसके द्वारा शादी करने की तारीख से रद्द कर सकती है।

(च) धारा 128 सी०आर०पी०सी० के अधीन आदेश कैसे लागू किया जाता है

अगर प्रत्यार्थी बिना किसी उचित कारण के ओदश का उलंघन करता है तो खर्चे की रकम के बारे में वारन्ट जारी किया जा सकता है। वारन्ट जारी होने के बावजूद मासिक खर्चे के भुगतान होने की स्थिति में प्रत्यार्थी को एक माह तक की कैद हो सकती है। खर्चे के आदेश को लागू करने की याचिका, देय तिथि के एक साल के भीतर दिया जाना अनिवार्य है। हमारे उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के मुताबिक प्रत्यार्थी को उतने महीने तक लगातार जेल में बन्द रखा जा सकता है जितने महीने तक का गुजारा भता उसने नहीं अदा किया हो। यहां यह भी कहना उचित है कि किसी भी पत्नी को अपने पति से देय गुजारा वसूल करने के लिये अदालत में कोई पैसा जमा करवाने की जरूरत नहीं होती इस बाबत देखिये केस व

अनुमान एमपरर बनाम सरदार मोहम्मद, ए.आई.आर. 1935, लाहौर, पेज 758 में दर्ज)

VI. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 खाद्य पदार्थो में मिलावट के निवारण से सम्बन्धित कानून

राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की भलाई के उद्देश्य से कानून बनाये जाते हैं और इसी उद्देश्य से खाने पीने की चीजों में मिलावट को रोकने के सम्बन्ध मे खाद्य अपमिश्रण निवारण, 1954 बनाया गया जिसका एक मात्र उद्देश्य खाने के सामान में मिलावट को रोकना है। खाने पीने की चीजों में मिलावट करना एक बहुत ही घृणित, निदनीय और बड़ा अपराध है क्योंकि ऐसा करके मिलावट करने वाला व्यक्ति अपने आर्थिक लाभ के लिए दूसरों के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ करता है अतः ऐसे अपराध के लिए कठोर दण्ड दिया जाना आवश्यक है।

2. धारा 2 के तहत खाद्य पदार्थ अर्थात् खाने पीने की चीजें क्या हैं – मनुष्य के उपयोग में लाई जाने वाली हर खाने व पीने की चीजों (दवाईयों व जल को छोड़कर) खाद्य पदार्थ हैं। मनुष्य के खाने तथा पीने के सामान को बनाने में अथवा स्वाद के लिए जो चीजें उसमें मिलाई जाती हैं अथवा इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें भी इस परिभाषा में रखा जाता है।

3. धारा 2 के तहत अपमिश्रण यानी मिलावट क्या हैं – कोई भी खाने पीने की चीज मिलावटी (अपमिश्रण) समझी जायेगी यदि बेचने वाले द्वारा बेची गई वह चीज ऐसे स्वरूप तत्व व गुण की नहीं है जैसे की खरीददार द्वारा मांगी गई हो। ऐसी खाने पीने की चीजों में यदि कोई सड़ी, गली चीज मिली हो अथवा कीड़े पड़े हों अथवा इस तरह का रंग मिलाया गया हो जो शुद्व न हो, या स्वास्थय के लिए हानिकारक कोई वस्तु मिली हो तो भी ऐसी सभी खाने पीन की चीजों को मिलावटी माना जाता है। यदि इन चीजों को ऐसी परिस्थितियों में व ऐसे स्थान पर बनया गया हो जो स्वच्छ न हो अथवा उनमें कोई चीज निर्धारित मात्रा में न मिलाई गई हो तो ऐसी अवस्था में भी उनको मिलावटी माना जाता है यदि किसी खाद्य पदार्थ की शुद्धता निर्धारित मात्रा से कम पाई जाती है तब भी वह खाद्य पदार्थ मिलावटी माना जाता है।

4. धारा 7 और 9 के तहत निरीक्षण के कर्तव्य एवं अधिकार – खाद्य निरीक्षण (फूड इस्पैंक्टर) का मुख्य कर्तव्य यह है कि वह यह देखगा कि उसके क्षेत्र में खाद्य पदार्थ की बिक्री निर्माण व रखने (भण्डारीकरण) से संबंधित सभी कारोबार करने वाले दुकान अधिष्ठान आदि कानूनन लाईसैन्स पर चल रहे हैं तथा लाईसैंस की सभी शर्तो का नियमानुसार पालन किया जा रहा है। कानूनी प्रावधानों व नियमों का उलंघन होने का शक होने पर खाद्य निरीक्षक खाद्य पदार्थ का नमूना ले लेगा। लिए गए नमूने को नियमानुसार जन विषलेशक द्वारा जांच कराना तथा जांच के

परिणाम के अनुसार आगे कि कानूनी कार्यवाही किया जाना भी खाद्य निरीक्षक का कर्तव्य होता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन खाद्य निरीक्षक को अनेक शाक्तियां अर्थात अधिकार आदि भी दिये गये हैं। खाद्य निरीक्षक ऐसे स्थान में भी प्रवेश करके निरीक्षण कर सकता है जहां मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाया जा रहा है या बेचने के लिए दिखाया जा रहा है या बेचा जा रहा है। नमूना लेते समय खाद्य निरीक्षण उस पदार्थ के बाजार भाव के अनुसार उस व्यक्ति को जिससे नमूना लिया जा रहा है मूल्य अदा करेगा।

5. धारा 12 के तहत खरीददार द्वारा नमूना लेने का अधिकार – खाद्य निरीक्षक के अलावा कोई भी खरीददार खरीदे गये खाद्य पदार्थ को जन–विशलेषक द्वारा जांच हेतु भेज सकता है किन्तु ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि खरीददार खाद्य पदार्थ को खरीदते समय दुकानदार को यह सूचित कर दे कि वह खाद्य पदार्थ को जांच हेतू भेजेगा। ऐसी दशा में खरीददार को स्वयं पैसा देकर खाद्य पदार्थ खरीदना होगा और जहां तक सम्भव हो नीचे लिखी प्रक्रिया के अनुसार खरीदे गये सामान को सील बन्द करके जन–विशलेक को जांच हेतू भेजना होगा जिसकी फीस भी खरीददार को अदा करनी होगी यदि जन–विशलेषक द्वारा खरीदा गया सामान मिलावटी पाया जाता है तो खरीददार द्वारा दी गई फीस उसे वापिस मिल जाती है।

6. धारा 10 और 14 के तहत खाद्य निरीक्षक या खरीददार द्वारा नमूना लेने की प्रक्रिया – खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर खाद्य निरीक्षक या खरीददार दो व्यक्तियों के सामने उस खाद्य पदार्थ का नमना जांच के लिए लेता है। खाद्य निरीक्षक/खरीददार जिस व्यक्ति से वह नमूना ले रहा है। उसकी लिखित सूचना भी उसी समय दे देता है तथा दी गई नोटिस की प्रति पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा ले लेता है। उसी समय खाद्य निरीक्षक उस नमूने को तीन बराबर–बराबर हिस्सों में बांट कर तीन साफ व सुखी शीशियों में भर कर नियमानुसार सील मोहर करता है। यदि वह व्यक्ति जिससे नमूना लिया जा रहा खाद्य निरीक्षक द्वारा दिए गए नोटिस की प्रति पर हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा लगाने से इन्कार कर देता है तो खाद्य निरीक्षक मौके पर उपस्थित एक या अधिक व्यक्तियों को गवाह बना लेता है। खाद्य निरीक्षक शीशियों में नियमानुसार परीरक्षी अर्थात् वहा दवा भी मिलाता है जो पदार्थ को सड़ने या खराब होने से बचाती है, बेचने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठा भी नियमानुसार करा लिए जाते हैं।

नमूने का एक सील बन्द भाग फार्म के साथ जन–विशलेषक को जांच के लिए भेज दिया जाता है। नमूने के अन्य दो भाग फार्म के साथ एक पैकेट में बन्द करके मुख्य चिकित्साधिकारी के पास सुरक्षित जमा करा दिया जाते है। यदि जन–विशलेषक की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मिलावटी पाया जाता है तो खाद्य निरीक्षक

मुकद्दमा चलाने की इजाजत मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त करके संबंधित महानगर मैजिस्ट्रेट या न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में मुकदमा दाखित कर देता है। इसकी सूचना भी खाद्य निरीक्षक अपने मुख्य चिकित्साधिकारी को भेजता है। मुख्य चिकित्साधिकारी जन विशलेषक की रिपोर्ट की प्रति के साथ अभियुक्त को सूचना जारी करते हैं कि यदि वह नमूने की जांच केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला से करवाना चाहता हो तो वह 10 दिन के अन्दर संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकता है। यदि अभियुक्त ऐसा प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर देता है तो केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट जन-विशलेषक की रिपोर्ट से ज्यादा मान्य देती है।

धारा 16 के तहत दण्ड - खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अधीन मिलावट के अपराध के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कम से कम छः मास के कारावास की सजा तथा कम से कम एक हजार रूपये जुर्माना किया जाना जरूरी है।

उक्त अधिनियम के अधीन, अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (प्रोबेशन ऐक्ट) द्वारा प्रदत प्रावधानों का लाभ देकर प्रोबेशन पर केवल तभी छोड़ा जा सकता है जबकि अभियुक्त अठारह वर्ष से कम आयु का हो। बाकी दशाओं में अपराध सिद्ध होने पर उसे उपरोक्त प्रकार का दण्ड ही दिया जाता है नेक चलनी पर नहीं छोड़ा जा सकता।

VII. देहज निरोधक अधिनियम, 1961

महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा देहज की कुरीती को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने देहज प्रतिरोधक अधिनियम, 1961 पारित किया और इसमें 1986 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये। इस विधेयक में महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न प्रकार हैः-

धारा 2 के अधीन दहेज की परिभाषा :- इस अधिनियम के तहत ऐसी संपति या बहुमूल्य वस्तु जो प्रत्यक्ष रूप से शादी के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाती है या किए जाने के बारे में कोई सहमति होती है या शादी के पूर्व समय उपरान्त लड़के-लड़कियों में माता-पिता द्वारा या दूसरे व्यक्ति द्वारा शादी करने वाले व्यक्ति के देने बारे सहमति प्रदान की जाती है, दहेज की परिभाषा में आती है।

धारा 3 के अधीन दहेज देने व लेने वाले को दण्ड :- यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिरोधक, अधिनियम 1961 के पारित होने के उपरान्त दहेज देता या लेता या लेने-देने में उकसाता है, तो ऐसे दोषी व्यक्ति को पांच साल तक कारावास की सजा दी जा सकती है तथा न्यूनतम 15,000/- रूपये का जुर्माना किया जा सकता है या दहेज की मूल्य के बराबर की रकम का जुर्माना जो भी अधिकतम हो किया जा सकता है।

परन्तु शादी के वक्त दुल्हा या दुल्हन को दिये गये उपहार, जिन की कोई मांग न की गई हो, और जिन्हें शादी के वक्त बनाई गई सूची में दर्शाया गया हो, को इस देहज प्रतिरोधक अधिनियम, 1961 से छूट है। इसके अतिरिक्त दुल्हन या उसके रिश्तेदारों द्वारा दिए गए उपहार जो कि रीतिरिवाज के अनुसार हैं और देने और लेने वाले व्यक्ति की सहमति के मुताबिक हों, को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत छूट है।

अगर कोई व्यक्ति दहेज की मांग परोक्ष या अपरोक्ष रूप से दुल्हा या दुल्हन के माता-पिता या रिशतेदार से करे तो ऐसे व्यक्ति के दोषी साबित होने पर कम से कम 6 माह, व अधिकतम 2 वर्ष की कैद तथा 10,000/- रूपये जुर्माना हो सकता है।

इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति शादी के समय नकदी गहनें या कपड़ों या दूसरे उपहार की वस्तुओं का प्रदर्शन करे या टीका मुहुर्त के समय शगुन के रूप में 11 रूपये से अधिक की कीमत का शगुन दे या टीका अथवा शादी के समय ''मिलनी के रूप में दुल्हन, दुल्हा के माता-पिता या उनके रिशतेदारों को कोई वस्तु दे तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह की सजा या 5,000/- रूपये तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

इसके अतिरिक्त अगर शादी से सम्बन्धित कोई पक्ष शादी के उपरान्त शादी से सम्बन्धित किसी पक्ष के अधिकार तथा विशेषाधिकार से वंचित करता है या

यातना (टार्चर) देता है या दूसरे पक्ष को भरण पोषण से इस कारण वंचित रखता कि उस पक्ष ने शादी से पहले, दौरान, या बाद में, दहेज नहीं दिया है तो ऐसे व्यक्ति को एक साल का कारावास तथा 5,000/- रूपये की सजा हो सकती है। दहेज लेने-देने के बारे अगर कोई समझौता हुआ हो तो वह गैर कानूनी समझा जाता है

धारा 6 के अधीन दहेज केवल पत्नी और उसके उतराधिकारी की सुविधा के लिये

किसी व्यक्ति द्वारा दहेज की प्राप्ति किसी औरत की ओर से शादी के सन्दर्भ में की गई हो तो ऐसे व्यक्ति का यह कानूनी कर्तव्य बनता है किः-

(क) अगर दहेज शादी से पहले प्राप्त किया है तो शादी के तीन माह के अन्दर, या

(ख) यदि दहेज शादी के वक्त या बाद में लिया हो तो प्राप्त करने के तीन माह के अन्दर या,

(ग) अगर दहेज लड़की की नाबालगी के दौरान प्राप्त किया हो तो लड़की के 18 वर्ष की आयु की प्राप्ति के बाद ऐसी औरत को स्थानान्त्रण करें और तब तक दहेज की वस्तु की धरोहर (ट्रस्ट) उस औरत के फायदे के वास्ते रखे। ऐसा व्यक्ति अगर दहेज की वस्तु को औरत के नाम स्थानान्तरण न करें तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष, या कम से कम 5,000/- रूपये जुर्माना या अधिकतम 10,000/- रूपये, या दोनों की सजा हो सकती है।

अगर प्राप्त करने वाली औरत की मृत्यु दहेज प्राप्त करने से पहले हो जाती है तो उसके उतराधिकारी को अधिकार होगा कि वह दहेज की वस्तु रखने वाले व्यक्ति से उसे प्राप्त करें।

अगर शादी के 7 वर्ष के अन्दर किसी औरत की मृत्यु अस्वाभाविक या अप्राकृतिक कारणों से होती है, वह दहेज की वस्तु उसके बच्चों को मिलेगी। अगर बच्चे न हो तो उसके माता-पिता को मिलेगी।

अगर ऐसा कोई व्यक्ति औरत को या उसके उतराधिकारी को उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार दहेज की वस्तु को वापस न करें तो अदालत को दहेज की वस्तुऐं उक्त पात्र व्यक्ति को वापिस करने के आदेश देने के अधिकार हैं।

समयता का अधिकार - न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी को दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 के तहत मामले की सुनवाई करने का अधिकार निम्न परिस्थितियों में है : -

(क) पुलिस रिपोर्ट पर या अदालत द्वारा अपने आप जानकारी प्राप्त करने पर, या

(ख) व्यथित व्यक्ति द्वारा जुर्म बारे शिकायत करने पर या किसी मान्यता प्राप्त जनहित संस्था द्वारा शिकायत दर्ज करवाने पर।

इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय है और गैरजमानती है तथा समझौता नहीं हो सकता है।

विवाहित महिलाओं पर अत्याचार एवं कानूनी प्रावधान

देश में विवाहित महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किए हैं ताकि उनकी उत्पीड़ना को समाप्त किया जा सके तथा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस अध्याय में हम कानूनों में जो विधिक प्रावधान किए गए हैं कि जानकारी प्रदेश के लोगों की सूचना के लिए साधारण भाषा में प्रकाशित कर रहे हैं।

304-बी०आई०पी०सी० (दहेज के कारण मृत्यु) - भारतीय दण्ड संहिता में 1986 में संशोधन करने के उपरान्त धारा 304-बी जोड़ी गई ताकि देश में दहेज के कारण बढ़ती हुई मौतों पर अंकुश लगाया जा सके तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जा सके।

परिभाषा - अगर किसी औरत की मृत्यु जलने, शारीरक चोट लगने, या संदेहप्रद स्थिति में शादी के सात वर्ष के अन्दर होती है और यह मालूम हो जाये कि मृत्यु से पहले महिला से दहेज की मांग लेकर उसके पति या रिश्तेदार द्वारा सताया गया हो तो इस मृत्यु को दहेज के कारण की गई मौत कहा जायेगा। ऐसी स्थिति में औरत के पति या रिश्तेदार को उस महिला की मौत की जिम्मेदार माना जाएगा।

304-बी०आई०पी०सी० (दण्ड) - दोषी व्यक्ति को धारा 304-बी के तहत सात वर्ष कारावास या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। दहेज के कारण मृत्यु का अभियोग गम्भीर व जघन्य माना गया है तथा संज्ञेय जुर्म है और पुलिस को बिना वारन्ट प्राप्त किए गिरफतार करने का अधिकार है। इस प्रकार का जुर्म गैर जमानती है और अभियोग का निपटारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा किया जाता है।

पुलिस द्वारा छानबीन के अधिकार - धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस को अधिकार है कि वह बिना वारण्ट प्राप्त किए निम्न प्रकार के मामलों की जांच पड़ताल करें :-

(क) महिला द्वारा शादी के सात वर्ष के अन्दर आत्म हत्या करना,

(ख) महिला की शादी के सात वर्ष के अन्दर मृत्यु होना (यदि यह शंका हो कि किसी व्यक्ति ने उस महिला पर मृत्यु से पहले कोई जुर्म किया हो)

(ग) अगर ऐसी मृत महिला जिसकी मौत शादी के 7 वर्ष के अन्दर होती है तो उसके रिश्तेदार पुलिस को छान-बीन करने के लिए कहें।

(घ) ऐसा मामला जिसमें महिला की मौत के बारे में कोई शंका हो।

पुलिस का कर्तव्य - जब थाना प्रभारी को किसी प्रकार की मौत बारे सूचित किया जाता है उसका यह कर्तव्य है कि ऐसी महिला की अप्राकृतिक मौत जैसे आत्महत्या, हादसा, खून या किसी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, की जांच पड़ताल करें। थाना प्रभारी का कर्तव्य ऐसी स्थिति में होगा कि वह एक्जैक्टीव मैजिस्ट्रेट को ऐसी मौत के बारे में सूचित करें तथा लाश वाली जगह पर जाकर दो या अधिक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति मे जांच-पड़ताल करें तथा मौत के कारणों के बारे में रिपोर्ट बनाएं। ऐसी रिपोर्ट में उन्हें मृतक के शरीर पर घाव, चोट या किसी प्रकार के निशान को रपट में दर्शाना आवश्यक होगा तथा यह भी जांच-पड़ताल करनी होगी कि किन हालात में मौत हुई या किस प्रकार का शस्त्र चोट पहुंचाने में इस्तेमाल किया। ऐसी रिपोर्ट थाना प्रभारी द्वारा सत्यापित होनी आवश्यक है, जो कि मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। इसके तहत पुलिस का यह भी कर्तव्य है कि मृतक के शरीर को पोस्ट-मार्टम के लिए अस्पताल भिजवाएं।

मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच-पड़ताल - जब किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत मे मौत होती है या कोई महिला आत्म हत्या करती है या उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में शादी के सात वर्ष के अन्दर होती है तो कार्यकारी मैजिस्ट्रेट का धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कर्तव्य बनता है कि वह इस प्रकार की मौत के बारे में जांच-पड़ताल व तहकीकात करे। ऐसी जांच पड़ताल में मैजिस्ट्रेट की साक्ष्य लेना होगा अगर वह ऐसा आवश्यक समझे। अगर अपराध संज्ञेय हो तो मैजिस्ट्रेट मृतक के नजदीकी रिश्तेदारी को तहकीकात बारे सूचित करेगा और ऐसे रिश्तेदार को अधिकार होगा कि वह तहकीकात के दौरान वहां रहे।

धारा 113-ए गवाही अधिनियम साक्ष्य कानूनी धारणा - साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113-ए (जो कि 1983 में जोड़ी गई) के द्वारा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई महिला शादी के 7 वर्ष के अन्दर आत्महत्या करती है और यह प्रश्न आता है कि आत्महत्या उसके पति या रिश्तेदार द्वारा प्रेरित है या पति या उसके रिश्तेदारों ने महिला को उत्पीड़ित किया है तो न्यायालय को अधिकर है कि वह अनुमान लगाए कि उस केस की परिस्थितियों में आत्महत्या के लिए महिला को उसके पति या रिश्तेदार ने प्रेरित किया है।

इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के विरूद्ध यह प्रश्न हो कि दहेज के कारण महिला की मौत हुई है और ऐसा दर्शाया जाता है कि मौत से पहले उक्त महिला को उत्पीड़ित किया गया है या उत्पीड़न या तंगी दहेज की मांग के कारण हुई हो तो

न्यायालय को अनुमान लगाने का अधिकार होगा कि उक्त व्यक्ति द्वारा महिला की मौत दहेज के कारण की गई है।

धारा 498–ए आई०पी०सी० (महिला पर अत्याचार तथा दण्ड) – धारा 498–ए भारतीय दण्ड संहिता (जो 1983 में जोड़ी गई) के अनुसार ऐसा पति या रिश्तेदार, औरत यानि पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे तो ऐसे व्यक्ति को तीन वर्ष का कारावास तथा जुर्माना हो सकता है।

''दुर्व्यवहार'' की परिभाषा में पति या उसके रिश्तेदार द्वारा इस प्रकार का आचरण करना जिससे कि औरत को आत्महत्या की तरफ धकेलना या उसको असाध ाारण चोट पहुंचाना या उसकी शारीरक या मानसिक सेहत को खतरे में डालना या महिला को विवश करने की नीयत से तंग करना या ऐसी महिला के किसी रिश्तेदार को तंग करना ताकि वह संपति की गैर कानूनी मांग को पूरा करें या महिला द्व ारा या उसके रिश्तेदार द्वारा ऐसी किसी मांग को पूरा न करने के कारण तंग करना आता है।

संज्ञेय जुर्म – इस प्रकार का जुर्म संज्ञेय है और कोई भी उत्पीड़ित या असंतुष्ट व्यक्ति या उसका नजदीकि रिश्तेदार इस प्रकार के जुर्म की सूचना थाना प्रभारी को दे सकता है। इस प्रकार का जुर्म गैर जमानती है तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी इसकी समायत कर सकता है।

VIII. दिवानी मामले की प्रक्रिया

दिवानी मुकद्दमें क्या है – वे सभी मुकद्दमें जिनमें धन–सम्पति, निजी अथवा सार्वजनिक पद आदि के लिए दो पक्षों में विवाद हो, दिवानी मुकददमें कहलाते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित विवाद दिवानी प्रकृति के मुकददमें माने जाते है : –

1. ऋण या अन्य रूपये की वसूली, आदयगी आदि के मामले।
2. नागरिक के अधिकारों से सम्बन्धित वाद जैसे कि मताधिकार का अधिकार, कापी राईट, सार्वजनिक मार्ग का उपयोग करने का अधिकार आदि।
3. चल या अचल सम्पति जमीन आदि से सम्बन्धित वाद।
4. नाली, परनाले, रास्ता, हवा, रोशनी आदि के वाद।
5. किराया, बेदखली, निषेधाज्ञा आदि के वाद।
6. क्षतिपूर्ति एवं अनुबन्ध तोड़ने से सम्बन्धित वाद।
7. वैवाहिक, भरण, पोषण, नाबलिगों आदि से सम्बन्धित वाद।
8. सांझेदारी लेखा–जोखा आदि से सम्मन्धित वाद।
9. धार्मिक स्थलों से सम्बन्धित वाद।
10. सार्वजनिक स्थलों से सम्बन्धित वाद आदि आदि।

पंचायत अधिनियम, 1994 द्वारा ग्राम पंचायतों को भी 2,000/- रूपये मूल्य तक के दिवानी वाद सुनने के अधिकार है।

धारा–3 सी०पी०सी० के तहत दिवानी न्यायालय – दिवानी वादों के निपटाने के लिए निम्न प्रकार के दिवानी न्यायालय कार्य कर रहे है :–

1. सिविल जज जूनियर डीविजन व सब सिविल जज सीनियर डीविजन की अदालतें।
2. डिस्ट्रिक्ट जज तथा अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज की अदालतें।
3. उच्च न्यायालय।
4. उच्चतम न्यायालय।

सिविल जज (अवर प्रभार) न्यायालय – हरियाणा राज्य में लगभग प्रत्येक उप-मण्डल तथा जिला मुख्यालय में दिवानी न्यायालय हैं जहां पर हर प्रकार का दिवानी वाद जिसकी मालियत मुआवजा 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये तक की हो दायर किया जा सकता है। उपरोक्त अदालत के अतिरिक्त सिविल-जज (वरिष्ठ प्रभाग) का न्यायालय प्रत्येक जिले में कार्यरत है जिसमें उपरोक्त मालियत से ज्यादा मालियत के मामलों की सुनवाई होती है। दो लाख रूपये से अधिक मालियत का मूल अधिकार क्षेत्र केवल उप वरिष्ठ न्यायाधीशों को है जिनकी सेवा पांच साल से अधिक हो चुकी है। जो अवर न्यायाधीश पांच साल से कम सेवा के हैं, उनका अधिकार क्षेत्र दो लाख रूपये तक ही सीमित है।

डिस्ट्रिक्ट जज न्यायालय – सिविल जज (अवर प्रभाव) अथवा सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के न्यायालय के फैसले के विरूद्ध डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में ३० दिन के अन्दर अपील की जा सकती है। कुछ एक वाद जैसे कि मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित मुआवजा वाद, हिन्दू मैरीज एक्ट से सम्बन्धित व नाबालिगों के अभिभावक नियुक्त करने सम्बन्धित वाद, उतराधिकारी सम्बन्धी वाद, इत्यादि सीधे डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में दायर किए जा सकते हैं।

जिस जिले में डिस्ट्रिक्ट जज के न्यायालय के इलावा अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत भी कार्यरत है वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत उपरोक्त सभी प्रकार के वादों अथवा अपीलों में से कोई भी वाद अथवा अपील निर्णय हेतू अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज को भेज सकती है। डिस्ट्रिक्ट जज तथा अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज को मालियत सम्बन्धित तथा अन्य मामलों में बराबर के अधिकार हैं तथा अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत हैं उन जिलों में अवर अथवा वरिष्ठ सिविल जजों के निर्णय के विरूद्ध अपील अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में दायर किये जा सकते हैं। लेकिन केस स्थान्तरण के लिये दरखास्त सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज को ही दी जा सकती है।

उच्च न्यायालय – हरियाणा राज्य में चण्डीगढ़ में एक उच्च न्यायालय स्थापित है। डिस्ट्रिक्ट जज की अपील के निर्णय के विरूद्ध दूसरी अपील जिसे सेकेन्ड अपील कहते हैं वह उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त निचली अदालतों के आदेशों के विरूद्ध निगरानी उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं भी सीधे तौर पर प्रस्तुत की जा सकती हैं।

उच्चतम न्यायालय – नई दिल्ली में भारत का उच्चतम न्यायालय स्थापित है जिसके द्वारा की गई कानून की व्याख्या देश के सभी न्यायालयों पर बन्धकारी है। जहां उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र प्रदान करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के योग्य है तो ऐसे मुकदमों में उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित मामलों में भी सीधे ही रिट उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है।

धारा 15 ता 20 सी०पी०सी० के तहत दीवानी मामलों को क्षेत्राधिकार :- दीवानी वाद उस स्थान पर और सबसे निचले स्तर न्यायालय में दायर किया जाना

चाहिए जहां की वाद की विषय-भूमि, सम्पति या उसका कोई भाग स्थित हो या जहां पर विपक्षी रहता हो अथवा कोई कारोबार करता हो। जिले में स्थित सिविल जजों के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार भी बंटा रहता है तथा जिस न्यायालय के क्षेत्र में विषय स्थित होती है अथवा प्रतिवादी निवास करता है, उसी न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है।

धारा 80 सी०पी०सी० के तहत सरकार के विरूद्ध दावा करने की प्रक्रिया :- यदि कोई वादी सरकार के विरूद्ध दावा करना चाहे तो पहले सरकार को दावा करने के बारे नोटिस देना आवश्यक होता है जिसे आम भाषा में दफा 80 का नोटिस कहते हैं। इस नोटिस में नोटिसकर्ता को अपने दावे का पूर्ण विवरण देना चाहिए। यह नोटिस सरकार को इसके अधिकारी के द्वारा ही दिया जाता है जो कि इस प्रकार से हैः-

1. यदि दावा भारतीय सरकार पर करना हो तो नोटिस भारतीय सरकार को मार्फत सचिव, भारतीय सरकार को देना चाहिए।
2. यदि दावा रेलवे पर करना हो तो नोटिस रेलवे के जनरल मनैजर को देना होगा।
3. यदि दावा प्रान्तीय सरकार (जैसे हरियाणा सरकार) पर करना हो तो नोटिस सचिव अथवा जिला के कलैक्टर को देय होगा।

यदि वादी ने किसी प्रकार की आवश्यकता राहत हेतू न्यायालय में दावा करना हो तो ऐसी स्थिति में न्यायालय से सरकार को नोटिस न देने बारे इजाजत लेनी आवश्यक है। लेकिन न्यायालय बिना सरकारी पक्ष को सुने किसी भी प्रकार की आवश्यकता राहत नहीं दे सकता।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी के विरूद्ध दावा उसकी सरकारी कार्य बारे करना हो तो सरकार को प्रतिवादी बना लेना चाहिए।

आदेश-4 नियम-1 सी०पी०सी० के तहत दीवानी वाद कैसे दायर करें :- दीवानी वाद किसी व्यक्ति द्वारा सीधे ही न्यायालय में दायर किया जा सकता है परन्तु कानूनी तकनीकियों के कारण यह उचित होता है कि अगर सम्भव हो तो किसी दीवानी वकील/व्यक्ति के माध्यम से मुकदमा दायर कराया जाए। जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 50,000/- रूपये से कम है या जो व्यक्ति पृष्ठ 1 व 2 पर व्याख्यान की गई श्रेणियों में से किसी एक में भी आता हो तो उसे हरियाणा राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दावा करने के लिए वकील उपलब्ध कराया जा सकता है और उसकी तरफ से कोर्ट फीस भी लगाई जा सकती है।

आदेश (5) सी०पी०सी० के तहत न्यायालय की प्रक्रिया :- न्यायालय में वाद पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय द्वारा दूसरे फरीक को समन द्वारा सूचना दी जाती है जो उपस्थित होकर वाद पत्र के कथनों का उतर देता है जिसे जवाब दावा कहा जाता है समन (आहवान पत्र सामान्यतः पहले प्यादे के द्वारा भेजा जाता है और तामील न होने पर रजिस्ट्री डाक से व फिर अखबार में छाप कर तामिल

करवाई जाती है। समन लेने से इन्कारी नहीं करनी चाहिए वरना इकतरफा डीकरी हो सकती है। समन लेकर सभी उचित जवाब देही की जानी चाहिए। प्रतिवादी को यदि वादी द्वारा दावा तथा दस्तावेजों की पूर्ण प्रतिलिपियां नहीं दी जाती है तो प्रतिवादी अदालत से आग्रह करके वादी द्वारा दावा तथा दस्तावेजों की पूर्ण प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। जवाब दावा न्यायालय द्वारा मुख्य मुद्दों पर वाद बिन्दू बनाए जाते हैं जिन्हें तनकिवा कहते हैं। प्रत्येक पक्षकार को जवाबी व कागजी सबूत प्रस्तूत करने के लिए अवसर देकर वाद का निर्णय किया जाता हैं फरीक मुकद्दमा को न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर स्वयं अपने मुख्तयार अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना पड़ता है। यदि निर्धारित तिथि पर कोई भी फरीक अदालत में उपस्थित नहीं होता है तो मुकदमा अदालत द्वारा खारिज किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि प्रतिवादी समन की तमिल की बावजूद भी अदालत में असालतन अथवा वकालतन हाजिर नहीं होता है तो उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है किन्तु हर फरीक मुकद्दमा दावा रिस्टोर करने की अर्जी अदालत को दे सकता है। अदालत दावा रिस्टोर तभी करेगी यदि प्रार्थी यह साबित कर पाए कि किसी उचित कारणवश अथवा तारीख मुकद्दमा से अनभिज्ञ होने के कारण वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सका लेकिन ऐसी सूरत में अदालत को दूसरे पक्ष को आवश्यक तौर पर सुनना पड़ता है।

आदेश (7) नियम (1) सी०पी०सी० के तहत दीवानी वाद दायर करने की प्रक्रिया

दीवानी वाद दायर करने पर निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

1. किन-किन व्यक्तियों को वादी बनाना आवश्यक है।
2. किन-किन व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाना आवश्यक है।

   (यहां यह बात ध्यान रखें कि जिस भी व्यक्ति का वाद से कई सम्बन्ध हो अथवा जिसे बिना प्रतिवादी बनाए वाद नहीं चल सकता है, अथवा जिसके विरूद्ध कोई राहत मांगी गई हो ऐसे व्यक्ति को वाद में प्रतिवादी बनाना अति आवश्यक होता है)

3. वाद में हर प्रकार का दावा जा वाद से सम्बन्धित हो, शामिल किया जाना चाहिए अन्यथा छोड़े गये दावे पर फिर से वाद नहीं चल सकता।
4. दीवानी वाद से सम्बन्धित कागजात भी वाद में कथनों की पुष्टि के लिए साथ लगाने आवश्यक हैं।
5. यदि कोई कागजात, दस्तावेज वाद करने के समय वादी के पास नहीं हैं तथा उन्हें किसी अन्य स्त्रोत द्वारा पेश करना है तो ऐसे कागजात अथवा दस्तावेजों का हवाला वाद के साथ संलग्न सूची में देना चाहिए।

आदेश (16) सी०पी०सी० के तहत गवाहों की तामील बारे प्रक्रिया :- तनकीह अथवा वाद बिन्दू बनाने के बाद शहादत मुकद्दमा तथा दस्तावेज़ आदि साबित करने के लिए दोनों पक्षों को न्यायालय द्वारा बराबर अवसर दिया जाता है सर्वप्रथम वादी

को अपने गवाह तथा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है। उसके पश्चात प्रतिवादी को भी उपरोक्त अवसर दिया जाता है। गवाह पेश करने से पहले गवाहों की सूची अदालत में दायर कर देनी चाहिए तथा न्यायालय के आदेशानुसार गवाहों का खर्चा तथा समन भेजने के लिए तलबाना पहले ही जमा कर देना चाहिए। फरीक मुकद्दमा स्वयं भी गवाहों को अदालत में पेश कर सकते हैं। समन की तामील होने पर गवाह को अदालत द्वारा निर्धारित तिथि पर अदालत में ब्यान देने के लिए उपस्थिति होना आवश्यक है। अन्यथा अदालत ऐसे गवाहों को जो बावजूद तामील के भी उपस्थिति नहीं होते जुर्माना कर सकती है। फरीक मुकद्दमों की गवाही आमतौर पर बाकी गवाहों से पहले होती है।

आदेश (21) नियम (10) सी०पी०सी० के तहत न्यायालय में निर्णय को कैसे लागू कराया जाए :- यदि कोई न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेशों को मानने से इन्कार करता है तो दूसरे पक्षकार द्वारा न्यायालय के आदेशों के कार्यवयन हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विपक्षी पक्षकार न्यायालय के आदेशों को मानने से इन्कार करता है तो न्यायालय द्वारा उसकी सम्पति कुर्क व नीलाम कराई जा सकती है तथा रूपये अदा न करने पर उसकी गिरफ्तारी कराई जा सकती है। यदि विपक्षी से कोई मकान खाली कराना है या तामीर गिरानी है तो न्यायालय द्वारा न्यायालय के अधिकारियों तथा पुलिस की सहायता से उस सम्पति का कब्जा तथा तामिर गिरवाने का कार्य करवाया जा सकता है।

साधारण न्यायालय के अन्तिम आदेशों के पारित होने के 12 वर्ष के भीतर उसके कार्यान्वयन हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु आदेशात्मक आवेश के आदेशों के कार्यान्वयन हेतू 3 वर्ष के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होना चाहिए।

आदेश (22) नियम (10) सी०पी०सी० के तहत किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर क्या करना चाहिए :- यदि कोई वाद, अपील, निगरानी व अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय में चल रही है और उसके दौरान किसी प्रतिवादी या विपक्षी की तामील से पहले मृत्यु हो जाती है तो 90 दिन के अन्दर वादी को मृतक के उतराधिकारियों को फरीक बनाने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। जहाँ प्रतिवादी की मौत से पहले उसकी किसी चल रहे वाद में तामील हो चुकी थी वहां उसके उतराधिकारीगण का फर्ज बन जाता है कि वह अपने आप उस चल रहे वाद/अपील बगैरा में फरीक बने। वादी की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके उतराधिकारियों को स्वयं प्रार्थना पत्र देकर फरीक बनाना चाहिए। ऐसा न करने पर वाद अपील या निगरानी आदि की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। अतः मृत्यु होते ही दूसरे पक्षों के वारिसान को चाहिए की वकील से तुरन्त सम्पर्क करें।

यदि विपक्षी सम्पति की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहा है तो क्या करना चाहिए :- विपक्षी को गलत कार्य से रोकने के लिए निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाए कि न्यायालय का अमीन अथवा न्यायालय द्वारा अधिकृत कोई वकील कमीश्नर मौके पर जाकर विवादित

सम्पति का नकशा बना ले जिससे कि यह स्थिति स्पष्ट हो सके कि वास्तव में विवादित सम्पति की प्रवृति क्या थी और क्या परिर्वतन किया जा रहा था।

आदेश (27) सी०पी०सी० के तहत सरकार के विरूद्ध मुकदमों में समझौता बारे प्रक्रिया :- सरकार हमेशा इसके विरूद्ध किए गए वाद में समझौता करने के लिए तैयार रहती है। यदि वाद में दिए तथ्य सच हो तथा वादी द्वारा किया गया दावा किसी हद तक ठीक हो तो सरकार द्वारा समझौता करने की प्रक्रिया न्यायालय में अब काफी प्रचलित है। इससे आम जनता को बिना समय नष्ट किए तुरन्त निर्णय मिल जाता है तथा वे कोर्ट तथा कचहरियों में समय व्यर्थ करने से बच जाते हैं। मोटर दुर्घटना वाले वाद, सरकार द्वारा सम्पति ग्रहण करने के मामलों में मुआवजे बारे विवाद सरकार के साथ अन्य दिवानी वादों में समझौते की प्रक्रिया अब काफी प्रचलित हो गई है। इसी प्रकार विवाह सम्बन्धी मामलों में भी अदालतें समझौता कराने के लिए बहुत प्रयत्न करती हैं। जिनमें सफलता भी प्राप्त होती है।

आदेश (32) सी०पी०सी० के तहत नाबालिगों द्वारा अथवा उनके विरूद्ध दावा :- नाबलिग द्वारा स्वयं नाबालिग के विरूद्ध दावा सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। यदि कोई नाबालिग व्यक्ति दावा करना चाहता है तो उसे अपने अगले बालिग मित्र की मार्फत दावा करना पड़ेगा। अगला मित्र वही व्यक्ति हो सकता है। जिसका नाबलिग के विपरीत कोई दावा न हो तथा वह नाबलिग के हित के लिए ही लड़े।

इसी प्रकार यदि दावा में नाबालिग को प्रातिवादी बनाया गया हो तो उसके हित को महफूज रखने के लिए अदालत उसके किसी बालिग मित्र को मुकर्रर कर सकती है लेकिन यदि अदालत को यह लगे कि अगला मित्र मुकर्रर नाबालिग के हित में सही प्रकार की दावा की पेरवी नहीं कर रहा है तो उसे बदला जा सकता है।

आदेश (33) सी०पी०सी० के अधीन निर्धन द्वारा दावा करने की प्रक्रिया :- यदि कोई व्यक्ति अति निर्धन है तथा उसके पास अदालत के दावा करने की क्षमता नहीं है अर्थात धन सम्पदा का इतना अभाव है कि वह कोर्ट फीस नहीं दे सकता, ऐसे व्यक्ति को भी अदालत में वाद चलाने का अधिकार कानून द्वारा मान्य है। लेकिन वाद चलाने के बाद तथा निर्णय लेने से पहले यदि ऐसा व्यक्ति कोई भी सम्पदा ग्रहण करता है तो उसका हिसाब भी अदालत में विचारणीय होगा। उपरोक्त परिस्थिति में दावा चलने की आज्ञा देने से पहले अदालत वादी की सम्पदा अथवा साधन के विषय में अपनी तसल्ली के लिए जांच करवा सकती है। यदि वादी निर्धन पाया गया तो उसका दावा पंजीकृत किया जाएगा तथा फीस की राशि विपक्षी पक्ष द्व ारा सरकार को देय होगी। किन्तु यदि वादीदावा में किसी कारणवश असफल होता है तो वादी की कोर्ट फीस की प्रतिपूर्ति सरकार को करनी होगी।

यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धन व्यक्ति को जिसकी वार्षिक आय 50,000/- रूपये से अधिक नहीं है अदालत में होने वाला सब खर्चा दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो कि निःशुल्क कानूनी सहायता का

पात्र है कोर्ट फीस देने की छूट दी गई है। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति दावा में सफल हो जाता है तो डिक्रकी में दी गई राशि को उसे सरकार की प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी।

आदेश (38) नियम-5 सी०पी०सी० के तहत निर्णय से पूर्व विपक्षी की सम्पदा को जब्त अथवा कुर्क करने की प्रक्रिया :- अदालत में चल रहे वाद के दौरान यदि विपक्षी अपनी चल अथवा अचल सम्पति को इस आशय से बेच रहा है कि न्यायालय में चल रहे वाद में इसके विरूद्ध डिक्री होनी है या डिक्री को कार्यान्वित की स्थिति नियत से अथवा अदालत द्वारा दिए गए फैसले को नकारा करने की नियत से वह अपनी सम्पति बेच रहा हो अथवा अपनी चल सम्पति को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर ले जाना चाहता है तो वादी न्यायालय में अर्जी अथवा शपथ-पत्र इस आशय को दे सकता है कि प्रतिवादी को उसकी सम्पति को बेचने अथवा न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी जाए। न्यायालय वादी की अर्जी पर यदि सहमत हो तो विपक्षी को नोटिस द्वारा चल रहे वाद की मालियत के बराबर प्रतिपूर्ति न्यायालय में जमा करने को कह सकती है अन्यथा विपक्षी/प्रतिवादी की सम्पति का इतना हिस्सा जो कि अदालत द्वारा जारी किए जाने वाली डिक्री की तुष्टि कर सके को जब्त करने आदेश दे सकता है। वादी को चाहिए कि वह विपक्षी की सम्पति का पूर्ण विवरण तथा मालियत अदालत के समक्ष पेश करें जिसे वह जब्त कराना चाहता है।

आदेश (39) नियम (1) सी०पी०सी० न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा :- यदि विपक्षी पक्षकार द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन किया जा रहा है अथवा उसकी सम्पति में कुछ बना कर या तोड़कर हस्तक्षेप किया जा रहा है तो वह व्यक्ति दावा दायर करते समय अथवा उसके बाद एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर सकता है कि विपक्षी पक्षकार के दौरान मुकदमा निशेधाज्ञा द्वारा रोक दिया जाये कि वह उसके अधिकारों में अथवा सम्पति में कोई हस्पक्षेप न करें। ऐसे प्रार्थना-पत्र के अभिकथनों का समर्थन मुख्यतः शपथ पत्र द्वारा किया जाता है और कोई भी अन्य प्रमाण उलब्ध हो जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा सम्पति में विपक्षी द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो ऐसे प्रलेखीय प्रमाण को भी प्रार्थना-पत्र के साथ दाखिल कर दिया जाता है। वादी अथवा प्रतिवादी उपरोक्त आशय प्रतिवादी उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध 30 दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में अपील कर सकता है तथा डिस्ट्रिक्ट जज के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर निगरानी कर सकता है।

सीमाबद्ध नियम के तहत अपील व निगरानी - यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में निर्णय, डिक्री या आदेश से संतुष्ट नहीं है तो उससे उपर के न्यायालय में अपील व निगरानी की जा सकती है जिसके लिए अपने वकील से सम्पर्क कर लेना चाहिए। सामान्यतः उच्च न्यायालय में 90 दिन तथा अन्य न्यायालय में 30 दिन के अन्दर ऐसा कर देना चाहिए किसी-किसी दशा में अवधि कम वेश नहीं भी हो सकती है अतः तुरन्त अपने वकील से सम्पर्क करके निर्णय की नकलें आदि प्राप्त करनी चाहिए।

IX. हरियाणा राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

उपभोक्ता संरक्षण : संक्षिप्त परिचय

हम सब उपभोक्ता हैं। बच्चे, स्त्रियां, नौकरीपेशा, दुकानदार, मजदूर, युवा आदि सभी व्यक्ति खाद्य पदार्थ कपड़ा, अन्य वस्तुएं, चिकित्सा, यातायात, बिजली, पानी बैंक, आवास, टेलीफोन, बीमा, मनोरंजन जैसी सेवाओं आदि का उपभोग/प्रयोग करते हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता चाहे पढ़े-लिखे हैं या अनपढ़, असंगठित होने के कारण अपने अधिकारों के प्रति प्रायः उदासीन रहते हैं और इस मनोवृति का व्यापारी वर्ग आदि द्वारा अनूचित लाभ उठाया जाता है तथा उपभोक्ताओं को पग-पग ठगे जाने की सम्भावना बनी रहती है। आम जनता द्वारा दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं और सेवा के बारे में अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेना, घटिया वस्तु देना, मिलावट, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, भ्रम उत्पन्न करने वाले विज्ञापन, उपहार/पुरस्कार की लुभाने वाली योजना आदि। पानी, बिजली, टेलीफोन, रेल, बस, ट्रक, वायुयान, स्वास्थ्य आदि सम्बन्धी सेवायें वांछित स्तर की नहीं होने से आम उपभोक्ता परेशान रहता है।

उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न कानून बनाये गये हैं। लेकिन उनसे वांछित राहत उपभोक्ता को नहीं मिल पाई है। इसका मुख्य कारण सम्बन्धित व्यापारी/सेवा के विरूद्ध कार्यवाही में लम्बी कानूनी प्रक्रिया में समय व धन का अधिक व्यय होना और उपभोक्ताओं को स्वयं को पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं होना है। उपभोक्ताओं की शिकायातो को शीघ्र सरल तरीके से तथा कम खर्चे से दूर करने तथा उन्हें संरक्षण दिलाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाया गया है। यह अधिनियम देश के सामाजिक/आर्थिक कानूनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ताओं के सरंक्षण के लिये बनाये गये कानूनों में से यह महत्वपूर्ण सर्वाधिक प्रगतिशील और व्यापक कानून है। इस नये कानून का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान करना है। यह कानून वर्तमान कानूनों की तरह दण्डात्मक तथा निरोधक नहीं है। इसके उपबन्धों में क्षतिपूर्ति अथवा हरजाने की व्यवस्था है।

अधिनियम का विस्तार तथा क्षेत्र

यह अधिनियम सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू होता है। केवल वही वस्तुयें तथा सेवायें इसके अन्तर्गत नहीं आयेंगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने छूट दी है। यह निजी, सार्वजनिक या सहकारी सभी क्षेत्रों पर लागू होता है।

उपभोक्ताओं के अधिकार

इसमें उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों का वर्णन है :-

(1) **सुरक्षा का अधिकार** – ऐसे माल के क्रय-विक्रय के विरूद्ध संरक्षण पाने का अधिकार जो जीवन और सम्पति के लिए हानिकारक हो,

(2) **सूचित किये जाने का अधिकार** – अनुचित व्यापार व्यवहारों से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए माल की गुणवता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता मानक और मूल्य के बारे में सूचित किये जाने का अधिकार;

(3) **चयन का अधिकार** – जहां भी सम्भव हो वहां मुनासिफ मूल्यों पर माल की विभिन्न किस्मों को सुलभ कराये जाने का अधिकार;

(4) **सुनवाई का अधिकार** – सुनवाई तथा इस आश्वासन का अधिकार कि उपभोक्ताओं के हितों पर समुचित मंचों पर सम्यक रूप से विचार किया जायेगा;

(5) **हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार** – अनुचित व्यापारिक व्यवहार या उपभोक्ताओं के अनुचित शोषण के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार;

(6) **उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार** – जानकर उपभोक्ता बने रहने के लिए ज्ञान तथा क्षमता प्राप्त करने का अधिकार।

इस अधिनियम में उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु (माल) तथा उपयोग में ली गई सेवाओं के बारे में प्रावधान है। अतः ''उपभोक्ता'', ''माल'' तथा ''सेवा'' का अर्थ समझना आवश्यक है।

उपभोक्ता कौन है [(धारा-2 (डी) के अधीन)]

(क) वस्तुओं के मामले में उपभोक्ता से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो उसे खरीदता है तथा उसका मूल्य अदा करता है। वस्तु की पूर्ण कीमत देने वाला या उधार खरीदने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता माना जायेगा।

यदि खरीदने वाले व्यक्ति की अनुमति से किसी वस्तु का उपयोग अन्य व्यक्ति करता है तो ऐसा अन्य व्यक्ति को भी उपभोक्ता माना जायेगा।

जो व्यक्ति किसी वस्तु को पुनः बिक्री के लिए या व्यापारिक उद्देश्य से खरीदता है तो उसे उपभोक्ता नहीं माना जायेगा।

(ख) सेवाओं के मामले में उपभोक्ता का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो सेवाओं को भाड़े पर प्राप्त करता है और उसके लिये प्रतिफल (मूल्य) अदा करता है। प्रतिफल का पूर्ण भुगतान करने वाला, आंशिक भुगतान करने वाला तथा भुगतान का वायदा करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता ही माना जायेगा।

यदि ऐसे व्यक्ति की अनुमति से अन्य व्यक्ति इन सेवाओं का उपयोग करता है तो ऐसे अन्य व्यक्ति को भी उपभोक्ता माना जायेगा।

सेवा [(धारा–2 (डी) के अधीन)] – ''सेवा'' से अभिप्राय किसी भी वर्णन वाली सेवा से है, जो उसके सम्भावित प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसमें बैंकरारी, वित प्रबन्ध, बीमा, परिवहन, बिजली या अन्य ऊर्जा के साधन, भोजन/निवास, मनोरंजन, आमोद प्रमोद या समाचारों या अन्य जानकारी पंहुचाने सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है। किन्तु इसमें निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन की जाने वाली सेवा शामिल नहीं है।

माल [(वस्तुएं) धारा 2(i) के अधीन)] – माल से अभिप्राय सभी प्रकार की चल सम्पति से है और उसमें स्टाक व शपर, फसल आदि भी सम्मिलित हैं। किन्तु इसमें अचल सम्पति (जमीन जायदाद आदि) को माल नहीं माना गया है।

1. शिकायत किसे करेंगे [(धारा 2 (सी) के अधीन]

इस अधिनियम के तहत शिकायत का अर्थ शिकायतकर्ता द्वारा नीचे दिये गये किसी एक या अधिक के बारे में लिखित रूप से लगाये गये आरोपों से है :–

- ❖ किसी व्यापारी द्वारा किये गये किसी अनुचित व्यापारिक व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे हानि अथवा नुकसान हुआ हो।
- ❖ शिकायत में वर्णित माल में वस्तु की किस्म, शुद्धता मात्रा, क्षमता आदि में कमी या दोष हो।
- ❖ शिकायत में वर्णित सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी हो।
- ❖ व्यापारी ने निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया हो।

2. शिकायत किस के द्वारा दायर की जा सकती है [(धारा 2 (बी) के अधीन]

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न व्यक्ति शिकायत दायर कर सकते हैंः

- ❖ उपभोक्ता
- ❖ कोई भी स्वैच्छिक संगठन (जो पंजीकृत हो)
- ❖ केन्द्रीय सरकार
- ❖ राज्य सरकार

3. शिकायत पत्र :

शिकायत पत्र में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए :–

- ❖ शिकायतकर्ता का नाम, वर्णन, तथा पता,

- ❖ विरोधी पक्षकार का नाम, वर्णन और पता, जहां तक उन्हें मालूम किया जा सके,
- ❖ शिकायत से सम्बन्धित तथ्य तथा वे कब व कहां पैदा हुए,
- ❖ शिकायत में लगाये गए आरोपों के समर्थन में दस्तावेज, (यदि कोई हो),
- ❖ वह राहत, जो शिकायतकर्ता चाहता है,
- ❖ शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता के या उसके एजैण्ड के हस्ताक्ष होने चाहिए।

4. शिकायत कैसे दायर करें :

शिकायत दायर करने तथा उन्हें दूर करने की प्रक्रिया सरल और शीघ्रगामी है :–

- ❖ जिला फोरम, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है – वकील करना भी आवश्यक नहीं है।
- ❖ शिकायत जिला मंच/आयोग का डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है।

जिला फोरम, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग :

उपभोक्ताओं की शिकायतों की शीघ्र, सरल तरीके से, तथा कम खर्च में दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य आयोग तथा जिला स्तर पर जिला मंचों की स्थापना करने की व्यवस्था है। जिला फोरम का गठन अलग–अलग जिल स्तर पर किया गया है।

धारा 11 के अधीन जिला फोरम – यदि माल/सेवाओं का मूल्य तथा हर्जाने की मांगी गई रकम एक लाख रूपये से कम है तो सम्बन्धित जिले के लिए गठित जिला फोरम में शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है।

धारा 17 के अधीन राज्य आयोग – यदि माल/सेवाओं का मूल्य तथा हर्जाने की मांगी गई राशि एक लाख से दस लाख रूपये तक हो तो शिकायत राज्य आयोग को प्रस्तुत की जा सकती है।

धारा 20 के अधीन राष्ट्रीय आयोग – यदि माल/सेवाओं का मूल्य तथा हर्जाने की मांगी गई राशि दस लाख रूपये से अधिक है तो इसकी शिकायत राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तूत की जानी है। इस प्रकार की शिकायत अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोग

(राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (''ए'' विंग, पांचवी मंजिल जनपथ भवन, नई दिल्ली) को की जा सकती है।

धारा 14 के अधीन उपभोक्ता को राहत - आमतौर पर शिकायत का निपटारा विपक्षी को सूचना प्राप्त होने की तिथि से 90 दिन में किया जायेगा। उपभोक्ता द्वारा मांगी गई राहत के स्वरूप तथा तथ्यों को देखते हुए जिला मंच/आयोग द्वारा निम्नलिखित में से एक या अधिक राहत देने के लिए आदेश दिया जा सकता है :-

(क) माल में त्रुटि करना।

(ख) माल को बदलना।

(ग) अदा किया गया मूल्य वापिस करना, अथवा

(घ) उपभोक्ता द्वारा सहन की गई हानि या क्षति के लिए मुआवाजा दिलाना।

अपील धारा 15, 19 और 23 आफ सी० पी० नियम, 1986 के अधीन - जिला फोरम के निर्णय के विरूद्ध राज्य आयोग के समक्ष 30 दिन की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। राज्य आयोग के निर्णय के विरूद्ध अपील राष्ट्रीय आयोग के समक्ष 30 दिन के भीतर की जा सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आयोग के विरूद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 30 दिन के भीतर की जा सकती है।

राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। सुनवाई की पहली तारीख से 90 दिन में अपील का निर्णय अपेक्षित है।

वस्तु खरीदते समय सावधानी

उपभोक्ता के लिए स्वयं यह आवश्यक है कि किसी वस्तु को खरीदते समय निम्न बातों की और विशेष ध्यान दें :-

1. खरीदे गये माल की रसीद (कैशमीमों) प्राप्त की जाये।
2. यदि उत्पादक/व्यापारी द्वारा खरीदी गई वस्तु के सम्बन्ध में कोई गारण्टी सुविधा दी गई है तो गारण्टी कार्ड आदि प्राप्त करें।
3. खरीदते समय आई०एस०आई०/एगमार्क वस्तुओं को प्राथमिकता दें।
4. पैकिंग पर अंकिलत मूल्य मात्रा तथा उपयोग की अन्तिम तिथि को अवश्य देख लें।

5. विज्ञापन व अन्य प्राचार साधनों से अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों तथा वस्तुओं के गण, मूल्य मात्रा आदि को ध्यान में रखते हुए उसे खरीदें।

6. सभी वाटों, मापों तथा तोलने और मापने के उपकरणों का सत्यापन और मुद्रांकरण आवश्यक है।

7. सभी व्यापारियों के लिए केवल उन्हीं वाटों और मापों को प्रयोग करना अनिवार्य है जो वाट और माप निरीक्षक द्वारा सत्यापित और मुद्रांकित हो

8. कानून के तहत लकड़ी के दण्ड वाली तराजू का उपयोग करने की अनुमति नहीं है क्योंकि इसमें हाथ की हेरी-फेरी करके ठगा जा सकता है।

9. मिठाई बेचते समय डिब्बे को तोलना अपराध है।

10. खुदरा बिक्री के लिए रखे हुए प्रत्येक पैकेज में विनिर्माता/पेकर का नाम, शुद्ध भार, विक्रय मूल्य आदि के बारे में सूचना होनी आवश्यक है।

11. उन बाटों से तोली हुई वस्तु न लें जो मैट्रिक प्रणाली के अनुरूप नहीं हैं। दूसरे शब्दों में खरीददारी ग्रामों, किलाग्रामों, लीटर आदि के रूप में करें।

12. अनियमित बाटों, जैसे पत्थर या ईंट के टुकड़ों से तोली, वस्तु को स्वीकार न करें।

13. ऐसे बाटों को स्वीकार न करें जिन पर सील की अवधि समाप्त हो चुकी है।

14. गैस सिलैंडर लेते समय यह देख लें कि सील सही तरह से लगी हुई हो।

सरकार द्वारा उठाए गए पग :

इस दिशा में हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर एक संगठन की स्थापना की है जिसे राज्य आयोग के नाम से जाना जाता है। यह आयोग नवम्बर, 1989 में स्थापित हो चुका है जिसका मुख्यालय राज्य की राजधानी चण्डीगढ़ में है, इसके तीन सदस्य हैं जिसमें उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को प्रजीडैंट तथा अन्य दो सदस्यों को मनोनीत किया गया है। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी संगठन जिला फोरम के नाम से स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना भी नवम्बर, 1989 को ही चुकी है। इसमें तीन सदस्य हैं इनका कार्यक्षेत्र राज्य के सभी जिलों तक सीमित है।

X. वैधानिक सुरक्षा अधिनियम, 1955

केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए वैधानिक सुरक्षा अधिनियम, 1955 को समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा संशोधित भी किया गया है। अस्पृश्यता अवरोध ाक, 1955 का नाम 19-11-1976 से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 हो गया है। अनुसूचित जाति का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 24 में दिया गया है। यह अधिनियम अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी नियोग्यता को लागू करने और उससे सम्बन्धित बातों के लिए दण्डाबिहीत करने के लिए है। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है।

धारा 3-7 के अधीन जो कोई ''अस्पृश्यता'' के आधार पर :- अगर कोई व्यक्ति की लोक पूजा स्थान, जलपान गृह, भोजनालय, काफी हाउस, लोक मनोरंजन स्थान, दुकानें, पुनीत, तालाब, कुण्ड, जलस्त्रोत, लोक उपहार, गृह, होटलों, धर्मशाला, सराय या मुसाफिर खाने में पानी के नल या जल के अन्य स्थान, किसी स्नानघाट, कब्रिस्तान, शमशानघाट, सड़क या रास्ते या लोक अभिगम के अन्य स्थान, सामाजिक या धार्मिक रूढ़ि या प्रथा, सांस्कृतिक जलूस में भाग लेने या जलूस निकालने, छात्रावास या शिक्षा संस्था में प्रवेश देने, अस्पताल, डिस्पैन्सरी से इन्कार करेगा या ऐसे अधिकार के प्रयोग में उत्पीड़ित करेगा, क्षति पंहुचाएगा, क्षुब्ध करेगा, बाधा डालेगा या कारित करेगा या कारित करने का प्रयत्न करेगा, उसका बहिष्कार करेगा, लिखित शब्दों द्वारा संकेतों द्वारा या दृष्यारोपियों द्वारा अस्पृष्यता को प्रोत्साहित करेगा उसे इस वैधानिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता है जिसमें कि जुर्म की नबैयत अनुसार 6 मास तक की अवधि के कारावास से और जुर्माने का प्रावधान है।

XI. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सम्पूर्ण भारत में (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर) 31-1-1990 से लागू किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को उच्च जाति के लोगों के अत्याचारों से मुक्त करवाना है। अत्याचार की परिभाषा में इन समुदाय के सदस्यों को न खाने योग्य सामग्री को खाने के लिए बाध्य करना या भूमि पर जबरन कब्जा करना या भूमि को बेचने इत्यादि के लिए बाध्य करना, बेगारी करने पर मजबूर करना तथा इच्छा के विरूद्ध उम्मीदवार को वोट दिलवाना, उनको बेइज्जत या तंग करने की नियत से सड़ा गला पदार्थ, टट्टी, पेशाब आदि उनके घर या आंगन के पास जमा करना, उनके कपड़े उतारना या नग्न परेड करना या मुंह पोत कर घुमाना, उनके खिलाफ झूठे मुकदमें करना या लोक सेवक को उनके खिलाफ गैर कानूनी कार्यवाही के लिए झूठी शिकायत करना, उनको जानबूझ कर लोगों की नजर में नीचा दिखाने या दबाने के लिए शर्मिदा करना या धमकाना या ऐसी औरत पर बेइज्जत करने के लिए आक्रमण करना या धमकाना या किसी द्वारा अपने प्रभुत्व का दुरूपयोग करते हुए ऐसी किसी स्त्री से सम्भोग करना या किसी चश्मे या दूसरे पानी के साधन को गन्दा करना जिससे उक्त लोगों के लिए पानी नाकाबिले इस्तेमाल हो जाए या उक्त लोगों को किसी सार्वजनिक जगह या रास्ते में जाने से रोकना या रूकावट डालना जहां पर उसे जाने का अधिकार हो यदि कोई उच्च जाति का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति को उपरोक्त तथ्यों पर आधारित बातों बारे दोषी पाया जाता है तो उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माना सहित कम से कम 6 मास तक व अधिक से अधिक 5 वर्ष तक, कैद की सजा दी जा सकती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाल मामलों की शीघ्र निपटाने हेतू प्रदेश में विशेष अदालतों का गठन किया गया है तथा विशेष अभियोजक नियुक्त किए गए हैं इस अधिनियम के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता के पात्र है।

धारा–4 **के अधीन कर्तव्य अवहेलना का दण्ड** – अगर कोई लोक सेवक जो जन जाति या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित न हो, जान बूझ कर इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्य का पालन न करे तो ऐसे लोक सेवक को कम से कम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष की सजा हो सकती है।

धारा–7 **के अधीन दोषी व्यक्ति की सम्पति जब्त करना** – जब किसी व्यक्ति को इस अधिकार के अन्तर्गत जुर्म का दोषी पाया जाए तो ऐसे दोषी व्यक्ति की वह चल या अचल संपति जब्त हो सकती है जिस सम्पति का उसने ऐसा जुर्म करने के लिए इस्तेमाल किया हो।

धारा 10-11 **के अधीन निष्कासित करना** – जब विशेष अदालत को इस्तगासा या पुलिस रिपोर्ट पर यह संतुष्टि हो जाती है कि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत ऐस सूचित या अनुसूचित क्षेत्र में कोई जुर्म करने का अंदेशा है तो अदालत लिखित आदेश देकर ऐसे व्यक्ति को निर्देश देने का अधिकार रखती है कि वह व्यक्ति अपने आप उक्त क्षेत्र से नियमित समय के अन्दर बाहर चला जाए और उक्त अवधि तक वहां वापिस न आए। ऐसे व्यक्ति को दो वर्ष तक इस विधि द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। निष्कासित किए व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह निष्कासित किए जाने के कारणों से सूचित किया जाए। अगर निष्कासित किया गया व्यक्ति आदेशों की पालना न करे या उनकी अवहेलना करे तो विशेष अदालत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे उस क्षेत्र से बाहर भेजने का अधिकार रखती है।

XII. पंचायती राज अधिनियम, 1994

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, हरियाणा राज्य में 22-4-1994 से लागू है इस अधिनियम के लागू होने के बाद से एक साल बाद यानि 22-4-1995 के बाद अगर किसी व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे हों तो वह किसी भी स्तर पर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता।

इसके अलावा कुल सीटों का एक तिहाई हिस्सा औरतों के लिए आरक्षित है। इस एक तिहाई हिस्से में अनुसूचित जाति की औरतें भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा एक सीट पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हर पंचायत में आरक्षित की गई। इसके अलावा जितने भी पद हैं उनका एक तिहाई हिस्सा भी औरतों के लिए आरक्षित हैं। यहां यह भी बताना उचित होगा कि पंचायत स्तर पर सरपंच, खण्ड स्तर पर अध्यक्ष व जिला स्तर पर जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए अुनसूचित जाति के लोगों को उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलता है। हर पंचायत में कुल सीटों का 1/5 हिस्सा सरपंच के लिए परिक्रमण विधि द्वारा लाटरी से आरक्षित होता है।

हर वह गांव जहां पर पांच सौ या इससे अधिक लोग रहते हैं वहां एक पंचायत होगी। कम से कम 6 पंच इनके अलावा सरपंच व उपसरपंच होंगे। जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 20 पंच किसी पंचायत के हो सकते हैं।

खण्ड स्तर पर पंचायत समिति का प्रावधान है जिसके कम से कम दस, या ज्यादा से ज्यादा तीस सदस्य होते हैं।

हर जिला स्तर पर एक जिला परिषद होती है जिसके कम से कम दस व ज्यादा से ज्यादा तीस सदस्य होते हैं।

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद का गठन पांच साल के लिए किया जाता है।

21. ग्राम पंचायत के कृत्य तथा कर्तव्य – ऐसे नियम के अधीन रहते हुए जो बनाए जाएं, ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि सभा क्षेत्र में आवश्यकताओं कार्यान्वयन के लिए, अपने निपटान पर निधियों की सीमाओं के भीतर सभी सहायक, संकर्मो तथा इनसे संबंधित निमार्णो सहित निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में प्रबन्ध करें।

1. सामान्य कृत्य –

(1) ग्राम सभा के किसी अधिविशेन में अपनाए गए प्रत्येक संकल्प पर ग्राम पंचायत द्वारा समायक रूप से विचार किया जायेगा तथा ग्राम पंचायत द्वारा किये गये निर्णय तथा कि गई कार्यवाही पंचायत की आगामी वर्ष की रिपोर्ट का भाग बनेगी।

(2) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना।

(3) वार्षिक बजट तैयार करना तथा उसे इसके सावनी अधिवेशन विचार के लिए ग्राम सभा को प्रस्तुत करना।

(4) प्राकृतिक आपदाओं में राहत जुटाने की शक्ति ।

(5) सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमणों को हटाना।

(6) सामुदायिक संकर्मो के लिए स्वैच्छिक श्रम तथा अंशदान आयोजित करना।

(7) ग्राम (ग्रामों) की आवश्यक सांख्यिकी का अनुरक्षण।

II. कृषि, कृषि विस्तार सहित –

(1) कृषि तथा बागवानी को प्रोत्साहन तथा विकास।

(2) बंजर भूमियों का विकास।

(3) चराई भूमियों का विकास तथा अनुरक्षंण और उनके अनधिकृत हस्तांतरण तथा उपयोग का निवारण।

III. पशु पालन, डेरी तथा मुर्गी पालन –

(1) पशु प्रजनन, मुर्गीपालन तथा पशुधन में सुधार।

(2) डेरी उद्योग, मुर्गीपालन तथा सुअर पालन को प्रोत्साहन।

(3) चराहगाह का विकास।

IV. मछली पालन ग्राम (ग्रामों) में मछली पालन का विकास।

V. सामाजिक तथा कृषि वानिकी, लघु वन उपज, ईधन चारा –

(1) इसके नियंत्रणाधीन सड़कों के दोनों और तथा अन्य सार्वजनिक भुमिओं पर पौधारोपण तथा वृक्षों पर परिरक्षण।

(2) ईधन बगान तथा चारा विकास।

(3) कृषि वानिकी को प्रोत्साहन।

(4) सामाजिक वानिकी का विकास।

VI. खादी, ग्राम तथा कुटीर उद्योग –

(1) ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहान।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए चेतना कैम्पों, सेमिनारों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन।

VII. ग्रामीण आवास –

(1) इसकी अधिकारिता के भीतर स्थलों का वितरण।

(2) गृहों, स्थलों तथा अन्य प्राइवेट तथा सार्वजनिक सम्पतियों से सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

VIII. पेय जल –

(1) पेयजल कूओं, टैंको तथा तालाब निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण।

(2) जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण।

(3) ग्रामीण जलप्रदाय स्कीमों का अनुरक्षण।

IX. निर्माण, जलमार्ग –

(1) इसके नियंत्रणाधीन अथवा सरकार अथवा अन्य सरकारी प्राधिकरण द्व ारा इसके अंतरित निर्माणों का अनुरक्षण।

(2) नौकाओं, नौघटों तथा जलमार्गो का अनुरक्षण।

ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें सार्वजनिक गलियों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के विद्युतप्रकाश की व्यवस्था तथा अनुरक्षण के लिए विद्युत का वितरण शामिल है।

X. अकृत्रिम ऊर्जा साधन –

(1) अकृत्रिम ऊर्जा स्कीमों का प्रोत्साहन तथा विकास।

(2) सामुदायिक अकृत्रिम ऊर्जा साधनों का अनुरक्षण, जिसमें बायोगैस संयंत्र तथा पवनचक्की शामिल है।

(3) विकसित चूल्हों तथा अन्य सफल साधनों का प्रचार।

XI. गरीबी उपशामन कार्यक्रम –

(1) पूर्ण नियोजन के लिए गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में सार्वजनिक चेतना तथा भागीदारी को प्रोत्साहन तथा उत्पादक परिसंपतियों का सृजन जिसमे नियोजन आश्वासन स्कीम शामिल है।

(2) सारी ग्राम सभा के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन लाभ ग्राहियों का चयन।

(3) प्रभावी कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण में भागीदारी।

XII. शिक्षा जिसमें प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं –

(1) सार्वजनिक चेतना तथा प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी को प्रोत्साहन।

(2) प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में पूर्ण भर्ती तथा उपस्थिति तथा इसके संबंध को सुनिशित करना।

XIII. वयस्क तथा अनौपचारिक–शिक्षा वयस्क साक्षरता को प्रोत्साहन।

XIV. पुस्तकालय–ग्राम पुस्तकालय तथा वाचनालय।

XV. सांस्कृतिक कार्यकलाप–सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों का प्रोत्साहन।

XVI. मंडियां तथा मेले–मेलों का विनियमन, पशु तथा धार्मिक उत्सवों से भिन्न मेलों को छोड़कर।

XVII. ग्रामीण सफाई –

(1) सामान्य सफाई का अनुरक्षण।

(2) सार्वजनिक सड़के, नालियां, टेंक, कूएं तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई।

(3) शमशानों तथा कब्रिस्तानों का अनुरक्षण तथा विनियमन।

(4) सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण तथा अनुरक्षण।

(5) अदावाकृत शवों तथा लाशों का व्ययन।

(6) धावन तथा स्नान घाटों का प्रबंध तथा अनुरक्षण।

XVIII. सार्वजनिक स्वास्थय तथा परिवार कल्याण –

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(2) महामारियों के विरूद्ध निवारणात्मक तथा उपचारी उपाय।

(3) मांस, मछली तथा अन्य विनश्वर खाद्य वस्तुओं का विनियमन।

(4) मानव तथा पशु टीका कार्यक्रमों में भाग लेना।

(5) खाद्य तथा मनोरंजन स्थापना का अनुज्ञापन।

(6) आवारा कुतों का नष्टीकरण।

(7) चमड़े तथा खालों की पकाई, कमाई तथा रंगाई का विनियमन।

(8) आपतिजनक तथा खतरनाक व्यापारों का विनियमन।

XIX. महिला तथा शिशु विकास –

(1) महिला तथा शिशु कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भागीदारी।

(2) शिशु स्वास्थय तथा आहार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन।

XX. समाज कल्याण, जिसमें विकलांग तथा मानसिक रूप से मंदबुद्धि शामिल हैं –

(1) समाज कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना, जिसमें विकलांग तथा मानसिक रूप से मंदबुद्धि तथा निराश्रित शामिल हैं।

(2) वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन स्कीमों को मानीटर करना।

XXI. कमजोर वर्गो तथा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों का कल्याण –

(1) अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गो के कल्याण के संबंध में सार्वजनिक चेतना को प्रोत्साहन देना।

XXII. सार्वजनिक वितरण प्रणाली –

(1) आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में सार्वजनिक चेतना को प्रोत्साहन देना।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मनीटर करना।

XXIII. सामुदायिक परिसंपतियों का अनुरक्षण।

XXIV. धर्मशालाओं तथा उसी प्रकार की संस्थाओं का निर्माण तथा अनुरक्षण।

XXV. पशु शैडों तालाब तथा छकड़ा अड्डों का निर्माण तथा अनुरक्षण।

XXVI. वधशालाओं का निर्माण तथा अनुरक्षण।

XXVII. सार्वजनिक पार्को, खेल के मैदानों आदि का अनुरक्षण।

XXVIII. सार्वजनिक स्थानों में खाद्य के गड्डों का विनियम।

XXIX. अन्य कृत्य–जो सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे जाएं।

31. निषेध लागू करने की शक्ति - (1) कोई ग्राम पंचायत किसी भी वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाली और सितंबर के 30वें दिन को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय पदधारण करने वाले पंचों के बहुमत द्व ारा पारित संकल्प द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि मादक मदिरा ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी अनुज्ञात दुकान में न बेची जाए।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई संकल्प पारित किया गया है और आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय में अक्तूबर के 31वें दिन को या उससे पहले प्राप्त होता है तो वह ऐसे संकल्प के बाद आने वाले वर्ष के अप्रैल के पहल दिन से लागू होगा।

(2) उस समय लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) अथवा किसी अन्य अधिनियम में और उसके अधीन बनाए गए नियमों में उक्त अधिनियम के अधीन कलैक्टर की शक्तियों तथा कृत्यों के बारे में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा संकल्प आबकारी एवं कराधान आयुक्त पर आबद्धकर होगा;

परन्तु यदि आबकारी तथा कराधान आयुक्त को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर यह राय है कि ऐस संकल्प के पारित होने की तिथि से पूर्ववर्ती दो वर्ष के भीतर ऐसे स्थानीय क्षेत्र में मददसार का अवैध आवसन या तस्कर व्यापार किया गया है या इसके संबधं में मौनानुकूल रह गया है, तो ऐसे स्थानीय क्षेत्र में ऐसा संकल्प उस पर तब तक आबद्धकर नहीं होगा, जब तक कि सरकार यह आदेश नहीं करती कि वह इस प्रकार आबद्धकर होगा।

53. सरपंच, 1(* * *) और पंच का दायित्व - (1) ग्राम पंचायत का प्रत्येक सरपंच 1(* * *) अथवा पंच उस ग्राम पंचायत से सम्बन्धित ग्राम निधि अथवा सम्पति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिए दाई होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसके सरपंच 1(* * *) अथवा पंच, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में कार्य करते रहने पर उसकी उपेक्षा या अवचार का परिणाम है।

(2) सम्बद्ध खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी किसी ग्राम पंचायत के आवेदन पर या अन्यथा उस ग्राम पंचायत से सम्बिन्धित ग्राम निधि अथवा सम्पति की हानि, दुर्व्यय अथवा दुरूपयोजन के लिए तथा सरपचं 1(* * *) अथवा पंच, जैसी भी स्थिति हो, को स्पष्टीकरण को पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी ग्राम विधि अथवा सम्पति को ऐसी हानि, दुर्व्यय अथवा दुरूपयोजन के मद्द के उससे देय राशि लिखित में आदेश द्वारा निर्धारित कर सकता है और इसकी वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तिथि से एक मास के भीतर उसे अपास्त करवाने के लिए निदेशक, को आवेदन कर सकता है और निदेशक न्यायालय में अथवा अन्यथा भुगतान करके ऐसे निबन्धों पर, जो वह उचित समझे, ऐसे आदेश को निलम्बित,

परिवर्तित अथवा विखंडित कर सकता है, किन्तु ऐसे आवेदन के परिणाम के अध्याधीन, यदि कोई हो, आदेश देय राशि का निश्चायक प्रमाण होगा।

(4) उपधारा (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकार किसी भी समय, या तो स्वप्रेरणा से, या आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर, इस निमित प्राप्त किसी आवेदन पर, ऐसी कार्यवाही के अभिलेख मंगा सकती है, जिसमें निदेश ने उपधारा (3) के अधीन ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपनी सन्तुष्टि के प्रयोजन के लिए कोई आदेश किया है और उसके बारे में ऐसे आदेश कर सकती है, जो वह उचित समझती है :

परन्तु सरकार इस उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, नहीं करेगी।

(5) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति से, कोई हानि, से दुर्व्यय या दुरूपयोग होने से छह वर्ष की समाप्ति के पश्चात, या उसके सरपंच (* * *) अथवा पंच जैसी भी स्थिति हो, न रहने दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात, जो भी पहले हो, यह स्पष्ट करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि क्यों न उससे किसी हानि को पूरा करने की अपेक्षा की जाए।

(6) सरपंच 1 (* * *) अथवा पंच, जैसी भी स्थिति हो, से देश निर्धारित राशि उसकी मृत्यु के बाद, उनके द्वारा पैतृक सम्पति की सीमा तक उसके विधिक उतराधिकारियों से वसूल की जाएगी।

* * * * *

XIII. पंचायत समितियों के कर्तव्य तथा शक्तियां

75. कृत्य तथा कर्तव्य – (1) ऐसे अपवादों तथा शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिरोपित करें पंचायत समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित विषयों के बारे में व्यवस्था तथा प्रबन्ध करे, अर्थात् –

I. सामान्य कृत्य

(क) अधिनियम के आधार पर उसे सौंपी गई तथा सरकार अथवा जिला परिषद् द्वारा समनुदेशित उन स्कीमों के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाओं की तैयारी करना तथा इस अधिनियम के अधीन गठित जिला योजना समिति के विचार के लिए उसकी प्राप्ति के दो मास की अवधि के भीतर कार्यकारी अधिकारी को उनकी प्रस्तुत करेगी।

(ख) खण्ड की सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर विचार–मनन और समेकन और समेकित योजना का जिला परिषद् को सौंपा जाना;

(ग) खण्ड के वार्षिक बजट को तैयार करना और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, जिला परिषद् को सौंपना;

(घ) ऐसे कृत्य पूर्ण करना और ऐसे कार्य निष्पादित करना जो ऐसे सरकार या जिला परिषद् द्वारा सौंपे जाएं;

(ड.) प्राकृतिक आपदाओं में राहत देना।

II. कृषि, जिसमें कृषि विस्तार शामिल है –

(क) कृषि और बागवानी को प्रोत्साहन और विकास;

(ख) कृषि बीज फार्मों और बागवानी नर्सरियों का अनुरक्षण;

(ग) खादों, कीटनाशकों और नाशक जीवमारों का संग्रहण और वितरण;

(घ) खेती के उन्नत ढंगों का प्रचार, खेती, अनाजों, वनस्पतियों, फलों और फूलों के मण्डीकरण को प्रोत्साहित करना।

III. भूमि परिशोधन और भू–परिरक्षण –

सरकार के भूमि परिशोधन और भूमि–परिरक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सरकार और जिला परिषद् की सहायता करना।

लघु संचाई, जल–व्यवस्था और जल सायबानों का विकास –

(क) लघु संचाई संकर्मों, के सन्निर्माण और अनुरक्षण में सरकार और जिला परिषद् की सहायता करना; और

(ख) सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई संकर्मो को कार्यान्वित करना।

पशु पालन, डेरी उद्योग और मुर्गीपालन–

(क) पशु चिकित्सा और पशुपालन सेवा का अनुरक्षण;

(ख) पशु, कुक्कड और अन्य धन की नसल में सुधार;

(ग) डेरी उद्योग, मुर्गी पालन और सुअर पालन को प्रोत्साहन;

(घ) महामारी और छूत के रोगों की रोकथाम।

मछली पालन –

मछली पालन विकास को प्रोत्साहन देना –

खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग –

(क) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना;

(ख) सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों (सेमिनार) और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा औद्य ोगिक प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना।

VIII. ग्रामीण आवास व्यवस्था –

(क) गांवों में आवास व्यवस्था करना और आवास–स्थलों का वितरण करना।

IX. पीने का पानी –

(क) ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों की स्थापना, मरम्मत और अनुरक्षण;

(ख) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण;

(ग) ग्रामीण स्वच्छता प्रबन्ध स्कीमों को लागू करना।

X. सामाजिक और फार्म–वनप्रांत, लघु वन–उपज, ईधन चारा –

(क) अपने नियंत्रणाधीन सड़कों के किनारों पर तथा सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाना और उनकी रक्षा करना;

(ख) ईधन, रोपस्थली और चारे को बढ़ाना।

(ग) फार्म वन–प्रान्त को बढ़ावा देना।

XI. पंचायत समिति में निहित सम्पति और निर्माणों का अनुरक्षण –

किसी निर्माण अथवा अन्य सम्पति का अनुरक्षण।

XII. गैर रूढ़िगत ऊर्जा स्त्रोत –

गैर रूढ़िगत ऊर्जा स्त्रोतों का विकास करना और प्रोत्साहन देना।

XIII. गरीबी प्रशमन कार्यक्रम –

गरीबी प्रशमन कार्यक्रमों को लागू करना।

XIV. शिक्षा –

(क) प्राथमिक और सेकेण्डरी शिक्षा को प्रोत्साहन करना;

(ख) प्राथमिक स्कूल निर्माणों का संनिर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण;

(ग) युवा–क्लबों और महिला मण्डलों द्वारा सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

XV. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा –

ग्रामीण दस्तकारों और व्यवसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना।

XVI. प्रौढ़ और गैर–औपचारिक शिक्षा –

प्रौढ़ साक्षरता लागू करना।

XVII. सांस्कृतिक कार्य–कलाप जिसमें सामाजिक शिक्षा भी शामिल है –

समाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना;

(क) सूचना, समुदाय और मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना;

(ख) चौकीदार की व्यवस्था करना;

(ग) शारीरिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेल–कूद एवं क्रीड़ा को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना;

(घ) आंगनवाड़ी, कर्मकारों और स्वच्छता उड़नदस्तों को प्रशिक्षण देना और उनकी सेवाओं को उपयोग में लाना;

XVIII. मंडियां और मेले –

मेले और त्योहारों को विनियमित करना।

XIX. स्वास्थय, परिवार–कल्याण और ग्रामीण स्वच्छता।

(क) स्वास्थ्य, परिवार–कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना;

(ख) प्रतिरक्षण और टीकाकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना;

(ग) स्वास्थ्य सेवाओं को अनुरक्षण और महामारियों पर नियंत्रण;

(घ) औषधालयों और डिस्पेन्सरियों आयुर्वेदिक, यूनानी या होम्योपैथी, पशु–चिकित्सालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और निरीक्षण;

(ङ) पर्यावरणात्मक स्वच्छता, स्वास्थ्य अभियान चलाना और लोगों को शिक्षण देना;

(I) पोषण;

(II) प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य;

(III) संक्रात्मक रोग।

(च) मलेरिया–रोधी उपाय और टिड्डियों, चूहों और कीट विस्तारणों को नष्ट करना;

(छ) परिवार–कल्याण कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ज) मेलों और त्यौहारों में स्वास्थ्य और स्वच्छता।

XX. महिलाओं और बच्चों का विकास –

(क) महिलाओं और बच्चों के विकास से सम्बम्ध कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना;

(ख) बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना;

(ग) महिलओं और बच्चों के विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संस्थाओं के योगदान को प्रोत्साहित करना।

XXI. समाज कल्याण, जिसमें अपाहिजों और मंद बुद्धि वालों का कल्याण भी शामिल है–

(क) समाज–कल्याण कार्यक्रम जिनमें शारीरिक रूप से विकलांग, मंद बुद्धि वालों का कल्याण भी शामिल हैं;

(ख) वृद्धों, विधवाओं की पेंशन और अपाहिजों की पेंशन का प्रबोधन करना।

XXII. कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों का कल्याण –

(क) कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों का कल्याण को प्रोत्साहित करना।

(ख) ऐसी जातियों और वर्गों की सामाजिक अन्याय और शोषण से प्रतिरक्षा करना।

XXIII. सामुदायिक परिसम्पतियों का अनुरक्षण –

(क) उसमें निहित अथवा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा संस्था द्वारा उसे अन्तरित सभी परिसम्पतियों का अनुरक्षण;

(ख) अन्य सामुदायिक परिसम्पतियों का परीरक्षण या अनुरक्षण।

XXIV. सार्वजनिक वितरण प्रणाली –

आवश्यक वस्तुओं का वितरण।

XXV. ग्रामीण बिजलीकरण को प्रोत्साहित करना –

XXVI. सहकारिता –

(क) सहकारी, औद्योगिक, सिंचाई, खेती और अन्य सोसाइटियों की स्थापना को प्रोत्साहन देना और सेवा सुदृढ़ बनाने में सहायता कर सहकारिता बढ़ाना;

(ख) सहकारिता सेवा में भाग लेना और उसे सहायता देना;

(ग) कृषि प्रयोजनों हेतु ऋण देना।

XXVII. पुस्तकालय –

पुस्तकालयों और वाचनालयों को बढ़ावा देना।

XXVIII. ऐसे अन्य कार्य जो इन्हें सौंपे जाएं –

XXIX. विविध –

(क) खतरनाक निर्माणों और स्थलों को सुरिक्षत करना या हटाना;

(ख) अकाल, बाढ़, भूचाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत कार्यो, राहत गृह और राहत के उपायों का संनिर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण।

(ग) उतरी भारत नौ-घाट अधिनियम, 1878 की धारा 7-क के अधीन ऐसी सार्वजनिक नौ-घाटों की व्यवस्था करना, जिनका उन्हें भारसाधन दिया जायेः

परन्तु जहां सरकार अथवा जिला परिषद् द्वारा किसी पंचायत समिति को सौंपे गये अतिरिक्त कृत्यों का विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में धन व्यय होने लगा है, सरकार अथवा किसी जिला परिषद् जैसी भी स्थिति हो, ऐसी वितीय सहायता, यदि कोई हो, और जो उचित समझी जाए, की व्यवस्था करेगी। सरकार अथवा जिला परिषद् का इस निमित आदेश अन्तिम होगा।

(2) कोई पंचायत समिति अपनी अधिकारितान्तर्गत क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार अथवा जिला परिषद् के अनुमोदन से या उसके सुझाव पर, किसी ऐसे अन्य विषय के बारे में भी, व्यवस्था तथा प्रबन्ध कर सकती है, जो उपधारा (1) में उपवर्णित नहीं है।

76. सामुदायिक विकास कार्यक्रम - (1) पंचायत समिति, सरकार द्वारा पंचायत समिति को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के निमित दिये गये अनुदानों से वित पोषित कार्यक्रम बनाने तथा उन्हें निष्पादित करने के लिये, अपने प्राधिकाराधीन क्षेत्र के भीतर, सरकार की अभिकर्ता करेगी।

(1) जहां सरकार, किसी पंचायत समिति के क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन कर्ज देने का भी विनिश्चय करती है, जहां ऐसे कर्ज पंचायत समिति द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझती है, ऐसे कर्जों को लागू निबन्धनों और शर्तों पर बांटे जायेंगे।

77. पंचायत समितियों का ग्राम पंचायतों से सम्बन्ध - (1) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई पंचायत समिति, विहित रीति में अपने क्षेत्र या उसके किसी भाग के भीतर, जो सरकार द्वारा इस निमित जारी किये गये आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये,

ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कृत्यों में से सभी या किन्हीं के पालन का ऐसा पर्यवेक्षण करेगी तथा उस पर ऐसा नियन्त्रण रखेगी और ऐसी प्राविधिक और वितीय सहायता भी देगी, जो पंचायत समिति के क्षेत्र के भीतर ग्राम पंचायतों द्वारा ऐसी विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये अपेक्षित हो, जिन्हें निष्पादित करना ऐसी पंचायतों की शक्ति से बाहर है।

(2) ऐसे निबन्धनों के अध्यधीन् जिन पर सहमति हो, कोई पंचायत समिति, निम्नलिखित में से कोई कर्तव्य, किसी ग्राम पंचायत को प्रत्यायोजित कर सकती है, अर्थात;

(i) पंचायत समिति के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियन्त्रक के अधीन कोई विषय;

(ii) पंचायत समिति के नियन्त्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी सम्पति का संनिर्माण, अनुरक्षण अथवा उसका सुधार।

XIV. जिला परिषद् के कृत्य तथा कर्तव्य

137. जिला परिषद् के कृत्य या कर्तव्य - (1) जिला परिषद् जिले में पंचायत समितियों को सलाह देगी तथा उनके कृत्यों का पर्यवेक्षण तथा समन्वय करेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला परिषद् को -

(क) पंचायत समिति को, उसको अथवा सरकार को अपेक्षा करने पर स्वप्रेरणा से अथवा पंचायत समिति के निवेदन पर, सलाह देने को;

(ख) पंचायत समिति के संबंध में तैयार की गई विकास योजनाओं को समन्वय तथा समेकन करने को;

(ग) जिलों को दो या अधिक पंचायत समितियों को संयुक्त योजनाओं, परियोजनाओं, स्कीमों या अन्य संकर्मों का निष्पादन सुनिश्चित कराने की;

(घ) किसी विकास कार्यक्रम के संबंध में, जैसे सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रदान करे अथवा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने को;

(ड.) जिले में विकास क्रियाकलापों तथा सेवाओं के अनुरक्षण से संबंधित सभी विषयों पर चाहे स्थानीय प्राधिकरणों अथवा सरकार द्वारा हाथ में लिया गया हो, सरकार को परामर्श देने को;

(च) पंचायतों और पंचायत समितियों के बोध कार्य के आबंटन तथा उनके कार्य को समन्वय करने पर सरकार को परामर्श देने को;

(छ) जिला परिषद् को सरकार द्वारा विशेषतः निर्दिष्ट किसी कानूनी या कार्यपालक आदेश के कार्यान्वयन से संबंद्ध विषयों पर सरकार को परार्मश देने की देने को; तथा

(ज) इस अधिनियम की धारा 102 में अधिकथित रीति में पंचायत समितियों के बजट का परीक्षण करने तथा उसे अनुमोदित करने।

(3) जिला परिषद् सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जिले में पंचायत समितियों की निधियों में से अंशदान उद्गृहीत करेगी।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई जिला परिषद् जब लिखित रूप में किसी आदेश द्वारा, ऐसा करना सरकार द्वारा अपेक्षित हो, जिला अथवा उसके किसी भाग के भीतर ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों के सभी या किन्हीं प्रशासकीय कृत्यों का अनुपालन या ऐसे पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण को प्रयोग करेगी, जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाये।

163. प्रत्येक निर्वाचन खण्ड के लिए मतदाताओं की सूची – प्रत्येक निर्वाचन खण्ड के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मतदाताओं की एक सूची तैयार तथा अनुरक्षित की जाएगी।

175. अयोग्यताएं – (1) कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सरपंच (* * *) अथवा पंच अथवा किसी पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् का सदस्य नहीं होगा अथवा इस रूप में नहीं बना रहेगा जो –

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अथवा बाद में –

(i) जब तक उसको सिद्ध दोषों में पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशेष मामले में अनुज्ञात करे, बीत न गई हो, वैधानिक सुरक्षा अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 22 के अधीन किसी अपराध का

(ii) जब तक उसकी निर्मुक्ति पांच वर्ष की अवधि अथवा ऐसी कम अवधि जो सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे बीत गई हो, किसी अन्य अपराध का सिद्ध दोष न हो गया हो और कम से कम छः मास के कारावास में दंडित रहा हो; और

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित वित न्याय निर्णीत किया गया है; अथवा

(ग) न्याय निर्णीत दिवालिया है और उनमुक्ति प्राप्त न की हो;

अथवा

(घ) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् में अथवा पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 तथा पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, किसी ग्राम पंचायत व पंचायत समिति या जिला परिषद् में उसके द्वारा धारित किसी पद से हटा दिया गया हो, और ऐसे हटाए जाने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि न बीत गई हो, जब तक वह राजपत्र में अधिसूचित किए गए सरकार के किसी आदेश द्वारा, पद से ऐसे हटाए जाने के मुददे उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओं से निर्मुक्त न कर दिया गया हो; अथवा

(ड.) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन पद धारण करने से अयोग्य हो गया और अवधि, जिसके लिए वह इस प्रकार अयोग्य हो गया हो, बीत न गई हो;

(च) किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा परिषद् में किसी वैतनिक पद अथवा लाभ का पद धारण करता है;

(छ) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के आदेश द्वारा किए गए किसी कार्य में स्वयं या उसका भागीदार प्रत्यक्ष या अप्रत्य क्ष रूप में कोई अंश या हित है;

(ज) किसी ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक से अग्रिम या उधार लिए गए धन के किसी सव्यवहार में स्वयं या उसके भागीदार का प्रत्य क्ष या अप्रत्यक्ष हित है; या

(झ) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् या उसके अधीनस्थ कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् को उसके द्व ारा देय किसी प्रकार का कोई बकाया अथवा इस अधिनियम के अध्यायों तथा उपबंधों के अनुसार उससे वसूली योग्य कोई राशि, इस निमित बनाए गए नियमों के अनुसार उस पर तामील किए गय किसी नोटिस के पश्चात् तीन मास के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है;

(ञ) सरकार का सेवक है अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण का कोई सेवक है; या

(ट) स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली गई है अथवा किसी विदेशी राज्य के सत्यनिष्ठा अथवा निष्ठा हो किसी अभिस्वीकृति के अधीन है; अथवा

(ठ) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधो के अधीन अयोग्य है तथा अवधि जिसके लिए वह इस प्रकार अयोग्य किया गया था बीत नहीं गई है; अथवा

(ड) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् के अधीन पटटे के किसी अभिघृति का धारक अभिधारी या पटटाधारी है अथवा जिसके ग्रां पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधीन धारित किसी पट्टे पर अभिधृति के किराए के बकाया है; या

(ढ) निर्वाचन की तिथि से पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् से संबंधित भूमि या अन्य अचल संपति का अनाधिकृत कब्जा रखता है या रखता रहा है; अथवा

1["(ण) सरपंच या पंच या पंचायत समिति अथवा किसी जिला परिषद् का सदस्य होते हुए, नियमों के अधीन अनुज्ञात से अधिक नकदी हाथ में रखता है और विहित प्राधिकरण के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, उसके द्वारा

विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रतिवर्ष इक्कीस प्रतिशत के दर पर ब्याज सहित उसे जमा नहीं करवाता है; अथवा

1. हरियाणा सरकार द्वारा संशोधित, जून 25, 1999, पृ. 140

(त) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् का सरपंच, या पंच अथवा कोई अध्यक्ष, प्रधान या उप-प्रधान या सदस्य होते हुये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् से संबंधित अथवा उनमें निहित अभिलेख तथा पंजियाँ तथा अन्य सम्पति उसकी अभिरक्षा में है, तथा उसे विहित प्राधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अनुसरण में, आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सौंप नहीं देता;

(थ) जिसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं -

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ में एक वर्ष की समाप्ति पर या तब तक दो से अधिक बच्चे रखने वाला व्यक्ति निर्हित नहीं समझा जायेगा।

इस संबंध में उचित प्राधिकार के बिना ग्राम पंचायत के विरूद्ध दावा मान लेता है -

परन्तु ऐसी अयोग्यता छः वर्ष की अवधि के लिए होगी; तथा

व्याख्या 1. - कोई भी व्यक्ति खण्ड (छ) के अधीन किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् की सदस्यता के लिए केवल इस कारण से अयोग्य नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति।

(क) किसी संयुक्त स्टॉक कम्पनी में शेयर रखता है अथवा उस समय लागू किसी तिथि के अधीन किसी पंजीकृत सोसाइटी में कोई अंश या हित रखता है; जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में संविदा करेगा तथा उसक द्वारा अथवा उसके निमित नियोजित किया जाएगा;

(ख) किसी समाचार पत्र में कोई शेयर या हित रखता है जिसमें किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के कार्यकलापों के संबंध में कोई विज्ञापन प्रतिस्थापित किया जाए; अथवा

(ग) किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् या उसकी ओर से लिए गए किसी ऋण में किसी डिबेंचर का धारक है या अन्यथा संबद्ध है; अथवा

(घ) एक विधि व्यवसायों के रूप में किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की ओर व्यवसायिक रूप में लगा हुआ है; अथवा

(ड.) अचल सम्पति के किसी पट्टे में, जिसमें उसके अपने मामले में किराये की राशि का अनुमोदन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा किया गया है अथवा अचल सम्पति के विक्रय या क्रय में, अथवा ऐसे पट्टे, विक्रय या क्रय के किसी करार में, कोई शेयर अथवा हित, रखता है; अथवा

(च) किसी वस्तु के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् को यदा कदा किए जाने वाले विक्रय जिसमें वह नियति रूप में व्यापार करता है, या किसी वस्तु का ग्राम पंचायत से क्रय, में जिसका मूल्य, दोनों में से किसी भी दशा में, किसी वर्ष में एक हजार रूपये से अधिक नहीं होगा। शेयर या हित रखता है।

व्यापार 2. – खण्ड (1) के प्रयोजन के लिए –

(i) कोई भी व्यक्ति, यदि उसने उम्मीदवारों के नामांकन के लिए विहित दिन से पूर्व, इस उपधारा के खण्ड (1) में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, तो अयोग्य नहीं समझा जाएगा;

(ii) 3[* * *]

व्यक्तिगत कानून

व्यक्तिगत कानून उसे कहते हैं जो व्यक्ति के धर्म अनुसार लागू होता है। आजादी से पहले लगभग यह अलिखित था। आजादी के बाद भारत सरकार ने काफी हद तक इसे लिखित रूप में पास कर दिया है। व्यक्तिगत कानून की इस कड़ी में हम सबसे पहले विवाह से संबंधित कानून पर बात करेंगें जब विवाह की बात होती है तो दहेज पर बने कानून की चर्चा जरूरी है। विवाह से ही सम्बंधित विषय है तलाक। जब बात तलाक तक पंहुचती है तो महिला के लिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि तलाक के बाद उसका खर्चा पानी कहां से आएगा। साथ ही बच्चों के भविष्य का प्रश्न भी जुड़ जाता है कि तलाक के बाद बच्चे किसके पास रहेंगे। इन सभी विषयों पर भारत सरकार ने कानून बनाये हैं। जो सरल भाषा व संक्षेप में आपको बताएंगे।

जिन माता पिता के पास अपने बच्चे नहीं होते उन्हें गोद लेने का अधिकार दिया गया। यह अधिकार तथा विवाह, दहेज, तलाक, खर्चा–पानी, बच्चों की अभिरक्षा इत्यादि कानूनी व्यक्तिगत कानून में आते हैं।

विवाह

यह कानून हमें बताता है कि कौन, किस से, कब और कैसे विवाह कर सकता है।

विवाह के नियम

- ❖ यह कानून सभी हिन्दूओं पर लागू होता है।
- ❖ वर या कन्या के रस्मों रिवाज के अनुसार विवाह होना चाहिए।
- ❖ वर और कन्या नजदीकी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए।
- ❖ दोनों को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- ❖ विवाह के समय दोनों पहले से अविवाहित हों या तलाकशुदा हों या फिर विवाह करने वाले का पति या पत्नी जिन्दा न हो।
- ❖ विवाह के समय लड़के की उम्र कम से कम 21 साल व लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।

अगर उपलिखित की सब शर्ते पूरी हो तब शादी पक्की मानी जाती है किन्तु नीचे लिखा कोई कारण हो तो शादी रद्द की जा सकती है। ये कारण है :-

- ❖ अगर शादी धोखे या दबाव से की गई हो। या किसी किस्म का छल कपट हो।
- ❖ पति की नामर्दगी के कारण अगर विवाह का सुख ना भोगा है।
- ❖ अवयस्क की शादी व्यस्क होने पर रद्द की जा सकती है।

इन कारणों से पत्नी अदालत में अर्जी देकर विवाह को रद्द करवा सकती है।

दूसरी शादी

- ❖ कई बार यह देखा गया है कि एक पत्नी के रहते पति दूसरी शादी कर लेता है। यह गैरकानूनी है।
- ❖ पत्नी की सहमति से भी दूसरी शादी करना मना है।
- ❖ दूसरी पत्नी खर्चा नहीं मांग सकती है और न ही पति की सम्पति में हिस्सा। अगर पहली पत्नी की मौजूदगी दूसरी पत्नी से छिपाई गई हो तो उसे पति के खिलाफ धोखा धड़ी का मुकदमा करने का अधिकार है।
- ❖ दूसरी शादी से हुए बच्चों को पिता की सम्पति में वे सभी अधिकार मिलते हैं जायज बच्चों को मिलते हैं।

बाल विवाह

विवाह एक ऐसी चीज है जिसके लिए शरीर और मन से तैयार होना पड़ता है। बच्चों के लिए ही अच्छा होगा कि विवाह के समय लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल हो। भारत सरकार ने 'बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929' बनाया है। इसमें लिखा है कि बाल विवाह करवाने वाले माता-पिता, रिश्तेदार या पंड़ित को सजा, जुर्माना हो सकता है।

जिसे भी पता लगे कि कहीं पर बाल विवाह हो रहा है तो उसे थाने में खबर करनी चाहिए। पुलिस पूछताछ करके मैजिस्ट्रेट को खबर करेगी। बाल विवाह का अपराध साबित होने पर अपराधी को तीन महीने की कैद या 1000 रूपये जुर्माना व दोनों हो सकते हैं।

दहेज

विवाह अक्सर किसी बिचौलिए या रिश्तेदार की सहायता से तय किये जाते हैं और साथ ही दहेज में दी जाने वाली नकदी तथा सामान भी तय हो जाता है। इस परम्परा के नाम पर आजकल लड़कियों की अर्थी कुछ समय में ही निकल जाती है। चलो देखते हैं कि दहेज के विषय में सरकार द्वारा बनाया गया 'दहेज निषेध अधिनियम 1961' क्या कहता है।

दहेज के लिए सजा

- ❖ दहेज मांगना, लेना, देना और दहेज के लेन देन में सहायता करना अपराध है।

- ❖ दहेज लेने या देने के लिए पांच साल तक की कैद, 15,000/- रूपये जुर्माना, और अगर दहेज की कीमत 15,000/- रूपये से ज्यादा हो तो उस रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है।

- ❖ दहेज मांगने की सजा 6 महीने की कैद है।

- ❖ दहेज लेने के या शादी के तीन महीने के अन्दर सारा दहेज लड़की को सौंपना होता है वरना सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

  यह बात दहेज के बारे में थी। पर दुखदायी कहानी तब शुरू होती है जब दहेज के लिए लड़की को सताना, उस पर जुल्म करना, मारना पीटना, ताने देना इत्यादि शुरू हो जाता है। अक्सर लड़की को जान से मार दिया जाता है या फिर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए फौजदारी कानून में प्रबन्ध किए गए हैं। ये कानूनी हैं 'भारतीय दण्ड संहिता 1860', 'दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973', 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872'।

दहेज के लिए तंग करना

- ❖ अगर किसी औरत का पति या उसके रिश्तेदार दहेज के लिए उससे बुरा व्यवहार करते हैं या मायके से धन सम्पत्ति लाने के लिए परेशान करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं या आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं तो कानून उन्हें सजा देगा।

- ❖ अगर शादी के सात साल के अन्दर लड़की के साथ बुरा सलूक किया जाता है या उसकी गैर-प्राकृतिक ढ़ंग से मृत्यु हो जाती है तो उसके ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

शिकायत दर्ज कौन करवा सकता है

- ❖ कोई भी पुलिस अफसर।

- ❖ कोई भी व्यक्ति जो दहेज से पीड़ित हो।

- ❖ किसी दहेज से पीड़ित लड़की के माता-पिता या अन्य रिश्तेदार। सरकार द्वारा मान्य कोई समाज-सेवी संस्था।

दहेज की रपट लिखवाने के लिए कोई समय सीमा नहीं है लेकिन यह रपट जल्द से जल्द लिखवानी चाहिए। थाने में शिकायत होने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर सकती है। अगर किसी को गिरफ्तार करना हो तो मैजिस्ट्रेट के आदेश जरूरी है। मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अपराधी को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता। अपराधी जुर्माना भरने पर भी कैद की सजा से नहीं छूट सकता।

तलाक

विवाह ऐसा संबंध है जो पति पत्नी के आपसी विश्वास समझ और प्यार के सहारे ही चलता है। पर कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि साथ रहना मुश्किल होता है। ऐसे में पत्नी तलाक ले सकती है। तालाक नीचे लिखी बातों पर हो सकता है।

तालाक के आधार

- ❖ दूसरा विवाह कर लेता या दूसरी औरत से संबंध रखता है।

- ❖ बिना किसी कारण के पति दो साल से छोड़कर चला जाता है।

- ❖ पति शारीरिक या मानसिक चोट पंहुचाता है।

- ❖ पति धर्म बदल लेता है या सन्यासी हो जाता है।

- ❖ पति को लाईलाज पागलपन या कोढ़ हो जाता है।
- ❖ पति 7 साल तक लापता हो जाता है।
- ❖ पति बलात्कार या बदकारी का दोषी हो जाता है।

समझौते से तलाक

जहां पति-पत्नी दोनों महसूस करते हैं कि उनका साथ रहना मुश्किल है तो वह समझौते से तलाक कर सकते हैं। किन्तु इसके लिये नीचे लिखी बातों का होना जरूरी है।

- ❖ दोनों एक साल से अलग रह रहे हों। साथ रहने की सम्भावना भी न हो।
- ❖ अदालत में दोनों को एक साथ तलाक की अर्जी देनी होगी।
- ❖ 6 महीने तक अर्जी पर कारवाही नहीं होगी ताकि समझौते का एक मौका और मिल सके।
- ❖ बाद में अदालत पूछेगी कि क्या वह तलाक चाहते है? अगर हां तो अर्जी मंजूर हो जाएगी।

अलग रहना।

जिन कारणों से औरत को तलाक मिल सकता है उन्हीं कारणों से वह केवल अलग रहने की अर्जी भी दे सकती है। अलग रहने की स्थिति में शादी बनी रहती है।

पति का कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार का भरणपोषण करे, परिवार के साथ रहे तथा शारीरिक संबंध बनाए रखे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो पत्नी की अर्जी पर अदालत उसे ऐसा करने के लिए आदेश दे सकती है। अगर वह फिर भी आदेश नहीं मानता तो अदालत उसे मजबूर तो नहीं कर सकती पर सजा के तौर पर उसकी जायदाद कुरक कर सकती है।

तलाक की अर्जी

- ❖ शादी के एक साल बाद दी जा सकती है।
- ❖ जिला अदालत में देनी होगी।
- ❖ जहां शादी हुई हो, जहां दूसरा पक्ष रहता हो, जहां दोनों आखिर में इकटठे रहें हों - इन जगह में से कहीं भी अर्जी दी जा सकती है। अर्जी पर कारवाही गुप्त रखी जाती है।

इस सब जानकारी के बाद भी यह ध्यान रखें कि विवाह पवित्र सामाजिक बंधन है। इसे छोटी छोटी बातों के लिए बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं होती है जिसका समाधान सगे संबंधियों के सलाह मशवरे से न निकल सकता हो। अपने शहर की समाज सेवी संस्था को भी बीच में डाल सकते हैं।

खर्चे का हक

भारत में ज्यादातर महिलाएं खर्चे पानी के लिए अपने पिता भाई या पति के सहारे होती है और इसीलिए परिवार में होने वाले जुल्मों को जिन्दगी भर झेलती रहती है। सरकार ने उसकी इस कमजोरी पर ध्यान देकर उसे सहारा देने के लिए बहुत से कानून बनाए हैं। आपको बताते कि यह कानून क्या कहते हैं।

विधवा को खर्चा

हिन्दूदत्तक तथा भरण अधिनियम 1956 कहता है अगर विधवा का गुजारा उसकी अपनी कमाई या सम्पति से खर्चा ले सकती है।

- ❖ पति की सम्पति से।
- ❖ अपने बेटे, बेटी से या उनकी सम्पति से।
- ❖ अपने माता पिता से।
- ❖ अगर उपर लिखे से न मिले तो अपने ससुर से।

यह अर्जी दिवानी अदालत में देनी होती है। इसके इलावा 'दण्ड प्रक्रिया संहिता' की धारा 125 के अन्तर्गत फौजदारी अर्जी भी दी जा सकती है।

पत्नी को खर्चा

अनेक स्थितियां ऐसी आती हैं कि पत्नी अपने पति से खर्चा मांग सकती है।

- ❖ अगर पति बिना किसी कारण के छोड़ दे।
- ❖ अगर पति पत्नी में तलाक हो जाए।
- ❖ स्त्री ने तलाक के बाद दूसरी शादी न की हो।

अन्य लोगों को खर्चा

'हिन्दू दतक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 में लिखा है कि बच्चे व बूढे दुर्बल माता-पिता का अगर अपनी कमाई या सम्पति से गुजारा न चले तो नीचे लिखे व्यक्तियों से अपने लिए खर्चा पानी मांगने का अधिकार है।

- ❖ जायज या नाजायज नाबलिग औलाद को अपने माता पिता से।
- ❖ बूढे माता पिता को अपने बेटे या बेटी से।

खर्चे के लिए अन्य बातें

ऐसा नहीं होता है कि जितना खर्चा पानी आप मांगेगी उतना ही मिल जाएगा। खर्चा देने के वक्त अदालत इन बातों का ध्यान रखती है।

- ❖ औरत अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती।
- ❖ आदमी की आमदनी या जायदाद कितनी है।
- ❖ औरत की क्या जरूरत है, वह क्या पढी लिखी है।
- ❖ समाज में उसका खुद का क्या दर्जा है।

खर्चा के बारे में वही अदालत आदेश करती है जहां तलाक हुआ हो। तलाक व खर्चे की अर्जी पर सुनवाई के दौरान भी पत्नी को खर्चा देना पड़ता है। खर्चा तभी तक मिलता है जब तक खर्चा पाने वाला जिन्दा रहे तथा वह खर्चे से संबंधित सभी नियमों को भी पूरा करता रहे।

बच्चों की अभिरक्षा

तलाक के बाद यह सवाल जरूर उठते हैं कि बच्चे किस के पास रहेंगे, कब तक रहेंगे तथा उनका खर्चा पानी कौन उठाएगा। तलाक की अर्जी के साथ भी इन सब बातों को उठाया जा सकता है।

मां को कानूनी अधिकार है कि पांच साल का होने तक बच्चा अपने पास रखे। बाद में अदालत नीचे लिखी बातें ध्यान में रख कर फैसला करती है कि बच्चा किस के पास रहना रहेगा।

- ❖ बच्चे की खुद की मर्जी।
- ❖ बच्चे की हित किसमें है।
- ❖ बच्चे की जिस्मानी व भावनात्मक जरूरतें।
- ❖ बच्चे की देख रेख करने में मां की योग्यता।
- ❖ मां का चरित्र।
- ❖ मां दिमागी रोग की मरीज न हो।

- ❖ अन्य कोई ऐसा कारण जिससे बच्चों को हानि न पहुंचती हो।

गोद लेने का कानून

इस दुनिया में अनेक बच्चे हैं जो माता-पिता की गोद के लिए तरस रहे हैं। और कितने ही लोग हैं जिनकी अपनी संतान नहीं है। ऐसे बच्चों व लोगों को खुशी देने के लिए 'हिन्दूदत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 बना है।

गोद कौन ले सकता है

- ❖ कोई भी हिन्दु पुरूष जो पागल न हो, तथा जिसकी उम्र 21 साल से अधिक हो।
- ❖ अगर पुरूष विवाहित है तब पत्नी की सहमति आवश्यक है। किन्तु अगर पत्नी पागल, सन्यासी या हिन्दु नहीं है तो सहमति की आवश्यकता नहीं है।
- ❖ विधवा, तलाकशुदा या अविवाहित हिन्दू स्त्री जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो।
- ❖ उस स्त्री की उम्र 18 साल से अधिक हो और वह पागल न हो।
- ❖ विवाहित स्त्री का पति ही बच्चा गोद ले सकता है। अगर वह पागल, सन्यासी हो या हिन्दू न रहा हो तो महिला बच्चा गोद ले सकती है।

गोद कौन दे सकता है

- ❖ माता की अनुमति से पिता बच्चा गोद दे सकता है।
- ❖ पिता न हो तो माता दे सकती है।
- ❖ माता-पिता न हो तो अदालत की अुनमति से बच्चे का संरक्षक गोद दे सकता है।

किसे गोद लिया जा सकता है।

- ❖ बच्चा हिन्दु हो और उसे पहले गोद न लिया गया हो।
- ❖ उसकी उम्र 15 साल से कम हो तथा वह शादीशुदा न हो।

अन्य बातें

- ❖ अगर आदमी लड़की को गोद लेना चाहता है तो दोनो की उम्र में २१ साल का अन्तर हो।

- ❖ जिनके पहले लड़का हो वह लड़का गोद नहीं ले सकते या जिनके लड़की हो वह लड़की गोद नहीं ले सकते। दो लड़के या दो लड़की भी गोद ले सकते हैं।

- ❖ अगर माता-पिता से लिया जा रहा हो तो किसी भी रस्म से गोद लिया जा सकता है।

- ❖ स्टाम्प पेपर पर भी लिखा पढी हो सकती है। इसकी रजिस्टरी हो जाए तो अच्छा है।

- ❖ अगर कोर्ट द्वारा बच्चा गोद लिया जा रहा है तो कोर्ट आपके घर की स्थिति ध्यान में रखेगी।

- ❖ गोद लिया हुआ बच्चा वैसे आपका बन जाता है जैसे आपके अपेन पेट से बच्चा हो। इसी कारण से वह आपके परिवार के किसी भी सदस्य से विवाह नहीं कर सकता और ना ही अपने पहले के परिवार से कर सकता है।

- ❖ गोद आने से पहले यदि बच्चे के नाम जमीन जायदाद थी तो गोद आने के बाद भी उसी बच्चे के पास रहेगी। ऐसी स्थिति में गोद आए हुए बच्चों को अपने जन्म देने वाले माता पिता की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। उसे फिर जन्म देने वाले माता पिता की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी।

- ❖ गोद लेने से पहले आपने अपनी जमीन जायदाद किसी के नाम की थी तो वह उसी के पास रहेगी। किन्तु गोद लेने के पश्चात उतराधिकार के सम्बन्धित नियमों का पालन करना पड़ेगा।

- ❖ बच्चे को गोद लेना या देना बच्चे की खरीद-फरोखत नहीं है। इसमें किसी भी किस्म का लेन-देन नहीं होना चाहिए।

आपने जाना कि विवाह, तलाक, दहेज, बच्चों की अभिरक्षा व गोद लेना इत्यादि से संबंन्धित कानून क्या कहते हैं। सरकार ने यह कानून महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बनाए हैं। इनका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अपने पर पूरा विश्वास रखके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। यह ध्यान रखें कि इन कानूनों का सकरात्मक प्रयोग हो। किसी दूसरे व्यक्ति या परिवार को तंग करने के लिए नहीं। समाज स्वस्थ तभी होगा जब इसमें परिवार की इकाई मजबूत होगी। हर महिला का यह प्रयास होना चाहिए कि वह घर परिवार को बांध के रखे, उसे बिखरने ना दें।

पुलिस से संबंधित अधिकार

हर देश में कुछ कानून होते हैं। देशवासियों को उन्हें निभाना पड़ता है। जो नहीं निभाता उसे दण्ड मिलता है। व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस को

बहुत ज्यादा अधिकार दिये गए हैं। पुलिस अपने अधिकारों का दुरूपयोग न करे इस लिए निहायत जरूरी है कि आपको अपने अधिकारों का पता हो और आप उनका इस्तेमाल भी करें। यहां हम आपको दो कानूनों के बारे में बताते हैं, 'भारतीय दण्ड संहिता 1860' वह कानून है जिसमें लिखा है कि कौन-कौन से अपराध हैं तथा इनकी क्या सज़ा है। 'दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973' हमें बताती है कि पुलिस को अपनी कार्यवाही कैसे करनी होगी।

गिरफ्तारी के समय

- ❖ गिरफ्तारी के समय आप यह जरूर पूछें कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या जुर्म है ।
- ❖ पुलिस कहे कि आपके खिलाफ शिकायत है, यह काफी नहीं है ।
- ❖ कुछ अपराधों के लिए वारंट होना जरूरी है । कुछ के लिए नहीं । यह पक्का कर लें कि किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है और क्या वारंट है ।
- ❖ आप वकील को बुलाकर उसकी सलाह ले सकती है ।
- ❖ गिरफ्तारी के समय आम तौर पर हथकडी नहीं लगाई जाती ।
- ❖ आप अपने रिश्तेदार या पहचान वालों को अपने साथ थाने में ले जा सकती है। अगर पुलिस रोकती है तो यह गैर कानूनी है।
- ❖ गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस मैजिस्ट्रेट को खबर करेगी और 24 घ ाण्टे के अन्दर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी ।
- ❖ गिरफ्तारी के समय पुलिस किसी भी किस्म की जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकती। जोर जबरदस्ती करना गैर कानूनी है अगर अपने आप हिरासत में दे रहें हो तो।

हिरासत में

- ❖ हिरासत में आपको केवल अन्य महिलाओं के साथ ही रखा जा सकता है पुरूषों के साथ नहीं ।
- ❖ अगर महिला पुलिस उपस्थित ना हो तो आप इसकी मांग कर सकती है ।
- ❖ पुलिस आप के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती ।
- ❖ किसी भी किस्म की मारपीट, छेड़ाछाड़ी, तानाकशी नहीं कर सकती ।

अगर पुलिस वाले ऐसा करते हैं तो आप करने वाले का नाम, हुलिया याद रखें। उसी समय शोर मचाएं। अदालत से इसकी शिकायत करें तथा तुरंत डाक्टरी जांच की मांग करें और डाक्टर से जांच की रिपोर्ट लें।

जमानत

अपराध दो तरीके के होते हैं। जमानती और गैर जमानती। जिस जुर्म में जमानत पर छोड़ने की व्यवस्था है वहॉं जमानत मिलना आपका अधिकार है। जमानत लेना बहुत सरल है। पुलिस आपको एक फार्म देगी। आप वह भर दें तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जमानत लगा दें। जमानत की रकम पर्चे पर भर दी जाती है। नकदी कुछ नहीं देना होता।

पूछताछ

- ❖ किसी भी महिला को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। पुलिस को महिला के घर जाकर पूछताछ करनी होगी।
- ❖ अगर आपको लगता है कि पूछताछ के लिए पुलिस ऐसे समय आती है कि आपको शर्मिन्दगी हो या आपकी मर्यादा को ठेस लगे तो मैजिस्ट्रेट से मांग कर सकती है कि पुलिस किसी खास समय आए।
- ❖ सवाल–जवाब के समय किसी वकील, दोस्त या किसी रिश्तेदार की मदद ले सकती है।
- ❖ अगर आपको लगता है कि आपको झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है तो आप जवाब देने से इन्कार कर दें। आप अपने वकील की सहायता लें।
- ❖ पूछताछ के लिए पुलिस आपको डरा धमका नहीं सकती आपसे किसी कागज पर दस्तखत या अंगूठा नहीं लगवा सकती।
- ❖ बिना पढे या समझे आप किसी कागज पर दस्तखत या अंगूठा न लगाऐं।
- ❖ पुलिस के सामने दिया ब्यान अदालत में अमान्य है। अगर आप से जबरन ब्यान लिया गया हो तो आप मैजिस्ट्रेट को बता दें।

तलाशी

- ❖ केवल महिला पुलिस ही महिला की तलाशी ले सकती है और तलाशी के समय भी वह कोई भद्दा सलूक नहीं कर सकती।
- ❖ पुरूष पुलिस आपके मकान या दुकान की तलाशी ले सकता है।

तलाशी के लिए हमेशा वारंट की आवश्यकता नहीं होती।

- ❖ तलाशी लेने वाले की भी तलाशी ली जा सकती है ताकि वह छुपा कर कोई चीज आपके मकान पर न रख दे।

- ❖ तलाशी या बरामदगी के समय दो निष्पक्ष व प्रतिष्ठित व्यक्तियों का होना जरूरी है।

- ❖ तलाशी का पंचनामा बनाना जरूरी है। इस पर उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जो तलाशी के समय मौजूद थे। पंचनामे की एक कापी आपको भी दी जाएगी।

अपराध की रिपोर्ट

अपराध की रिपोर्ट का मतलब होता है कि आप थाने में जाकर बतायें कि कहां पर, किसने और कब कोई अपराध किया है। इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफ.आई.आर. भी कहते हैं।

- ❖ हर अपराध की सूचना थाने में देनी चाहिए।

- ❖ अगर थाने वाले सूचना लिखने से आना कानी करें तो आप एस.पी. के पास जाओ अगर फिर भी बात न बने तो सीधे अदालत में जाओ।

- ❖ अगर आप शिकायत लिख नहीं सकती तो सारी घटना जुबानी बता दें। पुलिस इसे लिख कर आपको पढकर सुनाएगी। अगर आप को शक हो कि रिपोर्ट सहीं नहीं लिखी है तो आप अपने विश्वास के आदमी से उसे पढवा कर ही उस पर अंगूठा लगाएं या दस्तखत करें।

- ❖ रिपोर्ट की एक कापी आप भी ले लें।

- ❖ वैसे तो आप अकेली जाकर भी रिपोर्ट लिखवा सकती हैं पर अपनी सुरक्षा के लिए अवश्य ही अपने जान-पहचान के आदमी को साथ ले जाएं।

- ❖ घटना के तुरन्त बाद रिपोर्ट लिखवाएं ताकि अपराधी सबूत ना मिटा सके।

- ❖ अगर किसी कारण से रिपोर्ट लिखवाने में देरी होती है तो यह कारण भी रिपोर्ट में लिखवा दें।

अन्त में यही कहना चाहूँगा कि पुलिस से हमारा कई तरह से वास्ता पड़ता है। आम आदमी पुलिस के नाम से डरता है और थाने जाने से कतराता है। क्योंकि पुलिस वाले बुरा सलूक करने के लिए मशहूर हैं। अगर आपको अपने अधिकारों का पता होगा तो आपमें आत्म विश्वास आएगा और आप पुलिस से नहीं

डरेंगे।

सम्पति का अधिकार

आजादी के बाद से ही नारी में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आनी शुरू हुई है। नारी ने अपने अथक प्रयास से पुरूष प्रधान समाज में अपनी अलग जगह बनाई है। इसी अथक प्रयास का नतीजा है। 1955 में बना हिन्दू कोड बिल। इस बिल से हिन्दू महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मसलन लड़कियों को माता-पिता की सम्पति में बराबर अधिकार दिए गए है। सम्पति से संबंधित इन्हीं अधिकारों के बारे में अब आपको बताएंगे।

सम्पति क्या है

जब हम सम्पति की बात करते हैं तब सबसे पहले यही सवाल उठता है कि सम्पति होती क्या चीज है। सम्पति में नीचे लिखी सब चीजें आती हैं।

- ❖ माता पिता या अन्य रिश्तेदारों से जा नकदी, सामान, जमीन, जायदाद, गहने कपड़े मिलते हैं।
- ❖ अपने बहन भाई से जो भी सामान या नकदी मिलता है।
- ❖ खुद की कमाई या कमाई से बनाया हुआ सामान।
- ❖ शादी के आसपास या शादी के समय मायके या ससुराल से मिलने वाला।

सम्पति का अधिकार

- ❖ हर स्त्री को अधिकार है कि वह अपनी सम्पति अपने नाम में रखे।
- ❖ वह सम्पति को खरीद और बेच सकती है।
- ❖ वह सम्पति को दान या उपहार स्वरूप भी दे सकती है।
- ❖ वह सम्पति को वसीयत कर सकती है, जिसे चाहे दे सकती है।

हिन्दू उतराधिकार अधिनियम

एक कानून है 'हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956'। यह हमें बताता है कि स्त्री या पुरूष के मरने के बाद उसकी सम्पति का क्या होगा। इसकी कुछ खास बातें यह है।

- ❖ पुश्तैनी सम्पति वह है जो व्यक्ति को अपने बाप-दादा से मिलती है।

- ❖ खुद की कमाई सम्पति वह है जो पुश्तैनी ना हो।
- ❖ लड़कियों का पुश्तैनी सम्पति पर कोई अधिकार नहीं। पर उन्हें इस सम्पति में से लड़की की तरह ही खाने-पीने और रहने का अधिकार है।
- ❖ इसी सम्पति में से पढ़ाई व शादी का खर्चा मिलने का अधिकार है।
- ❖ माता-पिता की जमीन जायदाद में से लड़की को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलता है।
- ❖ कोई भी व्यक्ति अपनी व पुश्तैनी सम्पति में से अपने हिस्से की जायदाद की वसीयत लिख सकता है कि उसकी मौत के बाद वह किसे मिलेगी।
- ❖ अगर वसीयत न लिखी हो तो सम्पति उसके पहले दर्जे के उतराधिकारियों में बराबर बंट जाएगी। यह उतराधिकारी है बेटे, बेटियां, पत्नी, माँ, उसके मरे हुए बेटी, बेटों के बच्चे या आगे उनके बच्चे, उसकी विधवा बहुएँ।

घर परिवार वाले अक्सर यह सोच लेते हैं कि लड़कियों की शादी में खर्च कर दिया जाता है इसलिए उन्हें सम्पति में कुछ नहीं मिलना चाहिए। पर अब ऐसा नहीं है। कानून ने लड़की को बराबर का हिस्सेदार बनाया है तथा उन्हें सम्पति में पूरा अधिकार है।

विवाह के बाद लड़की अपने पिता के खानदानी मकान में अधिकार के तौर पर नहीं रह सकती। अगर वह मकान बिकता है तो उसे अपने हिस्से के पैसे मिलने चाहिए। किन्तु तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई या विधवा लड़की अपने पिता के घर में रह सकती है। विधवा औरत का अपने पति की सम्पति पर पूरा अधिकार होता है। वह पति के पुश्तैनी मकान में रह सकती है। उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो महिला अदालत में अर्जी दे सकती है।

स्त्री का जो स्त्रीधन है वह परिवार की सम्पति नहीं होता। इसलिए इसका बंटवारा भी नहीं हो सकता। स्त्रीधन में वह सभी चीजें आती हैं जो विवाह के समय उसे अपने मायके या ससुराल से मिलती हैं।

आपको यह पूरा अधिकार है आप अपने स्त्रीधन या अन्य सम्पति की वसीयत लिखें।

वसीयत

- ❖ वसीयत पर अपना नाम, पिता या पति का नाम तथा पूरा पता लिखें।

- ❖ जमीन, जायदाद, नकदी, गहनों का पूरा ब्योरा लिखें।
- ❖ किसे, क्या और कितनी चीज देना चाहती है यह भी लिखें।
- ❖ वसीयत पर तारीख, स्थान लिखें तथा अपने हस्ताक्षर करवाएं।
- ❖ वसीयत में यह भी लिखें कि आप अपनी मर्जी व बिना किसी दबाव के वसीयत कर रही हैं।
- ❖ वसीयत किसी भी साधारण कागज पर लिखी जा सकती है। पर अच्छा यही होगा कि आप इसकी रजिस्ट्री करवा लें।
- ❖ वसीयत का मतलब है कि आपकी मौत के बाद ही दूसरे व्यक्ति का आपकी सम्पति पर अधिकार बनेगा। आपके जिन्दा रहते नहीं।

तन से संबंधित कानून

हमारी संस्कृति में कहा गया है कि नारी पूजनीय है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारो की नीचे लिखी रिर्पोट देखकर क्या आप सही कह सकेंगे कि भारतीय समाज नारी की पूजा करता है।

- ➢ प्रति 54 मिन्ट में एक बलात्कार
- ➢ प्रति 26 मिन्ट में एक स्त्री उत्पीड़न का मामला
- ➢ प्रति 43 मिन्ट में एक अपहरण का मामला
- ➢ प्रति 51 मिन्ट में एक स्त्री से छेड़छाड़ का मामला
- ➢ प्रति 1 घंटे में एक दहेज हत्या
- ➢ प्रति 33 मिन्ट में महिलाओं के प्रति क्रूरता के केस
- ➢ प्रति 7 मिन्ट में महिलाओं पर एक आपराधिक मामला

इस रिपोर्ट से यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि दैनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति अत्यन्त शौचनीय है उसे घर के अन्दर पारिवारिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है तथा घर के बाहर दुराचारी व्यक्तियों के अत्याचार का। महिलाओं के प्रति अनेक अपराध किए जाते है। पर वह अपराध असहनीय है जिन मे महिला के तन से, उसकी मान–मर्यादा से खिलवाड़ किया जाए। इन अपराधों को रोकने का एक मात्र उपाय यही है कि आप में सामाजिक व आत्मिक चेतना आए और आप हिम्मत जुटा कर इन अपराधों के विरूद्ध आवाज उठाए।

बलात्कार

बलात्कार एक ऐसा जुल्म है जो सदियों से महिलाओं पर होता आया है। पश्चिमी सभ्यता के बुरे प्रभावों के कारण यह और भी अधिक बढ़ गया है। जब भी किसी लड़की के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ जोर जबरदस्ती से उसकी इज्जत लूटी जाती है उसे बलात्कार कहते है।

<u>कानून की निगाह में बलात्कारी</u>

- ❖ स्त्री की इच्छा के बिना उसकी इज्जत लुटने वाले को बलात्कारी कहा जाता है चाहे वह 10 साल का बच्चा ही क्यों न हो।
- ❖ डरा धमका कर सम्भोग के लिए स्त्री की इच्छा बनाने वाला बलात्कारी है।
- ❖ नकली पति बन कर इज्जत लूटने वाला बलात्कारी है।
- ❖ किसी कमजोर दिमाग या नशे में धुत औरत से जबरदस्ती करने वाला बलात्कारी है।
- ❖ बलात्कार में सहायता करने वाला भी सहयोगी होगा।

<u>सजा</u>

- ❖ बलात्कारी को 7-10 साल की सजा या उम्र कैद हो सकती है।
- ❖ सामुहिक बलात्कार में हर बलात्कारी को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है।
- ❖ जिस सरकारी नौकर या जिस व्यक्ति के सरंक्षण में औरत हो उसके द्वारा बलात्कार करने पर उसे कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है।

<u>कानून कैसे मदद कर सकता है ?</u>

कोई भी स्त्री अपने साथ घटे ऐसे अपराध की पुलिस को शिकायत कर सकती है। वह शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में न हो, तो उसके सगे-सम्बन्धी शिकायत कर सकते है।

- ❖ उसके द्वारा दी गयी सूचना हमेशा गुप्त रखी जाएगी।
- ❖ ऐसे मामलों की सूनवाई ऐसे कोर्ट में होती है, जहां सिर्फ मामले जुडे लोग ही होते हैं। आम जनता को कोर्ट की सुनवाई देखने या सुनने नहीं दिया जाता है।

- ❖ यदि किसी औरत के साथ हवालात में या अन्य सरंक्षण में, जैसे कि अस्पताल या नारी-निकेतन बगैरा में, सम्भोग किया जाये तो यह माना जायेगा कि उस औरत पर बलात्कार हुआ है। फिर उस पुरूष को ही साबित करना होगा कि वह निर्दोष है। स्त्री को बलात्कार का सबूत नहीं देना पड़ेगा।

बलात्कार होने पर

- ❖ बलात्कार के बाद आप अपने पहने हुए कपड़े न बदले और न धोए। अगर बदलने की आवश्यकता पड़े तो उन कपड़ो को सबूत के तौर पर ज्यों का त्यों सम्भाल कर रखें।

- ❖ अपने परिवार वालों को, अपनी सहेली को, या किसी सामाजिक संगठन को बताएं।

- ❖ तुरन्त थाने में सूचना दें। अगर वहां सुनवाई न हो तो डी.सी., एस. पी. को बताएं, या सीधे अदालत में अर्जी दें।

- ❖ बलात्कार से संबंधित सबूत सम्भाल कर रखें।

- ❖ बलात्कारी की पक्की पहचान कर लें।

सब से बड़ी बात यह है कि बलात्कार होने पर चुप ना बैठे। अक्सर देखा जाता है कि जुल्म होने के बाद महिला सहम जाती है कि उसने किसी को बताया तो लोग उसे गल्त निगाह से देखेगें, उसकी बदनामी होगी, तथा उस की बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। उसे यह भी लगता कि बलात्कारी अगर बड़ा आदमी है तो वह उसके परिवार वालों को तंग करेगा या रिश्वत देकर छूट जाऐगा। गांव मौहल्ले वाले उसे ही दोषी ठहराऐंगे ना कि बलात्कारी को।

इन्ही सब बातों से बलात्कारी के हौसले बढ़ जाते है तथा महिलाओं पर बलात्कार का सिलसिला यू ही आगे बढ़ता रहता है। यह हम महिलाओं की कमजोरी का ही नतीजा है कि बलात्कारी को सजा नहीं मिलती।

रिपोर्ट लिखवाना

बलात्कार होने पर थाने में जाकर रिर्पोट लिखवाएं। अगर पुलिस स्टेशन का अधिकारी या दरोगा स्त्री की रिर्पोट लिखने से इन्कार करता है, तो स्त्री को सारी घ ाटना और दारोगा की मनाही के बारे में पुलिस अधीक्षक को मिलकर या लिख कर बताना चाहिए। पत्र मिलने पर या तो यह स्वयं सारी जांच करेंगे या किसी अन्य पुलिसकर्मी से जांच करवाऐंगे। अगर पुलिस अधिक्षक के द्वारा भी रिर्पोट ना लिखी जाएं तो स्त्री को चाहिए कि वह स्थानीय न्यायाधीश को अर्जी दे।

थाने में पुलिसकर्मी शिकायत को शिकायत पुस्तिका में लिखेगा और स्त्री को पढ़कर बताऐगा कि उसने क्या लिखा है। स्त्री से शिकायत पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने को कहेगा और उसे शिकायत की एक प्रति भी देगा।

अगर कोई बलात्कारी ताकतवर या प्रभावशाली व्यक्ति है तब डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस को बताने के साथ-साथ स्थानीय मैजिस्ट्रेट को, मुख्यमंत्री को, पुलिस महानिरिक्षक को, स्थानीय विधायक को, डी.सी. को तथा सामाजिक संगठनों को लिखे या बताएं। सूचना में अपना नाम, पता, घटना की जानकारी, बलात्कारी पुरूष का सारा ब्यौरा अगर डाक्टरी जांच करवाई हो तो वह रिर्पोट इत्यादि सब बातें लिखे।

रिर्पोट लिखवाने पर पुलिस बलात्कारी से जांच पड़ताल करेगी। अदालत की कारवाही के दौरान उसे हवालात में बन्द रखेगी। हो सकता है कि उसे जमानत पर भी छोड़ दिया जाए।

पुलिस की जांच के दौरान महिला का पुलिस स्टेशन जाना जरूरी नहीं। पुलिस उसके घर आकर उसकी जांच पड़ताल करेगी। अगर पुलिस वाले तंग करते है तो आप उस की भी शिकायत कर सकती है।

बात जब अदालत में आती है तो देखा जाता है कि विरोधी पक्ष का वकील महिला से बड़े अजीबों गरीब सवाल पूछता है। आप बिल्कुल न घबराएं तथा सब बाते सच-सच जज के सामने रख दें।

अपहरण

किसी भी नाबालिग लड़की या लड़के को उसके माता-पिता या अन्य सरंक्षक की आज्ञा के बिना कहीं ने जाना एक अपराध है। जिसे अपहरण कहते है। बच्चे के लापता होते ही तुरन्त पुलिस में सूचना देनी चाहिए, पंलिस करे बच्चे का नाम, शक्ल व पहनावा, फोटो, शारीरिक विवरण तथा अपना नाम पता बताना चाहिए। कई बार ऐसी भी होता है कि जान पहचान के लोग माता-पिता की आज्ञा से बच्चे को ले जाते है लेकिन बाद में धोखा करते है। मान लो कि आप किसी के साथ बच्चे को शहर में पढ़ने के लिए भेज देते है पर वह शहर जा कर बच्चे से भीख मंगवाता है या उसे बेच देता है तो यह भी अपराध है और कानून इस की सजा देगा।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम

'अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956' कहता है कि किसी भी लड़की को यौन संबंध के मकसद से भगा कर ले जाना या बेचना कानूनी अपराण है। इसकी सजा तीन से चौदह साल तक की कैद और जुर्माना है। किसी लड़की को जबरदस्ती शादी करने के लिए ले जाना भी कानूनी अपराध है। इस की सजा दस साल तक की कैद और जुर्माना है। किसी लड़की को जबरदस्ती शादी करने के लिए

ले जाना भी कानूनी अपराध है। इस की सजा दस साल तक की कैद और जुर्माना है। एक बात आप को और बताएं कि किसी बालिग व्यक्ति को भी जबरदस्ती या फुसला कर किसी खास मकसद से उसकी इच्छा के विरूद्ध कही ले जाना या उसे जबरदस्ती अपने कब्जे में रखना भी अपराध है। इसकी सजा तीन साल तक की कैद और जुर्माना है।

गर्भ का चिकित्सीय समापन

कई बार कानून की नजर में बच्चा गिराना अपराध नहीं होता। इस संबंध में बाते हमें 'गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971' से पता लगती है। नीचे लिखी स्थिति में बच्चा गिराया जा सकता है।

- ❖ यदि बच्चे को रखने में मां के जीवन को खतरा हो
- ❖ मां के शरीर या मन को खतरा हो।
- ❖ गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो।
- ❖ बच्चा गम्भीर रूप से विकलांग पैदा हो सकता है।
- ❖ परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो।

कब तक

- ❖ 12 सप्ताह से पहले एक डाक्टर की राय से।
- ❖ 12 सप्ताह के बाद और 20 सप्ताह से पहले दो डाक्टर की राय से। गर्भ का कार्य केवल पंजीकृत डाक्टर या डाक्टरनी से ही करवा सकते है।

दाईयों नर्सो या महिला से बच्चा गिरवाना न केवल अपराध है बल्कि इससे जान को खतरा हो सकता है तथा कई तरह की पेचिदगियों पैदा हो सकती है भारत में एक तिहाई गर्भपात जान लेवा हो जाते है तथा एक तिहाई में जान को खतरा उत्पन्न हो जाता है।

'गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971' में कही भी ऐसा नहीं लिखा की आप डाक्टर के पास जाओ, मशीन से जांच करवाओ और पता लगे कि लड़की है तो गर्भपात करवा लों। ऐसा करना मानवता के विरूद्ध अपराध तो है ही यह गैर कानूनी भी है। आप यह भी ध्यान रखें कि लड़की को गिराने के लिए आप को कोई मजबूर नहीं कर सकता। आप स्वयं महिला होकर कन्या भ्रूण हत्या न करें।

कुछ अन्य कानून

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने, उन्हे समानता दिलाने तथा सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर उपायों के रूप में विभिन्न कानून बनाए गए है। आप को यह सभी कानून बहुत सक्षेप में बताते है।

- ❖ महिलाओं के सम्मान की रक्षा, उनके खिलाफ हिंसा की वारदातों को रोकने तथा उनके शोषण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए 'अभद्र निरूपण (निषेध) अधिनियम 1986' बनाया गया है।

- ❖ सती प्रथा को समाप्त करने कि लिए 1829 में कानून बना दिया गया था।

- ❖ 1854 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। इसका तात्पर्य विधवा को दोबारा विवाह करने के लिए कानूनी मान्यता देना था।

- ❖ महिला को लक्ष्य कर के अश्लाल भाषा का प्रयोग करना, अभद्र आवाज करना, सीटी बजाना, अश्लील हरकते करना या अंग विशेष का प्रदर्शन करना अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनो हो सकते है।

- ❖ गुमनाम पत्र द्वारा या फोन पर अशोभनीय हरकतें भी 'भारतीय दण्ड सहिंता' के अन्तर्गत अपराध है।

- ❖ किसी दूसरे की पत्नी के साथ संभोग को भी अपराध माना गया है जो 'भारतीय दण्ड संहिता' की धारा 497 में आता है।

- ❖ महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने अथवा उसके प्रति जानबूझ कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार अपराध माना गया है।

- ❖ दहेज के नाम पर पत्नी या वधु को जलाने को मजबूर करना भी 304 (बी) के अन्तर्गत अपराध है। इस विषय में पूरी जानकारी ''व्यक्तिगत कानून'' नामक लेख में दी गई है।

- ❖ 1994-95 में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया है।

- ❖ जन्म मृत्यु पंजीकरण कानून 1870 में बनाया गया था। इस कानून में बच्चे के पैदा होने पर उस का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इससे कन्या वध जैसी कुप्रथा पर पांबदी लग गई है।

सरकार ने बहुत तरह के कानून बना कर महिला की स्थिति काफी मजबूत कर दी है। अब यह आप पर है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कहां तक करती है।

श्रम कानून

हर महिला कहीं न कहीं काम करती है। जब वह घर रह कर काम करती है तब उसे हम घरेलू महिला कह देते हैं। जब वह बाहर पैसा कमाने के लिए काम करती है तब उसे कामकाजी महिला कह देते है। काम करने वाली महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ कानून हैं। इन कानूनों को हम श्रम कानून के नाम से पुकारते है। इन में नीचे लिखे व कई अन्य कानून आते है।

वेतन संबंधी कानून

'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948' यह निश्चित करता है कि किसी मजदूर को कम से कम कितना पैसा किसी काम के बदले वेतन के रूप में अवश्य मिलना चाहिए। इस अधिनियम की अन्य बातें निम्नलिखित है।

- ❖ मजदूरी को घंटे, दिहाड़ी, साप्ताहिक या मासिक तौर पर तय किया जाना चाहिए।
- ❖ वेतन को काटा नहीं जा सकता। अगर नुकसान की भरपाई करनी हो तो काम करने वाली महिला की सफाई सुनने के बाद ही की जा सकती है।
- ❖ कहीं-कहीं खेतों में काम करने वाले मजदूर मजदूरी में अनाज भी वेतन के साथ तय कर लेते है। इसके अलावा मालिक को मजदूरी नकद वेतन के रूप में भुगतान करनी होगी।
- ❖ जहां एक हजार से अधिक लोग काम कर रहें हों वहां वेतन महीने की सात तारीख तक मिल जाना चाहिए। अन्यथा महीने के दसवें दिन तक तो साधारण तौर पर अवश्य मिल जाना चाहिए।

न्युनतम वेतन का हक किसको है

- ❖ अस्थाई रूप से काम करने वाले को।
- ❖ काम के परिणाम के हिसाब से काम करने वालो को।
- ❖ देहाड़ी पर काम करने वालों को।
- ❖ ठेकेदार के पास काम करने वालों को।

न्युनतम वेतन तय होना

हर महिला को वेतन जरूर मिलना चाहिए। न्युनतक वेतन का पैसा काम करने वाली महिला की उम्र के अनुसार निश्चित किया जाता है। जैसे कि 14 साल से कम उम्र की महिला के लिए 14-18 साल तक के महिला के लिए 18 साल की महिला के लिए।

आराम संबंधी कानून

- ❖ एक दिन में 9 घण्टें से अधिक काम नहीं लिया जा सकता जिसमें आमतौर पर 1 घण्टे का आराम भी शामिल है।
- ❖ काम करने वाली मजदूर को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी जरूर मिलनी चाहिए।
- ❖ अगर कोई मजदूर एक दिन मे 9 घण्टे से ज्यादा काम करती है तो उसे ओवर टाईम मिलना चाहिए।

समान वेतन

सरकार ने एक कानून बनाया है जिसका नाम है 'समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976' का यह कानून कहता है –

- ❖ एक की तरह के काम के लिए स्त्री और पुरूष को एक जैसा वेतन मिलना चाहिए।
- ❖ जिस काम पर पुरूषों को भर्ती किया जाए, उस काम पर स्त्रियों को भर्ती होने का अधिकार है अगर वे उस काम के काबिल है।

कोई भी व्यक्ति लिंग के आधार पर महिला को काम पर रखने से इन्कार नहीं कर सकता या यह कह कर नहीं हटा सकता कि यह तो पुरूष का काम है। अगर वह ऐसा करता है तो गैर–कानूनी है।

अगर किसी औरत को न्युनतम मजदूरी या समान वेतन नहीं मिलता तो वह लेबर इन्सपैक्टर या सरपंच से शिकायत कर सकती है। लेबर इन्सपैक्टर या सरपंच उस दोषी मालिक को सजा दिलवा सकते है। इसमे जुर्माना भी शामिल हैं।

फैक्टरियों में काम

फैक्टरी में काम करने वाली महिलाओं के लिए कानून ने कुछ विशेष सुविधाएं तय की है। यह फैक्टरी अधिनियम 1948' नामक कानून के अन्तर्गत दी गई है। ये सुविधाएं हैं :–

- ❖ महिलाओं से काम दिन के समय सुबह 6 बचे से शाम 7 बजे तक ही करवाया जा सकता है।
- ❖ महिलाओं से एक हफ्ते में 48 घण्टे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता और ना ही ओवर टाईम काम लिया जा सकता है।
- ❖ खतरे वाले काम जैसे चलती हुई मशीन में तेल डालना या सफाई करना महिला से नहीं करवाया जा सकता।
- ❖ भारी वजन नहीं उठवाया जा सकता।
- ❖ ज्हां 30 से अधिक महिलाओं काम करती हो उस फैक्टरी में बच्चों की देखभाल के लिए एक झूलाघर अवश्य होना चाहिए।
- ❖ महिलाओं के लिए अलग से शौचालय और स्नान घर होना चाहिए जिसमें दरवाजा अवश्य हो।

प्रसूति सुविधाएं

काम करने वाली महिलाओं के लिए एक विशेष कानून है 'प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961' इसके अन्तर्गत गर्भावस्था के दौरान, बच्चा पैदा होने क बाद और मातृत्व की शुरूआत के महीनों मे कुछ खास सुविधाए दी जाती है जिनके बारे में आपको बताते है।

- ❖ प्रसूति से 6 हफ्ते पहले की छुटटी तथा प्रसूति के बाद 6 हफ्ते की छुटटी पूरे वेतन के साथ महिला कर्मचारी को मिलनी चाहिए। यह 12 हफ्ते की छुटटी एक साथ भी ली जा सकती है। कई बार यह बच्चा पैदा होने के बाद भी ली जा सकती है।
- ❖ किसी भी गर्भवती महिला की प्रसूति से 6 हफ्ते पहले तथा प्रसूति के 6 हफ्ते बाद तक काम पर नहीं रखा जा सकता।
- ❖ अगर कोई महिला गर्भावस्था के आखिरी महीने तक काम करती है तो उससे इस महीने में भारी वनज नहीं उठवाया जा सकता।
- ❖ मालिक को डाक्टरी सुविधा देनी चाहिए। अगर नहीं देता तो 250 रूपये का बोनस गर्भवती महिला को मिलता है।

कुछ जरूरी नियम

- ❖ महिला को प्रसूति से पहले 12 महीने में उसी मालिक के पास कम से कम 80 दिन काम किया होना चाहिए।

- ❖ गर्भवती स्त्री छुटटी ले कर कहीं और काम नहीं कर सकती। नहीं तो मालिक को पैसे काटने का अधिकार मिल जाता है।

- ❖ गर्भवती महिला को मालिक को नोटिस देना आवश्यक है जिसमें प्रसूति की संभावित तारीख और छुटटी पर जाने की सूचना लिखी होनी चाहिए। यह नोटिस बच्चे के पैदा होने के बाद भी दिया जा सकता है पर नोटिस जरूर देना पड़ता है।

- ❖ अगर नोटिस प्रसूति से पहले दिया हो तो हफ्ते की छुटटी के पैसे पहले मिल जाते है और प्रसूति के बाद के हफ्ते की छुटटी के पैसे प्रसूति की सूचना देने के 40 घण्टे के अन्दर मिल जाने चाहिए।

- ❖ प्रसूति की सुविधाएं लेने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि महिला शादीशुदा हो।

उपर लिखे कानूनों की अगर कही भी या कभी भी अवेहलना की जाए जैसे छुटटी न मिलना पूरा वेतन न मिलना इत्यादि, आप इस की शिकायत लेबर इन्सपैक्टर, लेबर कमिश्नर या समाज सेवी संस्थाओं को कर सकती है।

हर महिला याद रखे
''बराबर काम के बराबर पैसे।
मालिक दे पुरूषों को ज्यादा कैसे?
मेहनत वही, मजदूरी वही
फिर क्यों न दें वेतन सही?
पेट में यदि ठहरा हो बच्चा,
भारी काम न करना जच्चा।
बच्चा हो, छुटटी पर जाना,
फिर भी पूरा वेतन पाना।
न दे कोई ये अधिकार
तो सब मिलकर रपट लिखवाना''।

कर्मचारी को दुर्घटना मुआवजा

अगर किसी मजदूर को काम करने के दौरान चोट लग जाती है या उसे उस काम के कारण कोई बीमारी लग जाती है तो मालिक को उसक मजदूर को हर्जाना देना पड़ता है। क्योंकि दुर्घटना या बीमारी के कारण उसकी कमाने की शक्ति कम हो जाती है। मजदूर की काम के दौरान मौत हो जाए तो उसके वारिसो को

मुआवजा मालिक को देना पड़ता है। यह मुआवजे संबंधी नियम 'कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923' के अन्तर्गत आते है।

वारिस कौन है।

- ❖ विधवा पत्नी या विधवा मां।
- ❖ 18 साल से कम उम्र का लड़का।
- ❖ कुंवारी या विधवा लड़की।
- ❖ अपाहिज लड़का या लड़की चाहे वह बालिग ही क्यों न हो।
- ❖ महिला मजदूर की मृत्यु होने पर उसके पति ओर बच्चों को मुआवजा मिलता है।
- ❖ इसके अलावा हर्जाने के हकदार वे लोग है जो उनकी कमाई पर निर्भर होते है।

जिन्हें मुआवजा मिलता है

इसकी जानकारी कोई भी मजदूर लीगल-एड-सैन्टर द्वारा भी ले सकता है।

- ❖ किसी लिफ्ट या वाहन पर सामान चढ़ाने या उतारने का काम करने वाले मजदूर।,
- ❖ जहां 20 से अधिक लोग किसी चीज को बनाने, सुधारने, बदलने या सजाने का काम करते हो।
- ❖ इमारत, सड़क, पुल, सुरंग या बांध बनाने का काम करने वाले मजदूर।
- ❖ खेतों में काम करने वाले मजदूर जिसमें टयूबवैल की देखरेख ट्रैक्टर या अन्य यन्त्र चलाना शामिल होने के साथ साथ पोल्टरी फार्म, मछली पालन और डेरी फार्म भी शामिल है।

मालिक हर्जाना कब देता है

- ❖ सबसे सीधा संबंध तो दुर्घटना से ही है जो काम करते वक्त हो गई है जैसे गेहूं काटते काटते किसी मजदूर का हाथ थ्रैशर में आ जाए।

- ❖ कई बार दुर्घटना से कोई अंग भंग नहीं होता परन्तु चोट ऐसी लगती है जिससे कमाने की शक्ति कम हो जाती है जैसे किसी को लकवा हो जाए।

- ❖ अगर कर्मचारी काम के दौरान मालिक के कहने पर कीह और काम करें तब भी उसे मुआवजा मिलता है।

- ❖ ठेकेदार द्वारा रखे गए मजदूर भी मालिक या ठेकेदार से मुआवजे की मांग कर सकते है।

मुआवजा नहीं मिलता

अगर दुर्घटना से केवल चोट लगी हो मृत्यु न हुई हो तो कुछ ऐसी स्थितियां है जिसमें मालिक को मुआवजा नहीं देना होगा।

- ❖ यदि मजदूर तीन या चार दिन के अन्दर ठीक जो जाए।

- ❖ यदि सुरक्षा के लिए सभी सामान उपलब्ध है पर मजदूर ने उसका इस्तेमाल ना किया हो।

- ❖ यदि काम से संबंधित सभी निर्देश दिए हो और मजदूर जान बूझकर इनका पालन न करें।

- ❖ यदि शराब या किसी नशीले पर्दाथ के कारण दुर्घटना हुई हो।

कितना मुआवजा

मुआवजा कितना मिलेगा से कई बातों पर निर्भर करता है ये है –

- ❖ **कामगार की उम्र** – यदि वह छोटी उम्र का है तो उसे अधिक हर्जाना मिलेगा। क्योंकि उसकी ज्यादा लम्बे समय की कमाई का नुकसान हुआ है।

- ❖ **कामगार की कमाई** – यदि महिला मजदूर ज्यादा कमाई करती है तो उसे ज्यादा मुआवजा मिलता है।

- ❖ चोट का अनुपात – अगर चोट गम्भीर हो तो ज्यादा मुआवजा मिलेगा।

- ❖ बिमारियों का मुआवजा – वह बिमारिया जो विशेष कामों में लगे हुए व्यक्तियों को हो जाती है और जिन्हे कानून ने अपनी सूचि में शामिल किया है उसकी भी मुआवजा मिलता है।

अगर मालिक मुआवजा पूरा ने दे या कम दे तो आप कमिश्नर को अर्जी मे यह सब बातें लिख कर दे। अनपढ़ महिला यह काम कमिश्नर के दफरत से पूरा करवा सकती है।

महिला कर्मचारी की मुआवजे की अर्जी कमिश्नर ही तय करता है। इसी प्रकार 18 साल से कम उम्र के बच्चे की भी अर्जी मालिक के बजाय सीधे कमिश्ना के पास पहंचती है।

ध्यान देने योग्य बात है कि यह अर्जी घटना के 2 साल के अन्दर दर्ज होनी चाहिए। कोई विशेष कारण बताने पर समय को बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन इसके लिए भी कमिश्नर की अर्जी होती है।

ठेका मजदूरी

बहुत से काम ठेकेदारों द्वारा मजदूर रख कर करवाए जाते है। इन मजदूरों की यह समस्या है कि एक तो कोई निश्चित काम का स्थान नहीं होता दूसरा यह लोग बहुत गरीब होते है। इस कारण ठेकेदार उनसे मनमाने ढंग के काम करवाता है। इन मजदूरों की भलाई के लिए सरकार ने ''ठेका श्रम (विनियमन ओर उत्सादन) अधिनियम 1970' बनाया है। इस के अन्तर्गत

- ❖ अगर कोई ठेकेदार 20 या इससे अधिक आदमी काम पर देता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता है।
- ❖ अगर मालिक ठेकेदार से मजदूर रखवाता है तो उसे रजिस्टर होना जरूरी है।

मजदूरी को अगर सही मजदूरी नहीं मिले या अपेक्षित सुविधाएं न मिले तो वह लेबर इन्सपैक्टर को रपट लिखवा सकता है। रपट में वह मालिक और ठेकेदार दोनों को जिम्मेवार ठहरा सकता है।

मजदूरी की शर्ते

- ❖ मजदूरी नकद ओर बिना किसी कटौती के मिलनी चाहिए।
- ❖ मजदूरी देने की जिम्मेवारी ठेकेदार की है।
- ❖ महीने में एक बार तो मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए।
- ❖ यह पैसे मालिक के आदमी के सामने दिये जाएं तो बहुत अच्छा है।

- ठेकेदार मालिक से अपना कमीशन पहले ही ले लेता है। उसका मजदूरों के वेतन से कोई लेना देना नहीं है।

- अगर ठेकेदार पैसे ना दे तो मालिक से पैसे मांगे जा सकते हैं।

- पक्के कर्मचारियों की तरह से ठेके के मजदूर की भी छुटिटयां और काम के घंटे तय करते हैं। जिसमें कोई अन्तर नहीं होना चाहिए।

सुविधाएं

- काम करने वाले मजदूरों के छोटे बच्चों के लिए कम से कम दो कमरे जरूर मिलने चाहिए जिसमें वह खेल सकें और सो सके।

- पीने का पानी, स्नान घर, शौचालय, डाक्टरी सुविधा का प्रबन्ध मालिक या ठेकेदार द्वारा काम पकड़ने के 7 दिन के अन्दर हो जाना चाहिए।

- कमरों में ताजी हवा और प्रकाश का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए।

- महिलाओं के लिए अलग कमरे होने चाहिए। कई बार काम 3 महीने या उससे अधिक चलने वाला होता है, जिससे मजदूरों को काम के स्थान के पास ही रहना पड़ता है, इससे उनके विश्राम के कमरों का इन्तजाम 15 दिन के अन्दर हो जाना चाहिए।

- अगर काम 6 महीने तक चलता है जिसमें इससे अधिक समय भी लग सकता है और जिस काम में मजदूरों की संख्या 100 या उससे अधिक हो जाए तो कैन्टीन का प्रबन्ध होना अत्यावश्यक है। जिसमें उचित दर पर खाने पीने का सामान मिले। कैन्टीन साफ सुथरी होनी चाहिए और महिलाओं के लिए अलग से प्रबन्ध होना चाहिए। इसका प्रबन्ध काम शुरू होने के 60 दिन के अन्दर हो जाना चाहिए।

यह सुविधाएं मजदूर ठेकेदार से मांग सकता है और न मिलने पर मालिक को भी जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। सरकार कानून के अन्तर्गत दोनों को ही उचित मजदूरी और सुविधाएं देने के लिए मजबूर कर सकती है।

XV. डी० के० बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) के सुप्रीम कोर्ट केसज 416 में उच्चतम न्यायालय ने, गिरफ्तारी या निरोधक के सभी मामलों में जब तक इस निमित निवारक उपायों के रूप में विधिक उपबन्धों का प्रावधान नहीं कर दिया जाता है, अनुसरित की जाने वाली अपेक्षाएं

डी० के० बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) के सुप्रीम कोर्ट केसज 416 में उच्चतम न्यायालय ने, गिरफ्तार या निरोधक के सभी मामलों में जब तक इस निमित निवारक उपायों के रूप में विधिक उपबन्धों का प्रावधान नहीं कर दिया जाता है, अनुसरित की जाने वाली अपेक्षाएं जारी की हैं –

1. गिरफ्तार करने वाले और गिरफ्तार व्यक्ति की पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मचारी सही दषयमान और स्पष्ट पहचान और उनके पदनामों सहित नाम पट्टी धारण करेंगे। गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पूछताछ करने वाले ऐसे सभी पुलिस कर्मचारियों की विशिष्टियां रजिस्टर में अवश्य लिपिबद्ध की जानी चाहिये।

2. गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी, गिरफ्तार का ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन कम से कम एक साक्षी जो या तो वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य होगा या जहां उसकी गिरफ्तारी की गई है, उस क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, द्वारा सत्यापित किया जायेगा। यह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और इसमें गिरफ्तार किए जाने का समय और तारीख भी अन्तर्वि"ट होगी।

3. जब तक गिरफ्तारी के ज्ञापन को सत्यापित करने वाला साक्षी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वयं ऐसा मित्र या सम्बन्धी न हो तो वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार और निरूद्ध किया गया है और पुलिस थाना या पूछताछ केन्द्र में या अन्य हवालात में अभिरक्षा में रखा गया है। मित्र, सम्बन्धी या उससे परिचित अन्य व्यक्ति या उसके कल्याण का हित रखने वाले को यथा/साध्य 'ाीघ्रता सूचित किया जाएगा कि उसे गिरफ्तार किया जा चुका है और विशेष स्थान में निरूद्ध किया जा रहा है, का हकदार होगा।

4. जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का वाद मित्र या सम्बन्धी जिला या नगर से बाहर रहता हो, उसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी का समय, स्थान और अभिरक्षा का स्थान पुलिस द्वारा अवश्य जिला के विधिक सहायता संगठन के माध्यम से, और सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस केन्द्र को गिरफ्तारी के पश्चात 8 से 12 घण्टे की अवधि के भीतर तार द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए।

5. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही हवालात में रखा जाता है या निरूद्ध किया जाता है, उसके गिरफ्तारी, निरूद्ध के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की जानकारी दी जाएगी।

6. व्यक्ति की गिरफ्तारी सम्बन्धी, निरूद्ध के स्थान की डायरी में प्रविष्टि की जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति के वादमित्र का नाम जिसे गिरफ्तारी के बारे में सूचित

किया गया है और पुलिस पदधारियों के नाम और विशि''टयों जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, भी लिखा जाएगा।

7. गिरफ्तार किये गए व्यक्ति की, जब वह अनुरोध करता है कि अपनी गिरफ्तारी के समय पर उसकी चिकित्सीय परीक्षा करवाई जाए और यदि उसके शरीर पर बड़ी या मामूली चोटें हैं तो उन्हें उस समय अभिलिखित किया जायेगा। अवश्य गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसकी प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जाएगी।

8. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का, सम्बन्धित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, द्वारा अनुमोदित डाक्टरों की सूची पर नियुक्त प्रशिक्षित डाक्टर द्वारा प्रत्येक 48 घण्टे के पश्चात चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।

9. पूर्वाक्त गिरफ्तारी ज्ञापन सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां अभिलेख के लिए ईलाका मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

10. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान (यद्यपि पूर्णतया पूछताछ के दौरान नहीं) अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जाएगी।

11. समस्त जिलों और राज्य मुख्यालय में एक पुलिस केन्द्र कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, जहां गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा के स्थान सम्बन्धी जानकारी गिरफ्तार किए जाने के बारह घण्टे के भीतर गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा सूचित की जाएगी और पुलिस केन्द्र कक्ष में सहजदर्श्य बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

संवैधानिक अधिकार

संविधान में पुरूष और महिला में भेद नहीं किया गया है। पर दुःख की बात है कि इन अधिकारों के होते हुए भी सामाजिक स्तर पर महिला बहुत कमजारे है। स्थिति में सुधार तभी होगा जब आप संवैधानिक अधिकारों की जानकारी रखें और उनका प्रयोग करें।

समता का अधिकार

- ❖ कानूनी के समक्ष हर भारतीय नागरिक समान है। राज्य किसी से भेद नहीं करेगा।
- ❖ राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेद नहीं करेगा।
- ❖ राज्य के अधीन किसी पद नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।
- ❖ 'अस्पृश्यता' का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण गैर कानूनी होगा।

स्वतन्त्रता का अधिकार

- ❖ बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता।
- ❖ शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतन्त्रता।
- ❖ संगम या संघ बनाने की स्वतन्त्रता।
- ❖ भारत में सर्वत्र अबाध आवागमन की स्वतन्त्रता।
- ❖ भारत में कहीं भी रहने और बसने की स्वतन्त्रता।
- ❖ कोई वृति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतन्त्रता।

संरक्षण

- ❖ किसी भी व्यक्ति को उस जुर्म के लिऐ दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो जुर्म करने के समय कानून द्वारा जुर्म करार नहीं दिया गया था। और ना ही उस व्यक्ति को उस जुर्म के लिए कानून द्वारा निर्धारित दण्ड से अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता है।

- ❖ किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता।

- ❖ किसी भी व्यक्ति को, उसक प्राण, दैहिक स्वतन्त्रता से कानूनी ढंग से वंचित किया जा सकता है। अन्यथा नहीं।

- ❖ किसी भी व्यक्ति को शीघ्र ही गिरफ्तारी का कारण बताना होता है। कारण बताए बिना उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता और न ही उसे वकील से परामर्श करने से वंचित किया जा सकता है।

- ❖ हिरासत में रखे व्यक्ति को 24 घण्टे के अन्दर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

अन्य अधिकार

- ❖ मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा अन्य बलाश्रम गैरकानूनी है। उल्लंघन करने पर दण्ड मिलेगा।

- ❖ 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं रखा जाएगा।

- ❖ लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को अतःकरण की स्वतन्त्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है।

- ❖ हर नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है।

- ❖ सरकारी खर्चा लेने वाली किसी भी शिक्षा संस्था मे प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

संवैधानिक उपचार

संविधान ने जो अधिकार भारत के हर नागरिक को दिए हैं अगर उनका उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय में अर्जी दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय कोई भी आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकता है। रिट पांच प्रकार की है। (1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (2) परमादेश (3) प्रतिषेध (4) अधिकार-पृच्छा (5) उत्प्रेक्षण।

बहनों ! आप ने अपने संवैधानिक अधिकार जाने इन अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों का भी पालन करें। तभी आपके चरित्र में गहराई आएगी।

अधिकारों की जानकारी के साथ-साथ नागरिकों को अपने मूलभूत कर्तव्यों का भी ज्ञान लेना चाहिए। मुख्य मूलभूत कर्तव्य निम्न हैं :-

1. संविधान की पालना करना तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।

2. भारत की प्रभुसत्ता, अखण्डता की मान व रक्षा करना।

3. देश की रक्षा और मांग के अनुसार राष्ट्रीय सेवा करना।

4. भारत के लोगों में भाईचारा व सदभावना को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कुरीतियों को त्यागना।

5. प्राकृतिक पर्यावरण, जंगलों, वन्य प्राणियों की रक्षा करना।

6. राष्ट्रीय सम्पति की रक्षा तथा हिंसा का परित्याग करना।

जब भी तुम्हें सन्देह हो या तुम्हारा अहम तुम्हें परेशान करने लगे, तब तुम स्वयं को निम्नलिखित कसौटी पर परखो। उस गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करो जो तुम्हारी नजर से गुजरा हो फिर खुद से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, क्या उससे उस व्यक्ति का भला होगा .....

– महात्मा गांधी

गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971

इस कानून के अनुसार गर्भ समापन तब किया जायें, जब–

- ☞ यदि बच्चे को रखने में माँ के जीवन को खतरा है,
- ☞ माँ के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा है,
- ☞ गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा है,
- ☞ बच्चा गंभीर रूप से विकलांग पैदा हो सकता है,
- ☞ स्त्री पुरूष द्वारा अपनाया गया परिवार नियोजन का साधन, असफल रहा हो,
- ☞ स्त्री की अस्वस्थता या वातावरण को देखते हुये उसके स्वास्थ्य को खतरा हो,
- ☞ 12 सप्ताह तक का गर्भ एक डाक्टर की सलाह और 12 सप्ताह से ज्यादा का गर्भ दो डॉक्टरों की सलाह पर ही समाप्त किया जा सकता है, किन्तु 20 सप्ताह से अधिक का नहीं।

लड़के की चाह में गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाकर, कन्या भ्रूण होने पर उसे गिराने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का सुरक्षा अधिनियम 2005

यह अधिनियम महिलाओं के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना व उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है।

घरेलू हिंसा क्या है ?

- प्रतिवादी के किसी कार्य, लोप या आचरण से है जिससे व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को हानि या नुकसान हो। इसमें शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण, मौखिक और भावनात्मक शोषण व आर्थिक उत्पीड़न शामिल है। व्यथित व्यक्ति और उसके किसी सम्बन्धी को दहेज या किसी अन्य सम्पत्ति की मांग के लिए हानि या नुकसान पहुँचाना भी इसके अर्न्तगत आता है।

- शारीरिक उत्पीड़न–का अर्थ है ऐसा कार्य जिससे व्यथित व्यक्ति को शारीरिक हानि, दर्द हो या उसके जीवन, स्वास्थ्य एवं अंग को खतरा हो।

- लैंगिक शोषण से तात्पर्य है महिला को अपमानित करना, हीन समझना, उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाना।

- मौखिक और भावनात्मक उन्पीड़न–महिला को अपमानित करना, बच्चा न होने व लड़का पैदा न होने पर ताने मारना आदि और महिला के किसी सम्बन्धी को मारने, पीटने की धमकी देना।

- आर्थिक उत्पीड़न का मतलब है महिला को किसी आर्थिक एवं वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है, उससे वंचित करना, स्त्रीधन व कोई भी सम्पति जिसकी वह अकेली अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ हकदार हो आदि को महिला को न देना या उस सम्पति को उसकी सहमति के बिना बेच देना आदि आर्थिक उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं।

उपरोक्त सभी कृत्यों को घरेलू हिंसा माना गया है।

इस अधिनियम के अर्न्तगत केवल पत्नी ही नहीं बल्कि सभी महिलाएं जो संयुक्त परिवार या एकल परिवार में हो जैसे बहन, विधवा, माँ अथवा परिवार के किसी भी रूप में संबंध सदस्य पर शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, भावनात्मक एवं आर्थिक उत्पीड़न को घरेलू हिंसा माना गया है। इस अधिनियम के अर्न्तगत निम्नलिखित परिभाषाएं भी दी गई हैं।

- पीड़ित व्यक्ति ऐसी कोई महिला जिसका प्रतिवादी से पारिवारिक सम्बन्ध हो या रह चुका हो और जिसको किसी प्रकार की घरेलू हिंसा से प्रताड़ित किया जाता हो।

- घरेलू सम्बन्ध दो व्यक्ति जो साथ रहते हों या कभी गृहस्थी में एक साथ रहे हों यह सम्बन्ध सगोत्रता, विवाह या गोद लिए जाने के द्वारा या परिवार के सदस्यों का संयुक्त परिवार में रहने से हो सकता है, उसको घरेलू संबंध कहते है।

- गृहस्थी में हिस्सा इसका अर्थ है जहां पर व्यथित व्यक्ति घरेलू संबंध के द्वारा अकेले या प्रतिवादी के साथ रहता है या रहता था। इसके अन्तर्गत वह घर जो कि संयुक्त रूप से व्यथित व्यक्ति या प्रतिवादी का हो या किराए पर हो, या दोनों का या किसी एक पक्ष का उसमें कोई अधिकार, हक, हित हो या न हो।

- संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार हर जिले में एक या जितने वह उचित समझे संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी, जो इस अधिनियम के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।

- जहाँ तक हो सके यह संरक्षण अधिकारी महिला होनी चाहिए।

- घरेलू संबंध दो व्यक्ति जो साथ रहतें हों या कभी गृहस्थी में एक साथ रहे हों यह संबंध सगोत्रता, विवाह या गोद लिए जानें के द्वारा या परिवार के सदस्यों का संयुक्त परिवार सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएँ (सर्विस प्रोवाइडर)–इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाएँ जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) अधिनियम, या कम्पनीज अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अर्न्तगत रजिस्टर्ड हों और जिनका उददेश्य महिलाओं के अधिकार, उनके हित की रक्षा करना और उन्हें विधिक चिकित्सीय, आर्थिक एवं अन्य सहायता प्रदान करना हो। तभी वह इस अधिनियम के अर्न्तगत सेवा उपलब्ध कराने योग्य समझे जाएंगें।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया :

घरेलू हिंसा की शिकार हो रही महिला या संरक्षण अधिकारी या जो व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों को देख रहा है, मैजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।

- आवेदन पत्र मिलने के बाद मैजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की तारीख घोषित की जायेगी जो आवदेन पत्र मिलने के तीन दिन के भीतर हो सकती है।

- ❖ प्रार्थनापत्र का फैसला मैजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिन के अन्दर कर दिया जायेगा। मैजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख संरक्षण अधिकारी को देगा।

- ❖ इसके बाद संरक्षण अधिकारी प्रतिवादियों को सुनवाई की तारीख की सूचना दो दिनों के अन्दर या मैजिस्ट्रेट के आदेशानुसार देगा।

ऐसे मामलों की सुनवाई बन्द कमरे में भी की जा सकती है।

अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाने वाले आदेश –

1. संरक्षण से सम्बन्धित आदेशः–

अगर मैजिस्ट्रेट को यह लगता है कि किसी जगह घरेलू हिंसा की घटना घटित हुई है तो वह प्रतिवादी पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगा सकता है :

- ❖ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की घटना करने से या उसमें मदद करने से।

- ❖ उस स्थान में प्रवेश करने या जिसमें व्यथित महिला निवास कर रही हो और अगर व्यथित व्यक्ति कोई बच्चा है तो उसके स्कूल में प्रवेश करने से।

- ❖ व्यथित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने जैसे बात–चीत, पत्र या टेलीफोन आदि।

- ❖ प्रतिवादी को अपनी सम्पति या संयुक्त सम्पति को बेचने से और बैंक लॉकर, खाते आदि जो संयुक्त या निजी हो उसके प्रयोग से भी रोका जा सकता है।

- ❖ महिला पर आश्रित, उसके सम्बन्धियों व पीड़ित महिला की सहायता करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध किसी प्रकार की हिंसा करने से भी रोका जा सकता है।

2. निवास स्थान सम्बन्धी, आदेश :

आवेदन मिलने पर यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि, महिला घरेलू हिंसा की शिकार है तो प्रतिवादी के विरूद्ध निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता हैः

- ❖ जिस घर में महिला निवास कर रही है प्रतिवादी उसे वहाँ से नही निकाल सकता है।

- ❖ प्रतिवादी और उसके किसी रिश्तेदार को महिला के निवास स्थान में न घुसने का आदेश भी दे सकता है।

- ❖ प्रतिवादी को उस घर को बेचने या किसी को देने से भी रोका जा सकता है।

- ❖ प्रतिवादी को पीड़ित महिला के लिए अलग से घर की व्यवस्था करने, उसका किराया देने आदि का भी आदेश दिया जा सकता है।
- ❖ पीड़ित, व उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए मैजिस्ट्रेट जो उचित समझे प्रतिवादी को आदेश दे सकता है।
- ❖ मैजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित महिला का स्त्रीधन, अन्य सम्पति वापस करने का आदेश भी दे सकता है।

3. अभिरक्षा संबंधी आदेश :

मैजिस्ट्रेट संरक्षण या अन्य राहत के लिए दिए गए आवेदन की सुनवाई के समय पीड़ित व्यक्ति को अपने बच्चों को अस्थाई रूप से अपने पास रखने का भी आदेश दे सकता है। प्रतिवादी को बच्चों से मिलने से भी रोका जा सकता है यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यह बच्चों के हित में नहीं है।

4. आर्थिक राहत :

मैजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में आर्थिक राहत के आदेश भी दे सकता है। जिससे व्यथित व्यक्ति अपना व अपने बच्चे का खर्च पूरा कर सके और ऐसी आर्थिक राहत में कई चीजें सम्मिलित हो सकती है जैसे –

1. आय का नुकसान।
2. चिकित्सीय खर्च।
3. किसी सम्पति जिस पर व्यथित व्यक्ति का नियंत्रण हो उसका नुकसान, बर्बादी या उस सम्पति से उसे निकाल देने का हर्जाना।
4. और भरण पोषण के आदेश।

ऐसी आर्थिक राहत मैजिस्ट्रेट पूरी एक साथ या मासिक किश्त के रूप मे देने का आदेश पारित कर सकता है।

5. मुआवजे से सम्बन्धित आदेश :

मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम में दी गई राहत के अलावा प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति को हुई मानसिक, भावनात्मक पीड़ा के लिए भी मुआवजे का आदेश दे सकता है।

6. सलाह और विशेषज्ञ की मदद :

मैजिस्ट्रेट एक पक्ष के लिए या दोनों पक्षों के लिए सलाह के आदेश दे सकता है। सहायता के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद भी ली जा सकती है।

पीड़ित व्यक्ति शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है :

न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिसके क्षेत्राधिकार में :–

1. पीड़ित महिला स्थायी या अस्थायी रूप से रह रही हो या व्यवसाय अथवा नौकरी करती हो।

2. प्रतिवादी जहाँ रह रहा हो या व्यवसाय अथवा नौकरी कर रहा हो।

3. जहाँ विवाद का कारण उत्पन्न हुआ हो।

<u>दण्ड के प्रावधान :</u>

इस अधिनियम के अर्न्तगत जारी किये गये आदेशों का पालन न करने पर उल्लंघन करने वाले प्रतिवादी को एक वर्ष की जेल अथवा 20 हजार का जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956

समाजिक सुधार और हिन्दू महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिलाने की दिशा में 9 सितम्बर, 2005 का दिन एक विशेष महत्व रखेगा। इस दिन से एक अधिनियम जिसका नाम है ''हिन्दु उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005'' अस्तित्व में आ गया है। जिसके अन्तर्गत हिन्दू महिलाओं को पुरूषों के बराबर पूर्ण अधिकार दिया गया है। क्योंकि यह नया अधिनियम हिन्दू समाज की अभी तक की प्रचलित मान्यताओं के एकदम विपरीत है और इससे हिन्दू महिलाओं को सम्पति में नए अधिकार प्राप्त हुए हैं इसलिए इस संशोधन के द्वारा हिन्दू महिलओं के अधिकारों मे जो परिवर्तन किए गए है, उसका वर्णन इस लेख में नीचे किया जा रहा है।

हिन्दू महिला संयुक्त परिवार में जन्म से ही सहभागी :

इस नये संशोधन कानून से हिन्दू उतराधिकार कानून 1956 की धारा-6 के स्थान पर एक नई धारा स्थानापन्न की गई है, जिसके अनुसार 9 सितम्बर 2005 से हर हिन्दू पुत्री जन्म से ही संयुक्त परिवार में पुत्र के बराबर भागीदार गिनी जायेगी और उसे संयुक्त परिवार की सम्पति में पुत्र के बराबर अधिकार रहेगा। इसके साथ-साथ पुत्र के बराबर ही उस सम्पति में जो देनदारियाँ होगी। उनमें भी वह सहभागिनी होगी। लेकिन यदि किसी संयुक्त परिवार का विभाजन 20 दिसम्बर 2004 से पहले हो गया है, अर्थात जो पुराने हिन्दू कानून के अन्तर्गत हो गया है, जिसके अन्तर्गत पुत्रियों को संयुक्त परिवार की सम्पति में कोई अधिकार नहीं था तो ऐसा विभाजन रदद नहीं किया जाएगा। परन्तु 9 सितम्बर, 2005 से हिन्दू परिवार के विभाजन में जो हक पुत्र को प्राप्त होगा, वही हक पुत्री को भी प्राप्त रहेगा और उसे उतना ही हिस्सा दिया जाएगा जैसे कि पुत्र को दिया जाएगा जैसे कि पुत्र को दिया जाता है। इसी प्रकार यदि किसी पुत्री का देहान्त पहले हो जाता है जो संयुक्त परिवार के विभाजन के समय जीवित थी और जिस प्रकार दिंवगत पुत्र की सम्पति उसके पुत्रों और उसके उत्तराधिकारियों में बांटी जाती है, उसी प्रकार दिवगंत पुत्री के उतराधिकारीयों में भी वह सम्पति बांटी जाएगी।

संशोधन के पश्चात निम्न बातें प्रमुख हैं :

(1) वसीयत का अधिकार :

हिन्दू महिला को संयुक्त परिवार की सम्पति में अपने हिस्से को अपनी वसीयत के अनुसार बांटने का पूरा हक रहेगा। इस प्रकार एक हिन्दू महिला की मृत्यु के समय संयुक्त परिवार की सम्पति का विभाजन उसी प्रकार होगा जैसे वह मृत्यु के दिन जीवित थी और उसका जो भी हिस्सा उस समय बनता था वही उसके उतराधिकारीयों में विभाजित होगा जैसे कि पुत्र का होता है।

(2) बुजुर्गो के ऋण हेतू हिन्दू जिम्मेदार नहीं :

अब नये कानून के पश्चात कोई भी न्यायालय किसी भी पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के विरूद्ध कोई फैसला नहीं करेगी, केवल इसलिए कि ऐसा पुत्र आदि का एक पवित्र कर्तव्य था, कि वह अपने पिता के ऋणों को चुकाये। यदि कोई ऋण 9 सितम्बर 2005 से पूर्व पिता आदि ने लिया है तो पूर्व कानून के अनुसार कोई भी लेनदार पुत्र, या प्रपौत्र के खिलाफ कोर्ट में मुकद्दमा कर सकता है, जैसे कि यह नया संशोधन कानून पास ही नहीं हुआ हो।

(3) हिन्दु महिलाओं को मकान विभाजन का अधिकार :

अब हिन्दू महिला संयुक्त परिवार के रिहायशी मकान का विभाजन मांग सकती है।

(4) कृषि भूमि का विभाजन हिन्दू महिला द्वारा संभव :

हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4(2) समाप्त कर दी गई है, जिसका असर यह होगा कि 9 सितम्बर 2005 से यदि हिन्दू महिलाओं को कृषि भूमि में उत्तराधिकार के रूप में कोई हक मिलेगा तो उसे कृषि भूमि के विभाजन का पूरा हक रहेगा, जैसे कि एक पुत्र को रहता है।

(5) हिन्दू विधवाओं को पुनर्विवाह पर उत्तराधिकार की असुविधा नहीं :

इस नये संशोधन अधिनियम के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 24 को समाप्त कर दिया गया है, जिससे पूर्व दिवंगत पुत्र की विधवा स्त्री आदि या पूर्व दिवंगत पुत्र के दिवंगत पुत्र या भाई की विधवा को पुनर्विवाह पर सम्पति उत्ताधिकार का अधिकार नहीं मिलता था। अब ऐसी विधवा को उसके पुनर्विवाह के पश्चात भी अपने पिता या संयुक्त परिवार की सम्पति में पुत्र के बराबर हिस्सा प्राप्त करने का पूरा अधिकार रहेगा।

महिलाओं के हित में विशेष प्रावधान

1. असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई महिला सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले गिरफतार नहीं की जाएगी और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान है वहां महिला पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, ऐसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।

(दं.प्र.सं. की धारा 46(4))

2. यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी ऐसे स्थान या कमरे में है जो उससे भिन्न ऐसी महिला के वास्तविक अभियोग में है जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो वैसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस महिला को सूचना देगा कि वह वहाँ से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है।

(दं.प्र.सं. की धारा 47(2) का परंतुक)

3. जब कभी किसी गिरफ्तार महिला के शरीर की तलाशी लेना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा की जाएगी।

(दं.प्र.सं. की धारा 51(2))

4. जब किसी महिला को ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने हेतु उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी तो ऐसी महिला की शारीरिक परीक्षा केवल किसी महिला, जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है, द्वारा या उसके सुपरवीजन में की जाएगी।

(दं.प्र.सं. की धारा 53(2))

5. किसी महिला या 18 वर्ष से कम उम्र की किसी बालिका के किसी अवैध प्रयोजन के लिए अपहरण किये जाने या अवैध रूप से निरूद्ध रखे जाने की दशा में शपथ पर परिवाद किए जाने पर जिला मैजिस्ट्रेट, उपखंड मैजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि उस महिला को तुरन्त स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके पति, माता-पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्ण भारसाधक है, तुरन्त वापस

कर दी जाए और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा, जैसा आवश्यक हो, करा सकता है।

(दं.प्र.सं. की धारा 98)

6. संज्ञेय अपराध के अन्वेषण के सिलसिले में पुलिस अधिकारी द्वारा किसी महिला को उसके निवास स्थान से भिन्न स्थान में हाजिर होने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।

(दं.प्र.सं. की धारा 160)

7. जहाँ बलात्संग या बलात्संग करने का प्रयास करने के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है वहाँ ऐसी पीड़ित महिला के शरीर की मेडिकल परीक्षा सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाये जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा और ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसी महिला की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी महिला को ऐसा अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर ऐसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। वह पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास ऐसी महिला को भेजा जाता है, अविलंब उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिये जाएंगे अर्थातः-

- महिला का और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है उसका नाम और पता,
- महिला की आयु,
- डी.एन.ए. प्रोफाइल करने के लिए महिला के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन,
- महिला के शरीर पर क्षति के चिन्ह (यदि कोई हों तो),
- महिला की साधारण मानसिक दशा,
- उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टयाँ।

पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी रिपोर्ट में संक्षेप में उन कारणों को अभिलिखित करेगा जिसके आधार पर प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है। रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि क्या ऐसी परीक्षा के लिए महिला की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमजि अभिप्राप्त कर ली गई है। रिपोर्ट मे परीक्षा प्रारंभ और समाप्त करने

का सही समय भी अंकित किया जाएगा। यह रिपोर्ट बिना विलंब के पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विवेचना करने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी।

(दं.प्र.सं. की धारा 164-क)

8. जब किसी महिला द्वारा उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या करने का मामला हो या ऐसी महिला की ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जो युक्तियुक्त रूप से यह संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के संबंध में कोई अपराध किया है या ऐसी महिला के विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत्यु होने से संबंधित मामला है और ऐसी महिला के किसी नातेदार ने महिला की मृत्यु के संबंध में जाँच हेतू निवेदन किया है या पुलिस अधिकारी को मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह है या किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसी जाँच करना आवश्यक समझता है तो ऐसी महिला का शव पोस्टमार्टम हेतू निकट तक सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस हेतू नियुक्त अन्य चिकित्सक के पास भेजा जाएगा।

(दं.प्र.सं. की धारा 174(3))

9. जब यह अभिकथित हो को पुलिस अभिरक्षा में या दं.प्र.सं. के अधीन मैजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में होते हुए किसी महिला से बलात्संग किया गया है जब पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जाँच/अन्वेषण के अतिरिक्त ऐसे न्यायिक मैजिस्ट्रेट या महानगर मैजिस्ट्रेट द्व ारा भी जाँच की जाएगी जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है।

(दं.प्र.सं. की धारा 176(1-क))

10. भा.दं.सं. की धारा 493, 494, 495, 496, 497, 498 में वर्णित विवाह के विरूद्ध अपराधों बाबत परिवाद संबंधित महिला यदि वह पर्दानशील है तब उसकी और से कोई अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की अनुमति से पेश किया जा सकता है।

(दं.प्र.सं. की धारा 198)

11. जहाँ भा.दं.सं. की धारा 494 या 495 के अधीन दण्डनीय अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है वहाँ उसकी और से उसके पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र या पुत्री या उसके पिता या माता के भाई या बहन द्वारा या न्यायालय की इजाजत से किसी ऐसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उससे रक्त विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित है, परिवाद किया जा सकता है।

(दं.प्र.सं. की धारा 198)

12. भा.दं.सं. की धारा 498-क के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध से व्यथित महिला द्वारा या उसके माता-पिता, भाई-बहन द्वारा या उसके पिता अथवा माता के भाई-बहन द्वारा या रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की अनुमति से पेश परिवाद पर ही लिया जाएगा अन्यथा नहीं।

(दं.प्र.सं. की धारा 198-क)

13. ऐसी महिला जो पर्दानशीन हो जहाँ उसकी और से अन्य व्यक्ति अदालत की इजाजत से मानहानि के लिए परिवाद संस्थित कर सकेगा।

(दं.प्र.सं. की धारा 199)

14. प्ली-बारगेनिंग के प्रावधानों का लाभ ऐसे अपराधों को लागू नहीं होता है जो किसी महिला के विरूद्ध किया गया है।

(दं.प्र.सं. की धारा 265-क (1)

15. भा.दं.सं. 1860 की धारा 376, 376-क, 376-ख, 376-ग या 376-घ के अधीन दण्डनीय अपराध की जाँच और उसका विचारण बंद कमरे में किया जाएगा।

(दं.प्र.सं. की धारा 327(2))

16. जब कोई महिला ऐसे अपराध के लिए, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, दोषसिद्ध की जाती है और ऐसी महिला के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है, तब अदालत उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ सकती है।

(दं.प्र.सं. की धारा 360)

17. मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय मामलों में यदि कोई महिला गिरफ्तार की गई हो तो मैजिस्ट्रेट उसे जमानत पर छोड़ सकता है।

(दं.प्र.सं. की धारा 437)

18. बलात्संग का प्रयास करने या बलात्संग करने के अपराध के विचारण में पीड़ित महिला के सामान्य अनैतिक चरित्र के बारे में प्रतिपरीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

(साक्ष्य अधि. धारा 146)

19. किसी भी प्रकार के अशिष्ट, कलंकात्मक या अपमानित/क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

(साक्ष्य अधि. धारा 151, 152)

20. विवाह के होने के सात वर्ष के भीतर जब ऐसी महिला द्वारा आत्मघात किया जाता है तब यदि यह दर्शित किया जाता है कि उसके पति या ससुराली रिश्तेदारों ने उसके प्रति क्रूरताप्रूर्ण व्यवहार किया था तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या हेतु उसके पति या सुसराली रिश्तेदारों द्वारा दुष्प्ररेणा की गई थी।

(साक्ष्य अधि. धारा 113-क)

21. जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के ठीक पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस महिला के साथ क्रूरता की थी या उसको परेशान किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

(साक्ष्य अधि. धारा 113-ख)

22. भा.दं.सं. 1860 की धारा 376, 376-क, 376-ख, 376-ग या 376-घ से संबंधित अपराध में पीड़ित महिला का नाम या ऐसा विवरण (जिससे उसकी पहचान स्थापित हो) मुद्रित या प्रकाशित करना 2 वर्ष के कारावास एवं जुर्माना से दण्डनीय अपराध है।

(साक्ष्य अधि. धारा 228-क)

23. माद्रक द्रव्य के कारोबार में 21 वर्ष से कम उम्र की महिला को नियोजित करना दण्डनीय अपराध है जिसके लिए न्यूनतम एक सौ रूपये और अधिकतम दो हजार रूपये जुर्माना हो सकता है।

(छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 38)

24. सिविल मामले में पर्दानशीन महिला की साक्ष्य दर्ज करने हेतु कमीशन जारी किया जा सकता है।

(आदेश 26-सी.पी.सी.)

25. सिविल मामले में धन के भुगतान की डिक्री की वसूली के सिलसिले में महिला को गिरफ्तार करने और सिविल कारागार में निरूद्ध रखने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

(आदेश 56-सी.पी.सी.)

26. सिविल मामले में डिक्री के निष्पादन में महिला के पहनने के आवश्यक वस्त्र तथा ऐसे निजी आभूषण, जिन्हें कोई महिला धार्मिक प्रथा के अनुसार पहनने से अलग नहीं कर सकती, की कुर्की-बिक्री नहीं की जा सकती।

(धारा 60-सी.पी.सी.)

महिलाओं के हितों की रक्षा से संबंधित न्याय दृष्टांत

1. लैंगिक अपराध का विचारण न्यायालय के जिस बंद कमरे में किया जाएगा वहां अदालत की अनुमति के बिना प्रत्येक अभियुक्त की ओर से एक से अधिक अधिवक्ता उपस्थित रहने का हकदार नहीं है। **(सुमेश्वर खेमी चौधरी विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 1994 MPLJ 265)**

2. लैंगिक अपराध से संबंधित निर्णय (चाहे वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या निम्न न्यायालय द्वारा पारित) में पीड़ित महिला का नाम या उसका विवरण (जिससे उसकी पहचान होती हो) नहीं लिखा जाना चाहिए। **(स्टेट ऑफ कर्नाटक विरूद्ध पुताराजा (2003(8) सुप्रीम 364)**

3. बलात्संग के अपराध का विचारण महिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा बशर्ते जिस स्थान पर विचारण किया जा रहा हो वहाँ महिला न्यायाधीश उपलब्ध हो। **(स्टेट ऑफ पंजाब विरूद्ध गुरमीत सिंह AIR 1996 SC 1393)**

4. साक्षी विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया (2004 Cr. L.J. 2881) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित व्यवस्था दी गई है–

   - दं.प्र.सं. की धारा 327(2) के अधीन बलात्संग के अपराध की जांच और विचारण बंद कमरे में किए जाने का प्रावधान भा.दं.सं. की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने हेतू हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना) तथा धारा 377 (प्रकृति विरूद्ध मैथुन) के अपराध की जांच और विचारण को भी लागू होगा।

   - बलात्संग या शिशु से दुष्कर्म के अपराध के विचारण में परदा लगाकर या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि पीड़ित या गवाह को अभियुक्त का शरीर या चेहरा दिखाई नहीं पड़े।

   - अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जहाँ तक वे घटना से सीधे संबंधित हों, लिखित रूप में अदालत के पीठासीन अधिकारी को दिए जाएंगे जो पीड़ित/गवाह के समक्ष ऐसे प्रश्नों को ऐसी भाषा में रखेगा जो स्पष्ट हो और व्याकुल करने वाली नहीं हो।

   - दुष्कर्म से पीड़ित शिशु/बलात्संग से पीड़ित महिला द्वारा साक्ष्य दिए जाने के दौरान उसे आवश्यकतानुसार पर्याप्त विराम दिया जाएगा।

5. ऐसा पुरूष, जिसका पहला विवाह अस्तित्व में हो, से अन्य महिला (भले ही वह अविवाहित हो या तलाकशुदा हो या उसके पति की मृत्यु हो गई हो) द्वारा किया गया विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम के मुताबिक प्रारम्भ से ही शून्य होता है और ऐसी महिला को विधिवत विवाहित पत्नी का दर्जा नहीं

मिल सकता जिसके कारण वह ऐसे पुरूष से भरण पोषण पाने का हकदार नहीं हो सकता। **(सविताबेन सोमाभाई भाटिया वि० स्टेट ऑफ गुजरात एवं अन्य 2005 Cr.L.J. 2141)**

6. भा.दं.सं. की धारा 498–क और 304–ख ऐसे पुरूष के संबंध में भी आकर्षित होगी जो किसी महिला के साथ पति के रूप में रहता हो भले ही ऐसी महिला से उसका विधिवत विवाह नहीं हुआ हो। **(रीमा अग्रवाल विरूद्ध अनुपम एवं अन्य 204 AIR SCW 344)**

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शमीम आरा वि० उत्तरप्रदेश राज्य एवं अन्य **(AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट 3551)** में यह अवधारित किया है कि मुस्लिम विधि में केवल तीर बार '**तलाक तलाक तलाक**' कह देने से ही विवाह–विच्छेद नहीं हो जाता बल्कि–

- तलाक हेतू युक्तियुक्त कारण होना चाहिए और
- तलाक होने के पूर्व यह आवश्यक है कि पति–पत्नी के बीच राजीनामा का प्रयास दो मध्यस्थों (जिनमें से एक पति द्वारा अपने परिवार से चयनित हो और दूसरा पत्नी द्वारा अपने मायके से चयनित हो) के माध्यम से किया जाये और ऐसे मध्यस्थों का प्रयास जब असफल हो जाये, तभी तलाक किया जा सकता है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **डेनियल लतीफी एवं अन्य एक वि० युनियन ऑफ इंडिया ((2001) 7 SCC 740)** में यह निर्णय दिया है कि मुस्लिम महिला **(तलाक होने पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986** के अधीन ऐसी तलाकशुदा महिला का अपने पति से भरण–पोषण पाने का अधिकार केवल '**इददत**' की अवधि तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसे पूरे जीवन भर भरण–पोषण पाने का अधिकार है बशर्ते वह दूसरा विवाह नहीं करे।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नूर सबा खातून वि० मोहम्मद कासिम ((1997) 6 SCC 233)** में यह प्रतिपादित किया है कि तलाकशुदा मुस्लिम दंपत्ति की अवयस्क संतानों को धारा 125 दं.प्र.सं. के अधीन अपने पिता से भरण–पोषण पाने का अधिकार है।

10. जहाँ पति–पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होने के बावजूद अवैध संबंध से संतान का जन्म हुआ हो वहाँ ऐसी संतान के पितृत्व के निर्धारण हेतू डी.एन.ए. परीक्षण कराया जा सकता है। डी.एन.ए. परीक्षण का निष्कर्ष पितृत्व का निश्यायक प्रमाण होता है। **(थोगारानी उर्फ के. दमयंती विरूद्ध उड़ीसा राज्य एवं अन्य, 2004 Cr. L. J. 4003)**

नोटः डी.एन.ए. परीक्षण कराने हेतू आवेदन देने वाले को ऐसे परीक्षण का व्यय वहन करना होगा। उपयुक्त मामले में यह व्यय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जा सकता है। ऐसे परीक्षण हेतू डायरेक्टर, डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग एवं निदान केन्द्र,

नाचारम, हैदराबाद फोन नं० 040-27151344-46, 47, 56, 27150727 Website: http://www.cdfd.org.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अवैध देह व्यापार से संबंधी कानून

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम–1956

परिभाषा : वैश्यावृत्ति का अर्थ–किसी भी व्यक्ति का अर्थिक लाभ के लिये लैंगिक शोषण करने का वैश्यावृत्ति कहते हैं।

वैश्यागृह का अर्थ :

किसी मकान, कमरे, वाहन या स्थान से या उसके किसी भाग से है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिये किसी का लैंगिक शोषण या दुरूपयोग किया जाय या दो या दो से अधिक महिलाओं के द्वारा अपने आपसी लाभ के लिय वैश्यावृत्ति की जाती है।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य अपराध हैं :

1. कोई व्यक्ति जो वैश्यागृह को चलाता है, उसका प्रबंध करता है या उसके रखने में और प्रबंध में मदद करता है तो उसे 3 साल तक का कठोर करावास व 2000 रूपये का जुर्माना होगा। यदि वह व्यक्ति दुबारा इस अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसको कम से कम 2 साल व अधिक से अधिक 5 साल का कठोर कारावास व 2000 रूपये जुर्माना होगा।

2. कोई व्यक्ति जो किसी मकान या स्थान का मालिक, किरायेदार, भारसाधक, एजेंट है उसे वैश्यागृह के लिये प्रयोग करता है या उसे यह जानकारी है कि ऐसे किसी स्थान या उसके किसी भाग को वैश्यागृह के लिये प्रयोग में लाया जायेगा या वह अपनी इच्छा से ऐसे किसी स्थान या उसके किसी भाग को वैश्यागृह के रूप मे प्रयोग करने के लिए भागीदारी देता है तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की जेल व 2000 रूपये का जुर्माना हो सकता है यदि वह दुबारा इस अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसको 5 साल का कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

वैश्यावृत्ति के कमाई पर रहना :

कोई भी 18 साल की उम्र से अधिक व्यक्ति अगर किसी वैश्या की कमाई पर रह रहा है तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल की जेल या 1000 रूपये का जुर्माना हो सकता है या दोनों।

अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबलिग द्वारा की गई वैश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 साल व अधिक से अधिक 10 सला की जेल हो सकती है।

कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है :

1. वैश्या के साथ उसके संगत में रहता है या

2. वैश्या की गतिविधियों पर अपना अधिकार, निर्देश, या प्रभाव इस प्रकार डालता है जिससे यह मालूम होता है कि वह वैश्यावृत्ति मे सहायता, प्रोत्साहन, या मजबूर करता है या

3. जो व्यक्ति दलाल का काम करता है तो मान कर चला जायेगा जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जायें कि ऐसे व्यक्ति वैश्यावृत्ति के कमाई पर रह रहे हैं।

वैश्यावृत्ति के लिये किसी व्यक्ति को लान, फुसलाना या लेने की चेष्टा करना –

1. किसी व्यक्ति को उसकी सहमति, या सहमति के बिना वैश्यावृत्ति के लिये लाता है लाने की कोशिश करता है या

2. किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए फुसलाता है, ताकि वह उससे वैश्यावृत्ति करवा सके तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3 साल व अधिक से अधिक 7 साल के कठोर कारावास व 2000 रूपये के जुर्माने के दंडित किया जा सकता है और यह अपराध किसी व्यक्ति की सहमति के विरूद्ध किया जाता है तो दोषी व्यक्ति को 7 साल की जेल जो अधिकतक 14 साल तक की हो सकतीर है दंडित किया जा सकता है और अगर यह अपराध किसी बच्चे के विरूद्ध किया जाता है तो दोषी को कम से कम से 7 साल की जेल और उम्र कैद भी हो सकती है।

<u>वैश्यागृह में किसी व्यक्ति को रोकना :</u>

1. वैश्यागृह में रोकता है

2. किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को किसी के साथ जो कि उसका पति या पत्नी नहीं है संभोग करने के लिये रोकना है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 साल की जेल जो कि 10 साल या उम्र कैद तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ वैश्यागृह में पाया जाता है तो वह दोषी तब माना जायेगा जब तक इसके विपरीत सिद्ध नहीं हो जाता।

अगर बच्चे या 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति वैश्यागृह में पाया जाता है और उसकी चिकित्सकीय जाँच के बाद यह सिद्ध होता है, कि उसका लैंगिक शोषण हुआ है तो यह माना जायेगा कि ऐसे व्यक्ति को वैश्यावृत्ति करवाने के लिये रखा गया है या उसका लैंगिक शोषण आर्थिक लाभ के लिये किया जा रहा है।

<u>अगर कोई व्यक्ति किसी महिला या लड़की का :</u>

1. सामान जैसे गहने, कपड़े, पैसे या अन्य सम्पति आदि अपने पास रखता है। या

2. उसको डराता है कि वह उसके विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करेगा अगर वह अपने साथ गहने, कपड़े, पैसे या अन्य सम्पत्ति जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा महिला या लड़की को उधार या आपूर्ति के रूप में या फिर ऐसे व्यक्ति के निर्देश में दी गई हो ले जायेगी।

तो यह माना जायेगा कि ऐसे व्यक्ति ने महिला या लड़की को वैश्यागृह में या ऐसी जगह रोका है जहाँ वह महिला या लड़की को संभोग के लिये मजबूर कर सके।

<u>सार्वजनिक स्थानों या उसके आस-पास वैश्यावृत्ति करना :</u>

यदि कोई व्यक्ति जो वैश्यावृत्ति करता है या करवाता है ऐसे स्थानों पर-

1. जो राज्य सरकार ने चिन्हित किये हों, या

2. जो कि 200 मीटर के अन्दर किसी सार्वजनिक पूजा स्थल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्यागृह या ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्थान जिसको पुलिस आयुक्त या मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किया गया हो - तो ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक का कारावास हो सकता है।

   कोई व्यक्ति यदि किसी बच्चे से ऐसा अपराध करवाता है तो उसको कम से कम 7 साल या अधिक से अधिक उम्र कैद या 10 साल तक की जेल हो सकती है तथा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

अगर कोई व्यक्ति जो -

1. ऐसे सार्वजनिक स्थानों का प्रबंधक है वैश्याओं को व्यापार करने व वहाँ रूकने देता है।

2. कोई किरायेदार, दखलदार, या देखभाल करने वाला व्यक्ति वैश्यावृत्ति के लिये ऐसे स्थानों के प्रयोग की अनुमति देता है।

3. किसी स्थान का मालिक, ऐजेंट ऐसे स्थानों को वैश्यावृत्ति के लिये किराये पर देता है तो -

वह तीन महीने की कारावास और 200 रूपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

यदि वह व्यक्ति फिर ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, तो वह 6 महीने की जेल और 200 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

अगर ऐसा अपराध किसी होटल में किया जाता है तो उस होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।

<u>वैश्यावृत्ति के लिये किसी को फुसलाना या याचना करना :</u>

अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति को किसी घर या मकान से इशारे, आवाज अपने आप को दिखाकर किसी खिड़की या बालकनी से वैश्यावृत्ति के लिये आर्कषित, फुसलाता या विनती करता है या छेड़छाड़ आवारागर्दी या इस प्रकार का कार्य करता है, जिससे वहाँ पर रहने वाले या आने जाने वालों को बाधा या परेशानी होती है तो उसको 6 महीने की जेल और 500 के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

अगर वह फिर से यह अपराध करता है तो उसके 1 साल की जेल और 500 रू० जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

अगर यह अपराध कोई पुरूष करता है तो वह कम से कम 7 दिन तथा अधि ाक से अधिक 3 महीने की जेल से दंडित किया जा सकता है।

<u>अपने संरक्षण में रहने वाल व्यक्ति को फुसलाना :</u>

यदि कोई व्यक्ति अपने संरक्षण, देखभाल में रहने वाल किसी व्यक्ति को वैश्यावृत्ति के लिए फुसलाता है, उकसाता है या सहायता करता है तो वह कम से कम 7 साल की जेल जो कि उम्र की कैद या 10 साल तक की हो सकती है जेल व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

<u>सुधार संस्था में भेजने का आदेश :</u>

सार्वजनिक स्थानों, या उनके आस-पास वैश्यावृत्ति करना या वैश्यावृत्ति के लिये किसी को फुसलाना या याचना करने के संबंध में दोषी महिला को उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति के आधार पर न्यायालय उसको सुधार संस्था में भी भेजने का आदेश दे सकता है। सुधार संस्था में कम से कम दो साल व अधिक से अधिक पांच साल के लिये भेजा जा सकता है।

<u>विशेष पुलिस अधिकारी एवं सलाहकार बाड़ी :</u>

राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संबंध में विशेष पुलिस अधिकारियों को नियुक्ति करेगी। सरकार कुछ महिला सहायक पुलिस अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकती है।

<u>इस अधिनियम के अंदर दिये गये सभी अपराध संज्ञेय हैं :</u>

इस अधिनियम के अन्दर दिये गये अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी, या उसके निर्देश से बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

तलाशी लेना :

विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी स्थान की तलाशी तब ले सकते हैं, जब उनके साथ उस स्थान के दो या दो से अधिक सम्मानित व्यक्तियों जिसमें कम से कम एक महिला भी साथ हो।

वहाँ पर मिलने वाले व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति की आयु, लैंगिक शोषण, यौन संबंधी बीमारियों की जानकारी के लिये चिकित्सी जाँच करायी जायेगी।

ऐसे स्थानों पर मिलने वाल महिलायें या लड़कियों से, महिला पुलिस अधिकारी ही पूछताछ कर सकती है।

वैश्यागृह से छुडाना :

अगर मैजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति से सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति वैश्यावृत्ति कर रहा है या करवा रहा है तो वह पुलिस अधिकारी (जो इंस्पेक्टर के श्रेणी से उच्च का होगा) उस स्थान की तलाशी लेने और वहाँ मिलने वाले लोगों को उसके सामने पेश करने को कह सकता है।

वैश्यागृह को बन्द करना :

मजिस्ट्रेट को पुलिस से या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मिलती है, कि कोई घर, मकान, स्थान आदि सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के भीतर वैश्यावृत्ति के लिये प्रयोग किया जा रहा है तो वह उस जगह के मालिक, किरायेदार, एजेंट या जो उस स्थान की देखभाल कर रहा है उसे नोटिस देगा कि वह 7 दिन के अन्दर जवाब दें कि क्यों न स्थान को अनैतिक काम के लिये प्रयोग किये जाने वाला घोषित किया जाये।

संबंधित पक्ष को सुनने के बाद यदि यह लगता है कि वहाँ पर वैश्यावृत्ति हो रही है, तो मजिस्ट्रेट 7 दिन के अंदर उसको खाली करने या उसके अनुमति के बिना किराये पर न देने का आदेश दे सकता है।

संरक्षण गृह में रखने के लिये आवेदन :

कोई व्यक्ति जो वैश्यावृत्ति करता है या जिससे वैश्यावृत्ति कराई जाती है वह मैजिस्ट्रेट से संरक्षण गृह में रखने या न्यायालय से सुरक्षा के लिये आवेदन कर सकता है।

वैश्याओं को किसी स्थान से हटाना :

मैजिस्ट्रेट को सूचना मिलने पर यदि यह लगता है कि उसके क्षेत्राधिकार में कोई वैश्या रह रही है, तो वह उसको वहाँ से हटने या फिर उस स्थान पर न आने का आदेश दे सकता है।

<u>विशेष न्यायालयों की स्थापना :</u>

इस अधिनियम के अंतर्गत किये गये अपराधों के लिये राज्य सरकार व केन्द्र सरकार विशेष न्यायालय की स्थापना भी कर सकती है। भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत भी महिलाओं एवं बच्चो को बेचने व खरीदने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान बनाये गये हैं।

18 साल के कम उम्र के लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिये फुसलाना (धारा–366–क)

यदि कोई व्यक्ति किसी 18 से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को यह जानते हुये कि उसके साथ अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जायेगा या उसके लिये मजबूर किया जायेगा तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल व जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

<u>महिला की लज्जाशीलता भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करना या हमला (धारा–354) :</u>

जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि एतद् द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने से और दोनों से दंडित किया जा सकता है।

<u>विदेश से लड़की का आयात करना (धारा–366–ख) :</u>

अगर कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश या जम्मू–काश्मीर से लाता है, यह जानते हुये कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जायेगा या उसके लिये उसे मजबूर किया जायेगा तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल ओर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

<u>वैश्यावृत्ति आदि के लिय बच्चों को बेचना (धारा–372) :</u>

अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वैश्यावृत्ति या गैरकानूनी संभोग या किसी कानून के विरूद्ध ओर दुराचारी काम में लाये जाने या उपयोग किये जाने के लिये उसको बेचता है या भाड़े पर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल ओर जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल की कम उम्र की लड़की को किसी वैश्या या किसी व्यक्ति को, जो वैश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेचता है,

भाड़े पर देता है तो यह माना जायेगा कि उस व्यक्ति ने लड़की की वैश्यावृत्ति के लिये बेचा है, जब तक के लिये इसके विपरित साबित न हो जाये।

<u>वैश्यावृत्ति आदि के लिये बच्चों को खरीदना (धारा-373) :</u>

अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैश्यावृत्ति या गैर कानूनी संभोग, या किसी कानून के विरूद्ध और दुराचारिक काम में लाये जाने या उपयोग किये जाने के लिये उसको खरीदता है या भाड़े पर देता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

<u>न्यायालों के देह व्यापार से संबंधित निर्णय :</u>

1. उच्चतम न्यायालय ने गौरव जैन बनाम भारत संघ में कहा है कि वैश्यावृत्ति एक अपराध है। लेकिन जो महिलाओं देह व्यापार करती है उनको दोषी कम और पीड़ित ज्यादा माना जायेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं एवं उसके बच्चों को पढ़ायी के अवसर और आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिये तथा उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये उनकी शादियाँ भी करवानी चाहिये जिससे बाल देह व्यापार में कमी हो सके।

2. उच्चतम न्यायालय ने प.न. कृष्णलाल बनाम केरल राज्य में कहा कि राज्य के पास यह शक्ति है कि वह कोई भी व्यापार या व्यवसाय जो गैर कानूनी, अनैतिक या समाज के लिये हानिकारक है उस पर रोक लगा सकती है।

<u>बलात्संग (धारा-376) :</u>

कोई पुरूष एतस्मिसन् पश्चात् अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छह भाँति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है, वह पुरूष बलात्संग करता है यहा कहा जाता है :-

पहला - उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।

दूसरा - उस स्त्री की की सम्मति कि बिना।

तीसरा - उस स्त्री की सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहित के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथा - उस स्त्री की सम्मति से जबकि वह पुरूष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह ऐसा पुरूष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवा – उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित या मतता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठा –उस स्त्री की सम्पति से या बिना सम्मति के, जबकि वह सोलह वर्ष से कम आयु की है।

स्पष्टीकरण :

बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है।

अपवाद :

पुरूष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है कि जबकि पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।

अप्राकृतिक इंद्रीय भोग (धारा-377) :

जो कोई किसी पुरूष, स्त्री या जीव जन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध स्वेच्छया इन्द्रीय भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

मानहानि (धारा-499/500) :

जो कोई बोले गये या पढ़े जाने के लिये आशयित शब्दों द्वारा या संकेत द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति को अपहानि की जाये या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, अपवादित दशाओं को छोड़कर मानहानि करता है तो वह 2 वर्ष तक के साधारण कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित हैं (धारा-509) :

जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से की ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाये या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाये अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह सादा कारावास

से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता में गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओ को क्षति कारित करने, शिशुओं को छोडने और जन्म छिपाने के विषय में दण्ड के प्रावधान–

धारा 312 : गर्भपात कारित करना :

जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित, या जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाये तो वह तीन वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा, और यदि वह स्त्री स्पन्दगगर्भा हो तो सात वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा ओर जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 313 : स्त्री की सम्पति के बिना गर्भपात कारित करना :

जो कोई उस स्त्री के सम्पति के बिना चाहे वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो, स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सदभावपूर्वक कारित न किया जाए तो वह आजीवन कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 314 : गर्भपात कारित करने के आशय से किये गये कार्यो द्वारा कारित मृत्यु :

जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसे कार्य करेगा, जिससे उस ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाये, वह दस वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और यदि वह कार्य उस स्त्री की सम्पति के बिना किया जाये तो आजीवन कारावास से या उपर बताये हुए दंड से दण्डित किया जायेगा।

धारा 315 : शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने का आशय से किया गया कार्य :

जो कोई किसी शिशु के जन्म् से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तद द्वारा रोका जाये या जन्म् के बाद तक द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाये और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा या उसके जन्म् के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो तो वह दस वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 316 : ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी संजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना :

जो कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थिति में करेगा कि यदि वह तद् द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता और ऐसे कार्य द्वारा किसी संजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा, वह दस वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

दृष्टान्त :

क, यह संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दे ऐसा कार्य करता है जो यदि उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती तो वह आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है। उस स्त्री को क्षति होती है किन्तु मृत्यु नहीं होती किन्तु तद् द्वारा उस अजात शिशु की मृत्यु हो जाती है जो उसके गर्भ में है। क, इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है।

धारा 317 : शिशु के पिता या माता या उसकी देख-रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग :

जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का माता-पिता होते हुए या ऐसे शिशु की देख-रेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु की किसी स्थान में अरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा या छोड़ देगा वह सात वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

यदि शिशु अरक्षित डाल दिये जाने के परिणामस्वरूप मर जाये तो यथास्थिति, हत्या या आपराधिक मानव वध के लिये आपराधिक विचारण निवारित करना इस धारा से आशयित नहीं है।

धारा 318 : मृत शरीर के व्ययन द्वारा जन्म छिपाना :

जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म् को साशय छिपायेगा या छिपाने का प्रयास करेगा वह दो वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व निवारक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (PNDT Act, 1994)

इस कानून की आवश्यकता क्यों हुई ?

यह सत्य है कि लिंग अनुपात में निरन्तर कमी के कारण या कानून बनाना जरूरी हो गया था, जिसका उद्देश्य है :

- प्रसवधारण से पहले और बाद भ्रूण के लिंग की जाँच को रोकना।
- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व निवारक तकनीक (लिंग चयन निषेध) का लिंग जाँच/निर्धारण के लिए दुरूपयोग प्रतिबन्धित करना।
- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व निवारक तकनीक का सही ढंग से विधिपूर्वक प्रयोग करना।

इस कानून के अन्तर्गत अपराध क्या हैं ?

- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व लिंग चयन जिसमें शामिल है, प्रयोग का तरीका, सलाह और कोई भी उपबन्ध जिससे यह सुनिश्चित होता हो कि लड़के के जन्म की सम्भावनाओं को बढ़ावा मिल रहा हो, जिसमें आयुर्वेदिक दवाईयां और अन्य कोई वैकल्पिक चिकित्सा और पूर्व गर्भधारण विधियां/प्रयोग जैसे कि एरिकशन विधि का प्रयोग, इस चिकित्सा के द्वारा लड़के के जन्म की सम्भावना का पता लगता है, शामिल है।
- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व के तरीकों का दुरूपयोग चाहे किसी योग्य द्वारा लिंग निर्धारण और वैसे हालातों में इन तरीकों द्वारा किया गया हो जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत न आते हों।
- जो व्यक्ति मानदेय पर कार्य कर रहा है और उसके पास अधिनियम में निर्धारित की गई योग्यता और अनुभव/प्रशिक्षण भी नहीं है उसे प्रसवधारणपूर्व का निर्धारण करना भी शामिल है।
- प्रति या स्वयं पत्नी द्वारा, जहाँ तक कि उसको इस विधि का प्रयोग करने के लिए मजबूर न किया गया हो, के बारे में प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व की विधि के बारे में किसी महिला या पुरूष या किसी रिश्तेदार द्वारा लिंग निर्धारण के दुरूपयोग के बारे में बतलाना या उत्साहित करना।
- किसी व्यक्ति द्वारा, जो कि प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व की तकनीक का प्रयोग कर रहा है, के द्वारा भ्रूण के लिंग के बारे में पत्नी या

उसके पति या उसके रिश्तेदार को शब्दों द्वारा, इशारों द्वारा या किसी अन्य तरीके द्वारा बताना।

- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व से पहले या बाद भ्रूण के लिंग में चयन की सुविधा के बारे में किसी प्रकार का इश्तिहार या प्रकाशन और पत्र आदि निकालना। इस प्रकार का विज्ञापन चाहे वह किसी भी तरह का हो जैसे कि सूचना पत्र पोस्टर या अन्य कोई पत्र विज्ञापन, इन्टरनेट द्वारा या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक प्रिन्ट मीडिया या प्रिन्ट के रूप में होर्डिंग, दीवार में छापना, इशारा, प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस।

- उन स्थानों का पंजीकरण न करना जहाँ पर प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व के प्रयोग का संचालन किया जा रहा है। जैसे कि जनन उत्पति सम्बन्धी समझौता केन्द्र (प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व, दोनों प्रकार के तरीके और प्रयोग के बारे में सलाह देना, जनन उत्पति प्रयोगशाला (प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व प्रयोग) जिसमें ऐसे वाहन भी शामिल हैं जो जनन उत्पति क्लीनिक के तौर पर प्रयोग किये जा रहे हैं।

- ऐसे गैर पंजीकृत स्थानों जहाँ पर प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व के प्रयोग किये जा रहे हैं।

- ऐसी मशीनों या उनके हिस्सों को किसी गैर पंजीकृत संस्था या ऐसे किसी चिकित्सा पेशेवर, जिनके द्वारा भ्रूण के लिंग का पता चलता हो, को बेचना।

- चिकित्सा रिकार्ड (कानून के तहत फार्म डी, ई और एफ) के ब्यौरे का सही रख रखाव न रखना।

- प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व प्रयोग करने वाले के द्वारा प्रसवपूर्व और प्रसवधारणपूर्व निवारण तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (PNDT Act, 1994) को उपलब्ध न करवाना।

- इस कानून के अन्तर्गत प्रत्येक जुर्म संज्ञेय व गैर जमानती है और समझौता योग्य नहीं है।

- अगर यह अपराध किये जा रहे हैं तो आँखें बन्द करके न बैठें और इनकी शिकायत करें।

भ्रूण हत्या से भविष्य में होने वाली घटनायें ?

- पुरूषों के मुकाबले स्त्रियों के अनुपात में लगातार कमी।
- स्त्रियों के विरूद्ध यौन अपराधों में वृद्धि।
- बच्चों के प्रति यौन अपराधों में वृद्धि।
- यौन शोषण के लिए स्त्रियों की देह व्यापार में वृद्धि।
- स्त्रियों के विरूद्ध घरेलू और अन्य सभी तरह की हिंसा में वृद्धि।
- स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कमी।
- दुल्हन के मोलभाव और अन्य परिवर्तन जैसे सामाजिक, मातृक या परिवारिक रिश्तों की घटनाओं में बढ़ावा।

यह झूठ है कि जनसंख्या में स्त्रियों की कमी से समाज में स्त्रियों का रूतबा बढ़ेगा।

इस कानून के तहत क्या सुविधाएं हैं ?

यह कानून प्रसवपूर्व निवारक तकनीक केवल क्रोमोसोम्स की अनियमितता, जनन उत्पति बीमारी, हीमोग्लोबीन, यौन प्रक्रिया, जन्मजात अनियमितता/बीमारियाँ जो कि भ्रूण में इस कानून के तहत वर्णित की गई है, की जांच की अनुमति देता है।

परन्तु प्रसवपूर्व निवारक तकनीक का प्रयोग इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए केवल पंजीकृत स्थानों/शाखाओं (जिसमें वाहन भी सम्मिलित हैं) और केवल योग्य व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा।

जब गर्भवती महिला या तो :-

- 35 वर्ष की उम्र से अधिक हो।
- दो या अधिक बार स्वैच्छिक तौर पर गर्भपात कराया हो।
- विकृतांग सृजन करने वाला जैसे औषधि, विकीरण, रसायनी, संक्रमण या शक्तिशाली घटना को अभिव्यक्त करना।
- जनन उत्पत्ति से सम्बन्धित बीमारी या ऐसी वंशानुगत बीमारी जिसमें मानसिक कमजोरी के लक्षण हों।

इस शर्त पर कि महिला कि अनुमति ली गई हो या इस कानून में वर्णित या अन्य किसी दशा में (जैसे अल्ट्रासांउंड का प्रयोग 23 प्रकार की दशाओं में करवाया जा सकता है) जो कि उक्त कानून के फार्म एफ में दर्शाये गये हैं जिसका कि सख्त तौर पर ब्यौरे का रख-रखाव जरूरी है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट

प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है

प्रथम सूचना रिपोर्ट का उद्देश्य फौजदारी कानून को हरकत में लाने से है। जिससे पुलिस छानबीन का कार्य शुरू कर सके। प्रथम सूचना रिपोर्ट ही किसी मुकदमें का आधार होती है। यह रिपोर्ट का शिकायत या अभियोग के तौर पर होती है, जिससे किसी अपराध के घटित होने या संभवतः घटित होने की सूचना पुलिस को दी जाती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट किसके विरूद्ध और कौन व्यक्ति दर्ज करवा सकता है

1. आमतौर पर कानून तोड़ने वाले व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है।
2. कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कोई भी आपराधिक घटना घटित हुई हो, वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है।
3. किसी घटना से सम्बन्धित दोनों पक्षकार भी अपनी–अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते समय पीड़ित पक्षकार अपने साथ अपने मित्र, रिश्तेदार अथवा अपने वकील को भी अपने साथ थाने में ले जा सकते हैं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराधों की गम्भीरता के अनुसार दर्ज की जाती है जैसे किसी व्यक्ति ने गम्भीर प्रकृति का गैर जमानतीय अपराध किया है तो उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

परन्तु यदि किसी व्यक्ति ने साधारण प्रकृति का जमानतीय अपराध किया है तो उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. न दर्ज करके पुलिस का हस्तक्षेप न करने वाली रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

अपराध की श्रेणी

- जमानतीय अपराध (एन.सी.आर.)
- गैर जमानतीय अपराध (एफ.आई.आर.)

यदि दो जमानतीय अपराध के साथ एक गैर जमानतीय अपराध किसी व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

पुलिस का हस्तक्षेप न करने वाली रिपोर्ट (एन.सी.आर.) दर्ज होने पर वादी के कर्तव्य

यदि किसी व्यक्ति की जुबानी सूचना पर थाने द्वारा एन.सी.आर. दर्ज कर ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में वह पीड़ित व्यक्ति अपने प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता (द० प्र० सं०)

की धारा 155 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विवेचना (मामले की छानबीन) करने का निवेदन कर सकता है।

यदि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा विवेचना (छानबीन) का आदेश पारित कर दिया जाता है, तो प्रतिवादी/अभियुक्त गण के विरूद्ध मामले की छानबीन सम्बन्धित थाने के थानेदार द्वारा की जा सकती है। और अभियुक्तों को जरिये सम्मन न्यायालय के समक्ष तलब किया जा सकता है।

अगर सम्बन्धित पुलिस स्टेशन पर आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है तो आप कहाँ-कहाँ शिकायत कर सकते है।

अगर पीड़ित पक्षकार की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने द्वारा किसी कारणवश नहीं दर्ज की जाती है, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम जिले के पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

यदि थाने द्वारा इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (3) के अनुपालन मे शिकायती प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक को भेजा जा सकता है।

राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग में भी लिखित शिकयती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

यदि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्र पर भी कोई कार्यवाही न हो, तो न्यायालय पर मैजिस्ट्रेट के समक्ष द०प्र०सं० की धारा 156 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का निवेदन किया जा सकता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।

1. घटना का सही समय लिखवाना चाहिए।
2. घटना का सही स्थान।
3. घटना का सही दिनांक।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट में कभी भी घटना के सही तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर नहीं लिखाना चाहिए।
5. अपराध घटित होने के बाद जितनी जल्दी हो सके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए।

क्योंकि विलम्ब से सूचना देने पर अभियुक्तगण की तरफ से प्रायः तर्क दिया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच विचार कर तथा तथ्यों को तोड-मरोड़ कर मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर लिखायी गयी है। जिससे अभियुक्तों को संदेह का लाभ मिल सकता है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने के पश्चात् अन्त में रिपोर्ट लिखाने वाले का नाम, पिता का नाम, पता और हस्ताक्षर भी होने चाहिए। रिपोर्ट दर्ज करने वाले अधिकारी को रिपोर्ट वादी को पढ़कर सुनाना चाहिए।

7. रिपोर्ट लिखवाने के पश्चात् रिपोर्ट की प्रतिलिपि सम्बन्धित थाने से वादी को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम और उसका विस्तृत विवरण जैसे - उसका रंग, ऊँचाई, उम्र, पहनावा और चेहरे पर कोई निशान आदि जरूर लिखवाना चाहिए।

9. अपराध कैसे घटित हुआ (अपराध घटित करते समय अपराधियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले हथियार/औजार का नाम) अवश्य दर्शाना चाहिए।

10. अभियुक्त द्वारा चुराई गयी या ली गयी वस्तुओं की सूची।

11. अपराध के समय गवाहों के नाम और उनका पता।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के समय को लेकर नियम कानून

किसी संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्ति और उस सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभिलिखित करने के बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। इसे तुरन्त लिखवाना चाहिए। ऐसा न करने से प्रथम सूचना रिपोर्ट की महत्ता घट जाती है, अगर उसे अपराध के तुरन्त बाद न लिखवाई जाए।

इसी सन्दर्भ में मानवीय उच्चतम न्यायालय ने अप्रेम जोसफ के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि अपराध की सूचना पुलिस को देने के लिए कोई युक्तियुक्त समय अलग से तय नहीं किया जा सकता। युक्तियुक्त समय का प्रश्न एक ऐसा विषय है, जो हर मामले में न्यायालय ही फैसला करेगा।

सार्वजनिक व्यक्ति के अलावा थाने का भारसाधक अधिकारी भी अपनी जानकारी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है।

थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी जानकारी और स्वतः की प्ररेणा से प्रेरित होकर अपने नाम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। यदि उसकी नजर में एक संज्ञेय अपराध (गैर जमानतीय) घटित हुआ हो।

टेलीफोन के जरिये प्राप्त सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट के तौर पर लिखा जा सकता है

टेलीफोन पर सूचना किसी परिचित व्यक्ति द्वारा दी गयी हो, जो अपना परिचय प्रस्तुत करे, तथा सूचना में ऐसे अपेक्षाकृत तथ्य हों जिससे संज्ञेय अपराध का घटित होना मालूम होता हो तथा जो थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा लिखित रूप मे भी दर्ज कर लिया गया हो। ऐसी सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट माना जा सकता है। टेलीफोन पर दी गई सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट समझ लेना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है।

अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 2007

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा आज समाज के लिए सर्वाधिक चिंता का विषय है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को समर्थता प्रदान करने वाली व्यवस्था की रचना करना है, जिससे वे एक विशेष ट्रिब्युनल (अधिकरण) के समक्ष निर्धारित 90 दिन की समय सीमा के अंदर भरण पोषण के अधिकार को सुलभता और शीघ्रता से प्राप्त कर सकें।

मुख्य विशेषताएं

- वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो कि अपनी आय अथवा अपनी संपति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने वयस्क बच्चों अथवा संबंधियो से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकतें है। इस भरण पोषण में समुचित भोजन, आश्रय, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधाएं सम्मिलित हैं।

- अभिभावकों में सगे और दत्तक माता–पिता और सौतेले माता और पिता सम्मिलित हैं, चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हों या न हों।

- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबंधियो से भी भरण पोषण की मांग कर सकता है जिनका उनकी संपति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उनकी संपति के उतराधिकारी हो सकते हैं।

- भरण पोषण के लिए आवेदन स्वयं वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा किया जा सकता है या वे अन्य व्यक्ति को या किसी स्वेच्छिक संगठन को ऐसा करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

- यदि ट्रिब्युनल (अधिकरण) इस बात से संतुष्ट है कि बच्चों अथवा संबंधियों ने अपने अभिभावकों अथवा वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा की हैं अथवा उनकी देखभाल करने से इन्कार किया है तो ट्रिब्युनल (अधिकरण) उन्हें मासिक भरण पोषण, जो कि अधिकतम 10,000/- रू० प्रतिमाह तक हो सकता है, देने का आदेश दे सकता है।

- वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा अथवा परित्याग एक संज्ञेय अपराध है जिसके लिए 5,000/- रू० जुर्माना या तीन महीने की सजा या दोनो हो सकते है।

- राज्य सरकारें प्रत्येक 150 परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम स्थापित करेंगी। इस आश्रमों

में वरिष्ठ नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, वस्त्र, और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

- सभी सरकारी अस्पतालों और उन अस्पतालों जिन्हें सरकार से सहायता प्राप्त होती है उनके जहां तक संभव हो वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध करवाएं जाऐगें। चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पंक्तियों का प्रबंध किया जाएगा।

कुछ आम/खास बातें।

(1) इन्तकाल की अहमियत सिर्फ वहां है जहां किसी अचल सम्पति बारे कोई झगड़ा न हो लेकिन जहां ऐसा कोई झगड़ा है, वहां इन्तकाल बेमाने हो जाता है क्योंकि उस सूरत में मलकीयत का फैसला दीवानी अदालत द्वारा ही किया जा सकता है।

(2) जहां कोई व्यक्ति जमीन को काश्त कर रहा हो तो उस जमीन की खसरा गिरदावरी उसे नोटिस दिए और सुने बिना किसी और के नाम तबदील नहीं की जा सकती और अगर कर भी दी जाती है तो बेमाने है।

(3) अगर कोई खसरा गिरदावरी लगातार चार साल से किसी के नाम चली आ रही हो तो उसका इंद्राज जमाबंदी में आ जाता है जिसको बदलने का अख्तयार सिर्फ दिवानी अदालत को है, किसी और अधिकारी को नहीं है।

(4) अगर पुलिस किसी जुर्म की प्रथम सूचना रिपोर्ट सही तौर पर दर्ज नहीं करती तो ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा करने दोषी के खिलाफ जुर्म की परिभाषा की सही धाराओं के तहत केस चलाया जा सकता है इसलिए पुलिस द्वारा जुर्म की परिभाषा घटाने या बढ़ा चढ़ाकर लिखने से किसी केस की अदालत में सुनवाई के दौरान कोई फर्क नहीं पड़ता।

(5) पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक 19761/जनरल/III-सी-9 दिनांक 24-8-1988 के आदेशानुसार 109 सी. आर.पी.सी. के तहत गिरफ्तार शुद्धा लड़कियों और बच्चों को जेल में बन्द रखने की बजाय उन्हें उनके माँ-बाप के सुपुर्द करने की कोशिश की जानी चाहिए।

(6) बाल विवाह (प्रतिबंध) अधिनियम 1929 के मुताबिक इक्कीस साल से कम के पुरूष व अठारह साल के कम की लड़की की शादी ''बाल विवाह'' की परिभाषा में आती है जो कानूनन अपराध है। ऐसी शादी करने वाले पुरूष व ऐसी शादी के फेरे पढ़वाने वाले, नेतृत्व करने वाले, संचालन करने वालों को तथा अठारह वर्ष से कम की लड़की व इक्कीस वर्ष से कम के लड़के के पिता/अभिभावकों को कैद व जुर्माना हो सकता है व उनकी माताओं को जुर्माना हो सकता है।

क्या आप जानते हैं ?

☞ आपके कानूनी झगड़ों का शीघ्र निपटारा करने के लिए लोक अदालत एक उचित मंच है जो कि प्रत्येक तिमाही के अंतराल पर प्रत्येक जिला एंव उप-मण्डल में आयोजित की जाती है व ग्रामीण लोक अदालतों का आयोजन हर महीने किया जाता है।

☞ यह विवाद को पूर्ण रूप से खत्म कर देती है, जिसकी अपील नहीं हो सकती।

☞ आप राज्य कोष से मुफत कानूनी सहायता लेने के हकदार हैं, यदि

आपकी सलाना आय 50,000 रूपये से कम हो या पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से सम्बन्ध रखते हों, न्यायिक हिरासत में हों, देह व्यापार में संलिप्त हों, मानसिक रोगी, अंपग व्यक्ति, आद्यौगिक कर्मकार, महिलांए एंव बच्चे हों।

☞ हरियाणा राज्य के सभी जिला न्यायालय परिसरों में समझौता सदन गठित किए गये है जहां पर आपसी सुलह द्वारा मुकदमों का निपटारा किया जाता है।

☞ जन उपयोगी सेवाओं, जैसे बिजली, पानी एंव स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करने के लिए हरियाणा के सभी जिला न्यायालयों में स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया।

☞ कानूनी अधिकारों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिये हरियाणा राज्य के पिछड़े एंव दूर-दराज के इलाकों में कानूनी शिविरों का आयोजन किया जाता है।

☞ अधिक जानकारी के लिए आप सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या सचिव (मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अध्यक्ष, (वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी) उप-मण्डल विधिक सेवा समिति से सम्पर्क कर सकते हैं।

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

एस०सी०ओ० 142-143, प्रथम तल, सैक्टर 34-ए, चण्डीगढ़।
फोन: 0172-2604055. फैक्स: 0172-2622875, ई-मेल: hslsa@chd.nic.in. वैबसाईट: www.hslsa.nic.in